



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273770
CG-DL-E-23062026-273770

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948

No. 461]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

सा.का.नि. 512(अ).— दूरसंचार (विविध दूरसंचार सेवा के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम 2025 का मसौदा, दूरसंचार अधिनियम 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) के अंतर्गत यथापेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II उप-खंड (3), उप धारा (1) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.611(अ), तारीख 09.09.2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से उक्त सूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 9 सितंबर 2025 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त अवधि का विस्तार 21 अक्टूबर 2025 का किया गया और उक्त प्रारूप नियम के संबंध में उस अवधि में प्राप्त टिप्पणी व सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (विविध दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) “वैमानिक डेटा संचार सेवा” से विमान और ग्राउंड स्टेशन के बीच डेटा का आदान-प्रदान, जिसका प्रयोजन एयरलाइन के परिचालन संबंधी संचार या हवाई यातायात प्रबंधन हो, अभिप्रेत है और जिसमें राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना में वैमानिक मोबाइल (रूट) सेवा के लिए सौंपे गए स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता हो।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए “वैमानिक मोबाइल (रूट) सेवा” पद से एक ऐसी वैमानिक मोबाइल सेवा अभिप्रेत है जो उड़ान की सुरक्षा और नियमितता से संबंधित संचार के लिए आरक्षित हो, और जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई मार्गों पर संचालित होती हो;

(ग) “वैमानिक डेटा संचार सेवा प्राधिकार” से वैमानिक डेटा संचार सेवाएँ प्रदान करने का प्राधिकार अभिप्रेत है;

(घ) “अधिकृत अभिकरण” का वही अर्थ होगा जो दूरसंचार (संदेशों के वैध अवरोधन के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय) नियम, 2024 में इसे दिया गया है;

(ङ) “अभिहीत अभिकरण” से केन्द्रीय सरकार द्वारा उस नियम के प्रयोजन के लिए अभिहीत कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अधीन उसे अभिहीत किया गया है;

(च) “उद्यम संचार सेवा” से वे दूरसंचार सेवाएँ अभिप्रेत हैं जिनका उल्लेख नियम 50 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किया गया है;

(छ) “उद्यम संचार सेवा प्राधिकार” से उद्यम संचार सेवाएँ प्रदान करने का प्राधिकार अभिप्रेत है;

(ज) “इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवा” से वे दूरसंचार सेवाएँ अभिप्रेत हैं जिनका उल्लेख नियम 68 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किया गया है;

(झ) “इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवा प्राधिकार” से इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाएँ प्रदान करने का प्राधिकार अभिप्रेत है;

(ञ) “लैंड मोबाइल सेवा” से एक रिपीटर स्टेशन और लैंड मोबाइल स्टेशनों के बीच, या लैंड मोबाइल स्टेशनों के बीच आपस में होने वाली दूरसंचार सेवा अभिप्रेत है और “लैंड मोबाइल सेवा नेटवर्क” अभिव्यक्ति की व्याख्या भी इसी अनुसार की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए, “लैंड मोबाइल स्टेशन” अभिव्यक्ति से लैंड मोबाइल सेवा में उपयोग होने वाला वह मोबाइल उपयोगकर्ता टर्मिनल अभिप्रेत है, जो सेवा क्षेत्र के भीतर ज़मीन पर (सतह पर) गति करने में सक्षम हो;

- (ट) “आशय पत्र” से वह पत्र जो नियम 7 के उप-नियम (2) के अधीन जारी किया गया हो, अभिप्रेत है;
- (ठ) “मशीन-से-मशीन संचार” से मशीन-से-मशीन संचार अभिप्रेत है जो दो या दो से अधिक मशीनों के बीच होने वाले दूरसंचार का एक प्रकार है, जिसमें प्रत्यक्ष मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता अनिवार्य रूप से नहीं होती है;
- (ड) “मशीन-से-मशीन संचार सेवा” से मशीन से मशीन का उपयोग करते हुए मशीनों के बीच दूरसंचार स्थापित करने वाली सेवाएँ अभिप्रेत हैं;
- (ढ) “मशीन-से-मशीन सेवा प्राधिकार” से मशीन से मशीन प्रदान करने का प्राधिकार अभिप्रेत है;
- (ण) “मशीन-से-मशीन ग्राहक पहचान माड्यूल” से मशीन से मशीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाला ग्राहक पहचान माड्यूल अभिप्रेत है;
- (त) “विविध दूरसंचार सेवा” से नियम 4 में विनिर्दिष्ट दूरसंचार सेवाएँ अभिप्रेत हैं;
- (थ) “नई प्राधिकृत इकाई” से वह प्राधिकृत इकाई अभिप्रेत है, जो-
- (i) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार प्राप्त करती है; अथवा
- (ii) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन किसी प्राधिकार की संविदा और शर्तों में स्थानांतरित हो गई हो।
- (द) “व्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार” से किसी आवेदक के पास विद्यमान वह अनुज्ञप्ति या प्राधिकार अभिप्रेत है, जिसका दायरा और सेवा क्षेत्र, उस प्राधिकार के दायरे और सेवा क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से शामिल होगा, जिसके संबंध में नियम 6 के अधीन आवेदन जमा किया गया है;
- (ध) “प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सेवा” से वे दूरसंचार सेवाएँ, जो नियम 63 के उप-नियम (4) में निर्दिष्ट की गई हैं;
- (न) “प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सेवा प्राधिकार से प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सेवाएं प्रदान करने का प्राधिकार अभिप्रेत है;
- (प) “पोर्टल” से नियम 78 में उल्लिखित पोर्टल अभिप्रेत है;
- (फ) “पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाएं” से एक प्रकार की लैंड मोबाइल सेवा अभिप्रेत है, जो उपयोगकर्ताओं के बीच दो-तरफ़ा दूरसंचार को सक्षम बनाती है; इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी की एक जोड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसे कॉल की अवधि के लिए अस्थायी रूप से आवंटित किया जाता है, और यह फ्रीक्वेंसी एक रिपीटर स्टेशन को सौंपे गए एक निर्दिष्ट स्पेक्ट्रम बैंड से ली जाती है; और पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा नेटवर्क शब्द की व्याख्या इसी अनुसार की जाएगी;
- (ब) “पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार” से “पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्रदान करने का प्राधिकार अभिप्रेत है; और

- (भ) "रिपीटर स्टेशन" से वह रेडियो उपस्कर अभिप्रेत है, जिसका उपयोग लैंड मोबाइल सेवा नेटवर्क के एक या कई सेल स्थापित करने के लिए किया जाता है; और
- (म) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और यहाँ परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम या उक्त नियमों में है।

3. लागू होना—(1) ये नियम प्राधिकार के नियम और शर्तें उपबंध करते हैं, जो निम्नलिखित पर लागू होंगे, अर्थात्:—

- (क) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विविध दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्राधिकार; और
- (ख) वह सुसंगत प्राधिकार, जिसकी शर्तों और निबंधनों के अधीन कोई नई प्राधिकृत इकाई अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन स्थानांतरित हुई है।

(2) उप नियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (1997 का 24) नियम और उसके बनाए गए विनियम नई अधिकृत इकाई के संबंध में लागू होते रहेंगे।

अध्याय 2

विविध दूरसंचार सेवाएँ और प्राधिकार का अनुदान

4. विविध दूरसंचार सेवाएँ—कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित में से कोई भी दूरसंचार सेवा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विविध दूरसंचार सेवाएँ" कहा गया है) प्रदान करना चाहता है, वह नियम 6 के अधीन केंद्रीय सरकार को आवेदन कर सकता है, जिससे उस सेवा क्षेत्र के संबंध में ऐसी सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त कर सके जो उसके लिए विनिर्दिष्ट है, अर्थात्:—

- (क) अनुसूची ख में सूचीबद्ध एक या अधिक सेवा क्षेत्रों के लिए पब्लिक मोबाइल ट्रंकिंग सेवाएँ ;
- (ख) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के लिए उद्धम संचार सेवाएँ;
- (ग) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के लिए मशीन से मशीन सेवाएँ;
- (घ) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री वाई-फाई एकसेस नेटवर्क इंटरफ़ेस सेवाएँ;
- (ङ) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के लिए इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाएँ; और
- (च) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के लिए वैमानिक डेटा संचार सेवाएँ।

5. पात्रता—खंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो खंड (ख) में दी गई शर्त को भी पूरा करता है, नियम 6 के अधीन प्राधिकार के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगा, अर्थात्:—

- (क) यह एक कंपनी हो—
- (i) जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यदि कोई हो तो, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में जारी की गई नीति और लागू विधि के अनुरूप हो; और
- (ii) जिसका प्रबंधन साधारणतया संचार सेवाएँ देने या उत्तरदायी रीति से संचार नेटवर्क बनाने, चलाने, रखरखाव करने या बनाने के अपने ट्रेकरिकोर्ड के हिसाब से अच्छा हो।

(ख) इस पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए:

परंतु यदि यह मशीन से मशीन सेवा प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा है, तो यह खंड (क) के अधीन निर्दिष्ट कंपनी हो सकती है, या निम्नलिखित में से कोई भी हो सकती है, अर्थात्—

- (i) सीमित देयता भागीदारी, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यदि कोई हो तो, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में जारी की गई नीति और लागू विधि के अनुरूप हो;
- (ii) एकल स्वामित्व;
- (iii) साझेदारी फर्म;
- (iv) न्यास;
- (v) सहकारी समिति या सोसायटी;
- (vi) केंद्रीय सरकार का विभाग;
- (vii) राज्य सरकार का विभाग;
- (viii) विधायी निकाय या इसके कार्यालय;
- (ix) न्यायालय; या
- (x) सरकार द्वारा नियंत्रित कोई अन्य इकाई:

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, तो इस नियम के अधीन किसी भी शर्त में छूट दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ है —

(क) “न्यायालय” से—

- (i) विधि का न्यायालय अभिप्रेत है; और
- (ii) कोई अन्य न्यायनिर्णयन निकाय अभिप्रेत है, जो संविधान द्वारा या उसके अधीन, अथवा भारत के संपूर्ण या किसी भाग में उस समय लागू किसी विधि के अधीन स्थापित हो, और इसमें उसका रजिस्ट्री, सचिवालय या कार्यालय शामिल है।

(ख) “अन्य सरकार द्वारा नियंत्रित इकाई” से कोई निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो किसी केंद्रीय सरकार के विभाग या किसी राज्य सरकार के विभाग के समग्र नियंत्रण में हो, और इसमें शामिल हैं—

- (i) कोई स्वायत्त निकाय; और
- (ii) कोई लाभ-निरपेक्ष सरकारी कंपनी।

6. प्राधिकार के लिए आवेदन—(1) इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति पोर्टल पर, ऐसे प्रपत्र और तरीके से तथा ऐसे दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगा जैसा कि इसमें विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे—

(क) अनुसूची ‘क’ में निर्दिष्ट एक अप्रतिदेय प्रसंस्करण शुल्क; और

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) के अधीन नियुक्त उसके लेखा परीक्षक द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र, ऐसे प्रपत्र में जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट हो, जो यह प्रमाणित करता हो कि वह नियम 5 के अधीन पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

(3) यदि आवेदक के पास कोई व्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार है, तो वह इन नियमों के अधीन अपेक्षित रूप से ऐसे विद्यमान व्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार को त्याग देगा।

(4) यदि नियम 5 के खंड (ख) में निर्दिष्ट बकाया राशि किसी चल रही विधिक कार्यवाही के अधीन है, जिसमें ऐसे बकाया के भुगतान पर रोक लगाने का कोई न्यायिक आदेश है, तो आवेदक—

(क) उन शर्तों का पालन करेगा जो ऐसे आदेश में लगाई गई हों; और

(ख) ऐसे भुगतान करने का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा, जो ऐसी कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा;

और अपने आवेदन के साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन नियुक्त अपने लेखा परीक्षक द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जो उस प्रपत्र में होगा जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है और जो इस उप-नियम के अनुपालन को प्रमाणित करेगा।

(5) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए कोई आवेदन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए जारी किया गया कोई भी आशय पत्र, जो इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से पहले भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन जारी किया गया हो, समाप्त हो जाएगा यदि ऐसे आवेदन या आशय पत्र के अनुसरण में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन अनुज्ञप्ति इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से पहले जारी न किया गया हो।

(6) कोई भी आवेदक, जिसे उप-नियम (5) के अधीन जारी किया गया आशय पत्र समाप्त हो गया हो, उप-नियम (1) के अधीन प्राधिकार प्रदान किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है:

परंतु यह कि ऐसे आशय पत्र के अनुसरण में भुगतान की गई कोई भी अप्रतिदेय प्रसंस्करण फीस या प्रवेश शुल्क, अथवा प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी इन नियमों के अधीन किसी भी प्रसंस्करण फीस या प्रवेश शुल्क के भुगतान, अथवा आवश्यक गारंटी को प्रस्तुत करने संबंधी किसी भी शर्त की पूर्ति के लिए समायोजित की जा सकती है; और ऐसा करते समय, पहले से भुगतान की गई या प्रस्तुत की गई राशि को समायोजित करने के बाद, यदि कोई कमी शेष रहती है, तो उस कमी की सीमा तक ही फीस या गारंटी का भुगतान या प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

7. प्राधिकार प्रदान करना—(1) नियम 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार आवेदक की पात्रता के संबंध में ऐसी जांच कर सकती है जिसे वह उचित समझे; और इस प्रयोजन के लिए, वह आवेदक से ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है, जिसकी वह मांग करे।

(2) केंद्रीय सरकार, —

(क) यदि वह संतुष्ट है कि आवेदक पात्र है, तो पोर्टल के माध्यम से ऐसे आवेदक को एक आशय पत्र जारी कर सकती है, जिसमें शर्तें और निबंधन निर्दिष्ट होंगे, जिनमें शामिल हैं—

(i) प्रवेश शुल्क का भुगतान और ऐसे प्राधिकार के लिए एक बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रस्तुत करना, जिसकी राशि अनुसूची क में विनिर्दिष्ट है या यथास्थिति नियम 6 के उप-नियम (6) के अनुसार हो; और

(ii) एक बिना शर्त और अपरिवर्तनीय वचनबद्धता प्रस्तुत करना, ऐसे प्रपत्र और रीति में जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट हो, जिसमें प्राधिकार की प्रभावी तारीख से, यदि कोई हो, तो किसी भी व्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार का परित्याग किया गया हो; या

(ख) आवेदन को अस्वीकार कर सकती है।

(3) आशय पत्र में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित होने पर, केंद्रीय सरकार पोर्टल के माध्यम से प्राधिकार प्रदान कर सकती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्दिष्ट होंगे—

(क) इसका कार्यक्षेत्र;

(ख) सेवा क्षेत्र और वह अवधि जिसके लिए प्राधिकार प्रदान किया गया है; और

(ग) ऐसे प्राधिकार की प्रभावी तारीख:

परंतु इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवा प्राधिकार, मशीन से मशीन सेवा प्राधिकार और प्रधानमंत्री वाई-फाई नेटवर्क इंटरफेस सेवा प्राधिकार पात्र आवेदकों को बिना किसी 'आशय पत्र' के पहले से जारी किए ही प्रदान किए जाएंगे।

(4) इन नियमों के अधीन दिया गया प्रत्येक प्राधिकार 'गैर-विशिष्ट' आधार पर होगा, और केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हीं या अन्य सेवा क्षेत्रों में, उन्हीं विविध दूरसंचार सेवाओं के लिए अतिरिक्त प्राधिकार दिए जा सकते हैं; इसमें नई प्राधिकृत इकाइयों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(5) इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने वाली कोई भी नई प्राधिकृत इकाई, लागू विधि के अधीन स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए आवेदन कर सकती है; बशर्ते वह उस विधि के अधीन ऐसे आवंटन के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती हो।

स्पष्टीकरण—संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्रदान करने का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि इससे किसी नई प्राधिकृत इकाई को स्पेक्ट्रम के आवंटन या उपयोग का कोई अधिकार प्राप्त हो गया है।

8. व्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार—(1) किसी नई प्राधिकृत इकाई को कोई भी व्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार रखने की अनुमति नहीं होगी।

(2) किसी व्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार का परित्याग, यदि कोई हो तो, ऐसे अनुज्ञप्ति या प्राधिकार से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार और यथास्थिति, दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा और विशेष रूप से, यह निम्नलिखित बातों को प्रभावित नहीं करेगा, अर्थात्—

(क) रोल-आउट दायित्व, और कोई अन्य सुसंगत दायित्व या देनदारियां जिनमें वित्तीय बकाया, उल्लंघनों का अवधा और उन पर लगाए गए जुर्माने, यदि कोई हों, शामिल हैं जो यथास्थिति ऐसे व्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार से जुड़े हैं, परित्याग के बाद भी, उसके नियमों और शर्तों के अधीन लागू रहेंगे; और

(ख) ऐसे व्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए संसाधन और दी गई अनुमति, उन शर्तों के अनुसार लागू होती रहेगी जिनके आधार पर उसे प्राप्त किया गया था, जब तक कि केंद्रीय सरकार जनहित में अन्यथा अवधा न कर दे।

स्पष्टीकरण—खंड (ख) के प्रयोजन के लिए,—

1. “संसाधन” से—

- (क) वे दूरसंचार पहचानकर्ता अभिप्रेत जो पहले ही आबंटित किए जा चुके हैं;
 - (ख) नई प्राधिकृत इकाई के पास उपलब्ध स्पेक्ट्रम;
 - (ग) व्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार के संबंध में नई प्राधिकृत इकाई के पास उपलब्ध अनुपालन प्रमाण पत्र अभिप्रेत है; और
2. “अनुमति” में रोल-आउट दायित्वों के अनुपालन के एक भाग के रूप में कवरेज परीक्षण प्रमाण पत्र, अनापत्तियां, अनुमोदन, नई प्राधिकृत इकाई को विदेशी नागरिकों की तैनाती के लिए दी गई अनुमतियां, और अन्य अनुमतियां जिनमें रिमोट एक्सेस और गेटवे अनुमतियां शामिल हैं।

अध्याय 3

साधारण शर्तें

9. प्राधिकार की अवधि—नियम 7 के अधीन दिए गए प्रत्येक प्राधिकार की अवधि उतनी होगी जितनी उक्त नियम के अधीन विनिर्दिष्ट है, जो अधिकतम बीस वर्ष और नियम 14, 15 और 77 के उपबंधों के अधीन होगी।

10. पात्रता शर्तों का निरंतर पालन—प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, प्राधिकार की पूरी अवधि के दौरान, नियम 5 के अधीन दी गई शर्तों का पालन करेगी।

11. रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण दायित्व—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई—

- (क) प्रत्येक वर्ष, ऐसी तारीख को और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन नियुक्त अपने लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र के साथ, ऐसे प्रपत्र और ऐसी रीति से केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है, जिसमें प्रमाणित किया जाएगा—
 - (i) उसकी भारतीय और विदेशी इक्विटी का विवरण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों;
 - (ii) उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों का विवरण; और
 - (iii) नियम 10 का अनुपालन:

परंतु, केंद्रीय सरकार उन नई प्राधिकृत इकाइयों को, जिनका टर्नओवर उस राशि से अधिक नहीं है जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है, ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट दे सकती है।

स्पष्टीकरण—उप-खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी का अवधा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में जारी की गई नीति के अनुसार किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित के संबंध में किसी भी बदलाव की रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को, ऐसे प्रपत्र और ऐसी रीति से देगी जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है, अर्थात्—

- (i) अधिग्रहण के परिणामस्वरूप उसके शेयरधारकों में कोई बदलाव, जिसकी रिपोर्ट ऐसे बदलाव की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर दी जाएगी:

परंतु, किसी ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के संबंध में जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, शेयरधारिता में केवल ऐसे बदलाव की रिपोर्ट इस उप-खंड के अधीन देना अपेक्षित होगा, जिसका प्रकटीकरण भारतीय

प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) या संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के उप-नियमों या सूचीबद्ध शर्तों के अधीन किए गए किसी भी लेन-देन को इस उपखंड के अधीन रिपोर्ट करना अपेक्षित है।

- (ii) उस नाम में बदलाव, जिसके अधीन इसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्टर किया गया है; इसके साथ ही ऐसे रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र की प्रमाणित कॉपी भी देनी होगी। इस बदलाव की जानकारी ऐसे प्रमाणपत्र के जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर देनी होगी।
- (iii) इसके विवरणों में बदलाव, जिसमें विदेशी इक्विटी, नियंत्रण, पता और संपर्क विवरण शामिल हैं, और पहले जमा किए गए विवरणों में कोई भी अन्य महत्वपूर्ण बदलाव; ऐसे बदलाव की जानकारी पंद्रह दिनों के भीतर देनी होगी; और

(ग) केंद्रीय सरकार को ऐसे दस्तावेज़, खाते, अनुमान, रिटर्न, रिपोर्ट या अन्य जानकारी उपलब्ध कराना, जिनकी मांग केंद्रीय सरकार उस नई प्राधिकृत इकाई से कर सकती है; ये जानकारी उस समय-सीमा के भीतर उपलब्ध करानी होगी, जो केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, भारत में स्थित अपने एक नोडल व्यक्ति का विवरण केंद्रीय सरकार और अभिहित अभिकरण को सूचित करेगी और उसका नाम प्रस्तावित करेगी। यह सूचना उस प्रपत्र और ऐसी रीति से दी जाएगी, जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट हो; यह नोडल व्यक्ति किसी भी रिपोर्ट या जानकारी या इस नियम के अधीन अपेक्षित विस्तारित सहायता को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) यदि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 (2016 का 31) के अधीन किसी नई प्राधिकृत इकाई के विरुद्ध कार्पोरेट दिवालियापन संकल्प के प्रारंभ के लिए कोई आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई-

(क) ऐसी स्वीकृति के अड़तालिस घंटे के भीतर लिखित में इस संबंध में केंद्रीय सरकार को सूचित करेगी; और

(ख) ऐसे आवेदन की स्वीकृति के राष्ट्रीय विधि अधिकरण के आदेश की एक प्रति तुरंत केंद्रीय सरकार को अविलंब प्रस्तुत करेगी।

12. अन्तरण—(1) लागू विधि के अधीन विलप, अविलप, अधिग्रहण या अन्य प्रकार के पुनर्गठन के अनुपालनार्थ लिखित में केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही किसी प्राधिकार को सौंपा या अंतरित किया जा सकता है।

(2) उपनियम(1) में उपबंध किए गए अनुसार के सिवाय, कोई नई प्राधिकृत इकाई-

(क) किसी भी तरह से, सीधे या परोक्ष रूप से, पूरी तरह या आंशिक रूप से, उसे दिए गए किसी भी प्राधिकार को किसी और को सौंपे या अन्तरित नहीं करेगी;

(ख) ऐसे सौंपने या अन्तरण के लिए किसी भी साझेदारी या समझौते में शामिल नहीं होगी; या

(ग) ऐसी प्राधिकार में किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में कोई हित सृजित नहीं करेगी।

13. नवीनीकरण—(1) एक नई प्राधिकृत इकाई, प्राधिकार की अवधि समाप्त होने से कम से कम बारह महीने पहले, प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा कर सकती है। यह आवेदन उस प्रपत्र और ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है, और इसके साथ अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण शुल्क भी जमा करना होगा।

(2) एक नई प्राधिकृत इकाई से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद भी आवेदन की अनुमति दे सकती है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि उस अवधि के भीतर आवेदन न करने का कोई पर्याप्त कारण

था। यह अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसी विलंब शुल्क का भुगतान किया जाए, जिसे केंद्रीय सरकार ऐसे अनुरोध के उत्तर में विनिर्दिष्ट करे।

(3) केंद्रीय सरकार, अपने विवेक से, उप-नियम (1) या (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकार का नवीनीकरण उस अवधि के लिए कर सकती है जो केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाए, जिसकी अधिकतम सीमा बीस वर्ष होगी।

(4) उप-नियम (3) के अधीन प्राधिकार का प्रत्येक नवीनीकरण, ऐसे नवीनीकरण के समय लागू विधि के अधीन होगा।

(5) यदि प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं होता है, तो नई प्राधिकृत इकाई अपनी विविध दूरसंचार सेवाओं के प्रत्येक उपयोगकर्ता को, अपनी प्राधिकार की अवधि समाप्त होने से कम से कम तीस दिन पहले, प्राधिकार की समाप्ति और ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में सूचना देगी।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, अपनी प्राधिकार की अवधि समाप्त होने तक, विविध दूरसंचार सेवा और दूरसंचार नेटवर्क की गुणवत्ता बनाए रखेगी।

14. प्राधिकार रद्द करना—(1) केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 21 के अधीन की जा सकने वाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक आदेश के ज़रिए, इस परिस्थिति में प्राधिकार रद्द कर सकती है, जो इस प्रकार हैं:—

- (क) यदि, किसी भी चरण पर यह पाया जाता है कि नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकार के लिए आवेदन के साथ या उसके प्रसंस्करण के दौरान दिए गए किसी भी अभ्यावेदन, जानकारी या दस्तावेज़ में से कोई भी झूठा था;
- (ख) यदि नई प्राधिकृत इकाई को परिसमापन में डालने का निर्देश दिया जाता है, या उसे बंद करने का आदेश दिया जाता है; या
- (ग) यदि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (1997 का 24) के अनुसार, प्राधिकार को रद्द करने की सिफ़ारिश करता है।

(2) उप-नियम (1) के खंड (क) और (ग) में विनिर्दिष्ट घटनाओं के घटित होने पर, उप-नियम (1) के अधीन कोई भी आदेश जारी करने से पहले, केंद्रीय सरकार उपखंड (1) में निर्दिष्ट नई प्राधिकृत इकाई को सुनवाई का अवसर देगी;

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आदेश केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे आदेश के प्रकाशन की तारीख से इकसठवें दिन से प्रभावी होगा और नई प्राधिकृत इकाई पोर्टल पर ऐसे रद्दीकरण आदेश के प्रकाशित होने के अड़तालीस घंटों के भीतर उसकी सार्वजनिक सूचना देगी और नियम 77 के उप-नियमो (4) और (5) का पालन करेगी।

15. प्राधिकार का अभ्यर्पण—(1) कोई नई प्राधिकृत इकाई जो किसी प्राधिकार को अभ्यर्पण करना चाहती है, वह पोर्टल पर यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रपत्र और ऐसी रीति से, वचन पत्र तथा अन्य जानकारी के साथ जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है, आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को अनुमोदित या अस्वीकृत कर सकती है, और यदि अनुमोदित किया जाता है, तो अभ्यर्पित किए गए प्राधिकार से संबंधित विवरण केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे।

(3) इस नियम के अधीन अपने प्राधिकार को समर्पित करने वाली नई प्राधिकृत इकाई, पोर्टल पर ऐसे विवरण प्रकाशित होने के अड़तालीस घंटों के भीतर—

- (क) ऐसे अभ्यर्पण की सार्वजनिक सूचना देगी;
- (ख) अपनी विविध दूरसंचार सेवाओं के प्रत्येक उपयोगकर्ता को निम्नलिखित की सूचना देगी —

- (i) अभ्यर्पण की प्रभावी तारीख, जो उपयोगकर्ता को ऐसी सूचना दिए जाने की तारीख से इकतीसवां दिन होगी; और
- (ii) ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्प; और
- (ग) खंड (ख) के अधीन उपयोगकर्ताओं को सूचित की गई अभ्यर्पण की प्रभावी तारीख के बारे में केंद्रीय सरकार को सूचित करेगी।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रभावी तारीख तक, विविध दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क की गुणवत्ता बनाए रखेगा।

(5) हर नई प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (3) के खंड (ख) में बताई गई अभ्यर्पण की प्रभावी तारीख तक, केंद्रीय सरकार को देय और भुगतान योग्य सभी राशियाँ चुकाएगी, जिसमें प्राधिकार शुल्क भी शामिल है।

(6) इस नियम के अधीन अपना प्राधिकार अभ्यर्पित करने वाली नई प्राधिकृत इकाई, ऐसे प्राधिकार के संबंध में या उसके अधीन चुकाए गए किसी भी शुल्क या प्रभार की वापसी की हकदार नहीं होगी।

16. प्राधिकार के रद्द होने, अभ्यर्पण या समाप्त होने पर की जाने वाली कार्रवाइयाँ—किसी नई प्राधिकृत इकाई के पास विद्यमान प्राधिकार के रद्द होने, अभ्यर्पित होने या समाप्त होने पर—

- (क) ऐसे प्राधिकार के संबंध में उस इकाई को आवंटित स्पेक्ट्रम, यदि कोई हो, ऐसे रद्द होने, अभ्यर्पण या समाप्त होने की प्रभावी तारीख से वापस ले लिया जाएगा; और
- (ख) वह इकाई अपने रेडियो उपकरणों का प्रबंधन लागू विधि के अनुसार करेगी।

17. प्रवर्जन के परिणाम—(1) यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई, दूरसंचार (प्रवर्जन के लिए निबंधन और शर्तें) नियम 2026 के अधीन प्रवर्जन के लिए आवेदन करती है, तो उस नई प्राधिकृत इकाई का कोई भी व्यापी प्राधिकार, ऐसे प्रवर्जन की प्रभावी तारीख से स्वतः ही समाप्त माना जाएगा।

(2) व्यापी प्राधिकार का त्याग, ऐसे व्यापी प्राधिकार से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जो दूरसंचार (प्रवर्जन के लिए निबंधन और शर्तें) नियम 2026 के अनुसार लागू रहेंगे।

18. सैट ऑफ—(1) केन्द्रीय सरकार ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को उसके द्वारा देय किसी भी राशि के विरुद्ध केंद्रीय सरकार को किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा देय किसी भी राशि को समायोजित या सेट ऑफ कर सकती है, चाहे ऐसी राशि वर्तमान में देय हो या भविष्य में किसी भी समय देय हो सकती है, जिसमें नकदीकरण से उत्पन्न होने वाली कोई राशि, गारंटी का दावा या विनियोग भी शामिल है।

(2) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (1) के अधीन की गई किसी भी कार्रवाई के बाद, संबंधित नए प्राधिकृत इकाई को ऐसे मुआवजा के बारे में सूचित करेगी।

19. देय राशि की वसूली—वसूली के अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों के अधीन किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा केंद्रीय सरकार को देय कोई भी राशि, यदि भुगतान नहीं की जाती है, तो उसे भू-राजस्व के देय राशि के रूप में वसूल की जाएगी।

20. जानकारी मांगने की शक्ति—केंद्रीय सरकार, इन नियमों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से, किसी नई प्राधिकृत इकाई से ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकती है, जिसकी वह मांग करे।

21. शिथिल करने की शक्ति—जहां केंद्रीय सरकार को ऐसा करना ज़रूरी या उचित लगे, चाहे किसी नई प्राधिकृत इकाई के अनुरोध पर या किसी अन्य रीति से, या किसी प्राकृतिक आपदा या ऐसी किसी घटना के होने पर जिसने, सरकार की राय में,

ऐसी नई प्राधिकृत इकाई या वैसी ही स्थिति वाली नई प्राधिकृत इकाइयों के समूह को इन नियमों के अधीन अपने किसी भी उत्तरदायित्व को पूरा करने से रोका हो, तो वह लिखित में दर्ज कारणों के साथ आदेश द्वारा, ऐसी उत्तरदायित्व को पूरा करने में ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन छूट दे सकती जैसा वह निर्णय करें।

22. आदेश, निदेश या दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति—केंद्रीय सरकार, इन नियमों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से, ऐसे आदेश, निदेश या दिशानिर्देश जारी कर सकती है जो अधिनियम या इन नियमों के विपरीत न हों; ये आदेश, निदेश या दिशानिर्देश हर नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होने वाले नियम और शर्तें माने जाएंगे।

अध्याय 4

तकनीकी और परिचालन शर्तें

23. दूरसंचार नेटवर्क—(1) हर नई प्राधिकृत इकाई, जिसके पास इन नियमों के अधीन प्राधिकार है, ऐसे प्राधिकार की परिधि का पालन करते हुए, दूरसंचार नेटवर्क स्थापित, संचालित, रखरखाव या उसका विस्तार कर सकती है, और रेडियो उपस्कर भी अपने पास रख सकती है; इसके लिए उसे अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) या (ग) के अधीन अलग से प्राधिकार लेने की आवश्यकता नहीं होगी:

परंतु स्पेक्ट्रम के आबंटन और उपयोग के संबंध में, नियम 7 का उप-नियम (5) लागू होगा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकार के अनुसार, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप, विविध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार नेटवर्क स्थापित, संचालित, रखरखाव या उसका विस्तार करेगी; और यह सुनिश्चित करेगी कि उपयोग किए गए ऐसे दूरसंचार उपस्कर और दूरसंचार नेटवर्क, तथा प्रदान की गई ऐसी विविध दूरसंचार सेवाएं, उन लागू मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों के अनुरूप हों जिन्हें केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित कर सकती है।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, विविध दूरसंचार सेवाओं और उन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किए जा रहे दूरसंचार नेटवर्क का तकनीकी विवरण—जिसमें उसके द्वारा उपयोग की गई तकनीक का विवरण भी शामिल है—केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण को समय पर प्रस्तुत करेगी, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किसी भी निर्देश के अनुसार अपेक्षित हो।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगी—जिसमें मार्ग का अधिकार के संबंध में व्यवस्था भी शामिल है—और आवश्यक बुनियादी ढांचे, दूरसंचार उपकरणों और प्रणालियों की स्थापना, संचालन, रखरखाव, विस्तार और चालू करने के लिए, तथा अपने दूरसंचार नेटवर्क के सभी पहलुओं के लिए, पूरी तरह से स्वयं उत्तरदायी होगी:

परंतु ऐसी नई प्राधिकृत इकाई, आपसी सहमति की शर्तों पर, यथास्थिति, अन्य नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों से दूरसंचार नेटवर्क, निष्क्रिय दूरसंचार बुनियादी ढांचा या दूरसंचार संसाधन प्राप्त कर सकती है।

(5) नई प्राधिकृत इकाई द्वारा मार्ग अधिकार की अनुपलब्धता, या मार्ग अधिकार की अनुमति प्राप्त करने में होने वाली देरी, 'रोल-आउट दायित्वों' को पूरा न करने या इन नियमों के अधीन किसी अन्य दायित्व का पालन न करने का कारण या आधार नहीं मानी जाएगी।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उन आदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी जिन्हें केंद्रीय सरकार निम्नलिखित विषयों के संबंध में जारी कर सकती है, अर्थात्:—

(क) ऊर्जा-कुशल दूरसंचार उपकरणों की तैनाती।

(ख) देश में बने दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए बाज़ार में प्राथमिकता।

24. दूरसंचार नेटवर्क के भागों की जगह—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार द्वारा तय किए गए सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में दूरसंचार नेटवर्क बनाने या उसका विस्तार करने से पहले, केंद्रीय सरकार से मंजूरी के लिए पोर्टल पर आवेदन करेगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि—

(क) उसके दूरसंचार नेटवर्क के सभी सिस्टम,—

- (i) जिनका वह स्वयं स्वामी है या जिन्हें उसने किसी दूसरी नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी से सेवा के तौर पर लिया है; या
- (ii) जिन्हें उसने किसी दूसरी नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी से पट्टा, किराए या साझेदारी के आधार पर लिया है;

विविध दूरसंचार सेवाएँ देने के लिए उसे मिली मंजूरी वाले सेवा क्षेत्रों के अंदर ही स्थित हों:

परंतु जिन मामलों में दूरसंचार नेटवर्क किसी ऐसे क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क देने वाले से सेवा के तौर पर लिया गया हो जिसे लागू विधि के अधीन मंजूरी मिली हो, तो ऐसे दूरसंचार नेटवर्क के प्रणाली भारत में कहीं भी स्थित हो सकते हैं; और

(ख) खंड (क) में बताया गए उसके दूरसंचार नेटवर्क से जुड़ा सारा डेटा, लॉग और जानकारी भारत के अंदर ही स्टोर की जाएगी और इस डेटा लॉग और जानकारी को रूट, साझा करने और भारत से बाहर उपलब्ध कराया जाएगा।

25. दूरसंचार नेटवर्क और अवसंरचना को साझा करना—(1) कोई नई प्राधिकृत इकाई, जिसके पास अलग-अलग प्राधिकार हैं, अपने प्राधिकार की परिधि में अनुमत विविध दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपने निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना, दूरसंचार उपस्कर या अपने दूरसंचार नेटवर्क की किसी अन्य प्रणाली को साझा कर सकती है; इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करे।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित नई प्राधिकृत इकाई, किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के साथ अपने दूरसंचार अवसंरचना, दूरसंचार उपस्कर या अपने दूरसंचार नेटवर्क की किसी अन्य प्रणाली को साझा करने के लिए आपसी समझौते कर सकती है।

26. उपयोगकर्ताओं को विविध दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने की शुरुआत—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार को पोर्टल पर पूर्व सूचना देने के बाद, अपने प्राधिकार की परिधि में अनुमत किसी भी विविध दूरसंचार सेवा को प्रदान करना शुरू करेगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उपयोगकर्ताओं को विविध दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने की शुरुआत की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, केंद्रीय सरकार को उपयोगकर्ताओं को विविध दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने की शुरुआत की तारीख की सूचना देगी।

27. विविध दूरसंचार सेवा का उपबंध—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई—

(क) अपनी विविध दूरसंचार सेवाओं के लिए पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के बीच, ऐसी दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के वाणिज्यिक सिद्धांतों के संबंध में कोई भेदभाव नहीं करेगी; और

(ख) अपने उपयोगकर्ताओं को विविध दूरसंचार सेवाओं के उपयोग के लिए, अपने स्वयं के नाम पर, बिल, इनवॉइस या वाउचर, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, जारी करेगी या जारी करवाएगी; जिसमें उपयोगकर्ताओं को ऐसे बिल, इनवॉइस या वाउचर की प्रामाणिकता के बारे में पर्याप्त विवरण दिए जाएंगे।

(2) केंद्रीय सरकार पोर्टल पर उन प्रतिबंधों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जो भारत के राज्यक्षेत्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा या किसी भी अन्य ऐसे राज्यक्षेत्रों जैसा कि केंद्रीय सरकार पोर्टल पर बता सकती है, के पास पड़ने वाले प्रतिबंधित राज्यक्षेत्रों में अलग-अलग दूरसंचार सेवाओं को देने या उपयोग करने पर लागू होती हैं,:

परंतु ऐसे प्रतिबंधित राज्यक्षेत्रों में, केंद्रीय सरकार कुछ खास उपयोगकर्ताओं को ऐसी दूरसंचार सेवाएं देने या उपयोग करने की अनुमति दे सकती है, और एक नई प्राधिकृत इकाई इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर इसमें मदद करेगी।

(3) नियम 14, 15 और 77 में दिए गए उपबंधों के सिवाए, नई प्राधिकृत इकाई अपने उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग दूरसंचार सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करेगी।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई आवश्यक तंत्र स्थापित करेगी और उनका प्रचार करेगी, जिसमें एक ऑनलाइन व्यवस्था भी शामिल है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी सब्सक्राइब की गई अलग-अलग दूरसंचार सेवाओं से जुड़ी किसी भी शिकायत को दर्ज करा सकें और लागू विधि के अनुसार ऐसी शिकायतों का समाधान पा सकें।

(5) विविध दूरसंचार सेवा के उपबंध के संबंध में कोई विवाद केवल एक उपयोगकर्ता और नई प्राधिकृत इकाई के बीच होगा और ऐसी नई प्राधिकृत इकाई ऐसी दूरसंचार सेवाओं के उपबंध से पहले उपयोगकर्ता को विधिवत सूचित करेगी और केंद्रीय सरकार इस मामले में कोई दायित्व या उत्तरदायित्व नहीं उठाएगी।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई किसी भी कारण से उपयोगकर्ताओं के किसी भी दावे से उत्पन्न होने वाले सभी दावों, लागतों, प्रभारों या क्षति के संबंध में केंद्रीय सरकार को क्षतिपूर्ति करेगी।

(7) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारक को कोई दूरसंचार संसाधन प्रदान करते समय, स्वयं को संतुष्ट करेगी कि ऐसी नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारक ऐसे दूरसंचार संसाधन प्राप्त करने के लिए पात्र है।

(8) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारक से कोई दूरसंचार संसाधन प्राप्त करते समय, स्वयं का समाधान करेगी कि ऐसी नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारक ऐसे दूरसंचार संसाधन प्रदान करने के लिए पात्र है।

28. निरीक्षण करने और मूल्यांकन करने का अधिकार—(1) केंद्रीय सरकार, इन नियमों के अनुपालन की निगरानी के प्रयोजनों के लिए, इस संबंध में नई प्राधिकृत इकाई को युक्तियुक्त सूचना जारी करने के पश्चात्, -

(क) उन स्थलों तक पहुंच और निरीक्षण करना जहां उपयोगकर्ता के परिसर सहित विविध दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए दूरसंचार उपस्कर और दूरसंचार नेटवर्क स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन नियमों के अनुपालन के लिए ऐसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं या प्रणालियां:

परन्तु ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को कोई नोटिस प्रदान नहीं किया जाएगा यदि केंद्रीय सरकार यह समझती है कि जनहित में तत्काल कार्रवाई आवश्यक या समीचीन है:

परन्तु यह भी कि केंद्रीय सरकार, इन नियमों के पालन के लिए उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं या प्रणालियों की लेखा परीक्षा के लिए एक अभिहीत अभिकरण नियुक्त कर सकती है, ऐसे प्रभारों पर जो केंद्रीय सरकार निर्धारित कर सकेगी, जो उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा देय होगी:

परन्तु ऐसी अभिहीत अभिकरण किसी भी ऐसी जानकारी को एकत्र नहीं करेगी और न ही इसके प्रकटीकरण की अपेक्षा होगी जिसके प्रकटीकरण से किसी भी उपयोगकर्ता या नई प्राधिकृत इकाई की प्रतिस्पर्धी स्थिति को हानि हो सकती

है जिसमें कोई गोपनीय डेटा, व्यावसायिक रूप से मूल्य संवेदनशील डेटा, व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा, या दूरसंचार नेटवर्क या उस नई प्राधिकृत इकाई या उपयोगकर्ता के परिसर से प्रत्ययी संबंध द्वारा कवर की गई जानकारी शामिल है:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार यह मानती है कि नई प्राधिकृत इकाई की सूचना का संग्रह जो तीसरे परंतुक द्वारा कवर किया गया है, लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए आवश्यक है, तो वह अभिहित अभिकरण को ऐसे डेटा एकत्र करने का निदेश दे सकती है और इस संबंध में केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (1) के अधीन अपेक्षित लेखा परीक्षा और निरीक्षण की सुविधा के लिए अपेक्षित सुविधाएं और सहायता प्रदान करेगी।

29. सूचना की गोपनीयता—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई विविध दूरसंचार सेवाएं शुरू करने से पहले, केंद्रीय सरकार को लिखित रूप में पुष्टि करेगी कि उसने अपने कर्मचारियों और सलाहकारों द्वारा इस तरह के अनुपालन सहित डेटा गोपनीयता और उपयोगकर्ता सूचना की गोपनीयता की रक्षा के लिए लागू विधि का पालन सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित किसी भी सूचना को, सिवाय लिखित रूप में केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के, किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करेगी:

परंतु दूरसंचार नेटवर्क के ऐसे विवरण प्रदान करने के लिए ऐसे अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी जो इसके दूरसंचार उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं या निर्माताओं द्वारा अपेक्षित हो।

अध्याय 5

सुरक्षा की स्थिति

30. नई प्राधिकृत इकाई का प्रबंधन—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी, अर्थात्: -

(क) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे।

(ख) दूरसंचार नेटवर्क के प्रभारी मुख्य अधिकारी, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के सुरक्षा और प्रणाली प्रशासक निवासी भारतीय नागरिक होंगे।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई गृह मंत्रालय द्वारा किसी भी विदेशी नागरिक की सुरक्षा जांच सुनिश्चित करेगी-

(क) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वित्तीय अधिकारी के पदों पर ऐसे विदेशी नागरिक की नियुक्ति से पहले, और इस तरह की सुरक्षा जांच ऐसी नियुक्ति की अवधि के लिए वार्षिक आधार पर की जाएगी; तथा

(ख) अपने दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए ऐसे विदेशी नागरिकों की तैनाती से पूर्व।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) में उपबंधित सुरक्षा पुनरीक्षण के लिए ऐसे प्रपत्र और रीति से आवेदन करेगी जो केंद्रीय सरकार पोर्टल पर विनिर्दिष्ट करे, और इस संबंध में गृह मंत्रालय का विनिश्चय ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के लिए बाध्यकारी होगा।

31. उपयोगकर्ताओं का नामांकन और विविध दूरसंचार सेवाओं को सक्रिय करना- (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, किसी प्रयोक्ता की विविध दूरसंचार सेवाओं के नामांकन और सक्रिय करने से पहले, ऐसे आदेशों, निदेशों या दिशा-निर्देशों के अनुसार जो केंद्रीय सरकार इस संबंध में जारी कर सकती है, और किसी भी विधि के माध्यम से जो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई उचित समझे, ऐसे उपयोगकर्ता की पहचान करेगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उपयोगकर्ता के नामांकन के समय, अपने डेटाबेस में ऐसे प्रयोक्ता की जानकारी का ब्यौरा एकत्र करेगी और उसका अनुरक्षण करेगी, जिसमें प्रत्येक दूरसंचार सेवा के लिए अभिदाता डेटा रिकॉर्ड भी शामिल है और अपने प्रयोक्ताओं के अद्यतन डेटा के आधार पर ऐसे प्रपत्र और रीति से बनाए रखेगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) के अधीन अनुरक्षित डेटाबेस तक और किसी प्रयोक्ता की पता लगाने योग्य पहचान तक केंद्रीय सरकार, प्राधिकृत अभिकरण या अभिहीत अभिकरण को पहुंच प्रदान करेगी।

32. भारत में स्थित होने वाले डेटा— कोई भी नई प्राधिकृत इकाई उपयोगकर्ता की जानकारी को भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति या स्थान पर अंतरित नहीं करेगी:

परंतु इस नियम में कुछ भी, किसी भी वित्तीय प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करेगा जैसा कि इन नियमों के अधीन या लागू विधि के अधीन अपेक्षित हो सकता है।

33. अभिलेखों का अनुरक्षण—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई सभी प्रचालनों और कमांड लॉग के अभिलेखों का अनुरक्षण और स्टोर करेगी जिनमें निष्पादन प्राधिकारी, तारीख, समय और स्थान के विवरण के साथ दिए गए आदेश का विवरण शामिल होगा जिससे केंद्रीय सरकार या अभिहीत अभिकरण तक पहुँच हो सके-

(क) वास्तविक समय के आधार पर, कम से कम बारह महीने की अवधि के लिए; तथा

(ख) अगले चौबीस महीनों के लिए डिजिटल मोड में गैर-वास्तविक समय के आधार पर।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को ऐसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी विविध दूरसंचार सेवाओं के लिए सभी वाणिज्यिक रिकॉर्ड, ग्राहक डेटा रिकॉर्ड, कॉल डेटा रिकॉर्ड या कॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड या इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा रिकॉर्ड और किसी भी अन्य समान रिकॉर्ड को ऐसे रूप और रीति से बनाए रखेगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) के अधीन रखे गए अभिलेखों का ब्यौरा केंद्रीय सरकार या अभिहीत अभिकरण को ऐसी रीति से उपलब्ध कराएगी।

34. दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से लेन-देन की सूचना को सुरक्षित करना—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समय पर उपाय करेगी कि दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित संदेश सुरक्षित और संरक्षित हैं।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित संदेशों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी और संदेशों का अनधिकृत अवरोधन नहीं होगा:

परंतु इस उप-नियम में कुछ भी ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को लागू विधि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में निर्देश प्राप्त होने पर केंद्रीय सरकार, प्राधिकृत एजेंसी या अभिहीत अभिकरण को अपने दूरसंचार नेटवर्क से संदेशों और अन्य डेटा के रिकॉर्ड प्रदान करने से नहीं रोकेगा।

35. अनधिकृत या गैरविधिक क्रियाकलापों के लिए दूरसंचार नेटवर्क के उपयोग की रोकथाम—प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग केवल विविध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाए जिसके लिए उसे प्राधिकार प्राप्त है और वे सेवाएँ केवल वास्तविक (बोना फाइड) उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाएँ। साथ ही, नेटवर्क का उपयोग किसी ऐसे क्रियाकलाप के प्रचालन या किसी ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए न किया जाए जो अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) या वर्तमान में प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता हो, जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराधों को प्रतिबंधित करने वाली विधि भी शामिल हैं।

36. विश्वसनीय स्रोत और विश्वसनीय उत्पाद—(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिहीत प्राधिकारी केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक होगा, जो दूरसंचार उपकरणों की श्रेणियों का निर्धारण करेगा जिनके लिए विश्वसनीय स्रोतों

और विश्वसनीय उत्पादों से संबंधित सुरक्षा अपेक्षाएं लागू हैं, और इस प्रयोजन के लिए अपनी वेबसाइट पर इसे विनिर्दिष्ट करेंगे।

(2) अभिहित प्राधिकारी उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों की श्रेणियों के लिए संबंधित विश्वसनीय उत्पादों के साथ विश्वसनीय स्रोतों की सूची विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(3) अभिहित प्राधिकारी उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों की सूची में दूरसंचार उपकरणों को शामिल करने की प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(4) अभिहित प्राधिकारी उन व्यक्तियों की सूची भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनसे दूरसंचार उपस्कर की कोई खरीद नहीं की जा सकती है।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए अपनी वेबसाइट पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगी और अपने दूरसंचार नेटवर्क में केवल विश्वसनीय उत्पादों की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव और विस्तार करेगी।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अभिहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर स्वयं को पंजीकृत करेगी और दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार उपस्कर से संबंधित सुसंगत विवरण प्रदान करेगी जो ऐसे प्राधिकार द्वारा अपेक्षित हो।

(7) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, दूरसंचार उपस्करों और संबद्ध विश्वसनीय उत्पादों या उनकी श्रेणियों की अधिप्राप्ति से पहले, अपने दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना या उसके किसी उन्नयन या विस्तार के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगी, अर्थात्: -

(क) यदि अभिहित प्राधिकारी ने पहले से ही उप-नियम (2) के अधीन कुछ दूरसंचार उपकरणों और उनके संबंधित विश्वसनीय स्रोतों के रूप में निर्धारित कर लिया है तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई इसका पालन सुनिश्चित करेगी और अभिहित प्राधिकारी को ऐसे रूप और रीति से प्रस्तुत करेगी।

(i) दूरसंचार उपकरणों की सूची और वे स्रोत जिनसे वह प्राप्त करने की योजना बना रहा है; तथा

(ii) दूरसंचार उपस्करों की खरीद और उनके स्रोतों की आवधिक रिपोर्टें और उनकी स्थापना के स्थान क्या हैं।

(ख) यदि खंड (क) लागू नहीं होता है तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (3) के अधीन इस प्रयोजन के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, दूरसंचार उपस्कर और उनके स्रोतों का विवरण अभिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी जिसे इसे प्राप्त करना अपेक्षित है।

(ग) यदि अभिहित प्राधिकारी दूरसंचार उपस्कर और उनके स्रोतों को मंजूरी देता है जैसा कि उपर्युक्त खंड (ख) के अधीन प्रस्तुत किया गया है तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई इसे खरीदने और स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगी।

(घ) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई ऐसे निर्देशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी, जिसमें दूरसंचार नेटवर्क के बेहतर पर्यवेक्षण और प्रभावी नियंत्रण के लिए मार्गदर्शन शामिल है जो केंद्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी इस संबंध में जारी कर सकते हैं।

(8) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने पर अपने दूरसंचार नेटवर्क में इकाईपित या इकाईपित किए जा रहे दूरसंचार उपकरणों से संबंधित सुसंगत तकनीकी, प्रचालन, आपूर्ति श्रृंखला और सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान करेगी।

(9) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई इस नियम के अनुपालन से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों को पोर्टल के माध्यम से, ऐसी तारीख को प्रस्तुत करेगी।

(10) ये नियम अधिनियम की धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक या समीचीन समझे जाने वाले किसी अन्य उपाय के लिए प्रतिकूल नहीं होंगे, जो नए प्राधिकृत इकाइयों पर बाध्यकारी होगा।

37. कतिपय कार्य-कलापों का प्रतिषेध—(1) इन नियमों के अधीन स्थापित एक नई प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग निम्नलिखित के प्रसारण के लिए नहीं किया जाएगा-

(क) ऐसे संदेश जो लागू विधि के अनुसार अवैध या अनधिकृत हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अधीन बनाए गए नियम शामिल हैं; या

(ख) किसी भी रूप में कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन करने वाले संदेश।

(2) केंद्रीय सरकार से ऐसा निदेश प्राप्त होने पर या न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क में उप-नियम (1) के उल्लंघन में संदेश के प्रसारण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसका दूरसंचार नेटवर्क या उसकी स्थापना सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरा न बन जाए और किसी भी लागू विधि का उल्लंघन न करे।

38. साधारण सुरक्षा शर्तें—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई -

(क) अपने दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(ख) केंद्रीय सरकार को जासूसी, विध्वंसक कृत्यों, तोड़फोड़ या किसी अन्य गैरविधिक क्रियाकलापों की किसी भी स्थिति का उत्तर देने के लिए अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करना;

(ग) ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी सटीकता के अधीन जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इस प्रकार विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमा के संबंध में विनिर्दिष्ट कर सकती है विविध दूरसंचार सेवाओं के उपबंध को निलंबित करने की क्षमता सुनिश्चित करना।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ प्राधिकार के सेवा क्षेत्र के सटीक परिसेमन के लिए भारतीय सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों का, यदि कोई हो, पालन करेगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई इन नियमों के उपबंधों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित तकनीकी और संगठनात्मक उपायों और उचित सुरक्षा उपायों को लागू करेगी।

अध्याय 6

विविध दूरसंचार सेवाओं के प्रकारों के लिए विशिष्ट शर्तें

39. अध्याय 6 की प्रयोज्यता—(1) अध्याय 1 से अध्याय 5 में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त, इस अध्याय के विभिन्न भागों में उल्लिखित नियम इस अध्याय के सुसंगत भाग के दायरे में विनिर्दिष्ट विशिष्ट विविध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली एक नई प्राधिकृत इकाई पर भी लागू होंगे।

(2) अध्याय 1 से अध्याय 5 और अध्याय 6 के उपबंधों के बीच किसी भी मतभेद की स्थिति में, अध्याय 6 में उल्लिखित नियम ऐसे मतभेद की सीमा तक प्रबल होंगे।

भाग क

पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार

40. भाग क की प्रयोज्यता—यह भाग एक नए प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा जो पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार रखती है, और इस भाग में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के सिवाए, अभिव्यक्ति "नई प्राधिकृत इकाई" का कोई भी संदर्भ ऐसे नए प्राधिकृत इकाई को निर्दिष्ट करता है जो पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग प्राधिकार रखता है।

41. पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार का कार्यक्षेत्र— (1) पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार में पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार के उपबंध के लिए प्राधिकार शामिल है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई जिसके पास पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार है, वायरलेस स्थलीय नेटवर्क के माध्यम से पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार प्रदान कर सकती है।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल ऐसी विविध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगी जो उसके प्राधिकार की परिधि में प्राधिकृत हैं, न कि कोई अन्य दूरसंचार सेवा जिसके लिए केंद्रीय सरकार से अलग प्राधिकार की आवश्यकता होती है।

42. शुल्क और प्रभार—(1) इस भाग के प्रयोजनों के लिए-

(क) नई प्राधिकृत इकाई के "सकल राजस्व" में नई प्राधिकृत इकाई को उसके प्रचालन और क्रियाकलापों से प्राप्त सभी प्रकार के राजस्व और किसी भी स्रोत से अर्जित सभी आय शामिल होगी, जिसमें खर्चों की संबंधित मदों के लिए कोई सेट-ऑफ के बिना लाभांश, किराया, अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ और विविध आय शामिल है, किंतु इन तक सीमित नहीं है;

(ख) "लागू सकल राजस्व" से राजस्व, जो नीचे सूचीबद्ध मदों द्वारा कम की गई नई प्राधिकृत इकाई के सकल राजस्व के बराबर होगा, -

(i) दूरसंचार क्रियाकलापों या प्रचालन के अलावा अन्य प्रचालन से प्राप्त राजस्व;

(ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकार, अनुमति या पंजीकरण के अधीन क्रियाकलापों से प्राप्त राजस्व;

(iii) डिजिटल भारत निधि से प्राप्तियां; तथा

(iv) निम्नलिखित मदों के अंतर्गत आने वाला राजस्व, अर्थात् -

(क) लाभांश से प्राप्त आय;

(ख) ब्याज से प्राप्त आय;

(ग) अचल संपत्तियों और प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ के कारण पूंजीगत लाभ;

(घ) विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव से लाभ;

(ङ) संपत्ति के किराए से प्राप्त आय;

(च) बीमा दावे;

(छ) वसूल किए गये अनुचित ऋण; तथा

(ज) अतिरिक्त उपबंध वापस लागू किए गए:

परंतु केंद्रीय सरकार इन राजस्व स्रोतों पर लागू विवरण और शर्तों और उनकी गणना के तरीके को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(ग) "समायोजित सकल राजस्व" से राजस्व जो लागू सकल राजस्व के बराबर होगा अभिप्रेत है;

(घ) "समायोजित सकल राजस्व से जुड़े स्पेक्ट्रम शुल्क" से पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार के संबंध में, स्पेक्ट्रम के समनुदेशन के संबंध में शुल्क अभिप्रेत है, जिसकी गणना लागू विधि के अधीन निर्दिष्ट दर पर समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार के लिए ऐसे प्राधिकार की प्रभावी तारीख से वार्षिक प्राधिकार शुल्क का भुगतान करेगी, जो उप-नियम (3) से (5) में विनिर्दिष्ट राशियों के अधीन, जैसा लागू हो, समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत होगा,

(3) प्राधिकार की प्रभावी तारीख के दूसरे वर्ष से, और प्रत्येक बाद के वर्ष के लिए प्राधिकार शुल्क निम्नलिखित में से अधिक होगा-

(क) समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत; या

(ख) अनुसूची क में विनिर्दिष्ट लागू प्रवेश शुल्क का तीस प्रतिशत।

(4) मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार के नवीनीकरण की स्थिति में, नवीनीकरण की प्रभावी तारीख से प्राधिकार शुल्क निम्नलिखित से अधिक होगा-

(क) समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत; या

(ख) अनुसूची क में विनिर्दिष्ट लागू प्रवेश शुल्क का तीस प्रतिशत।

(5) पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार के निबंधन और शर्तों के लिए अनुज्ञप्ति के अंतरण की स्थिति में, प्रवर्जन की प्रभावी तारीख से प्राधिकार शुल्क निम्नलिखित से अधिक होगा-

(क) समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत; या

(ख) अनुसूची क में विनिर्दिष्ट लागू प्रवेश शुल्क का तीस प्रतिशत:

परंतु यदि अनुज्ञप्तिधारक अनुज्ञप्ति की प्रभावी तारीख के बारह माह के भीतर अंतरित हो गया है, तो उप-नियम (5) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्राधिकार शुल्क अनुज्ञप्ति की प्रभावी तारीख से बारह माह के पूरा होने तक शेष अवधि के लिए देय होगा।

(6) उप-नियम (2) से (5) के अधीन प्राधिकार शुल्क में डिजिटल भारत निधि के लिए देय राशि शामिल होगी, जो ऐसे प्राधिकार शुल्क के पांच-आठवें के बराबर होगी।

(7) उप-नियम (2) से (5) में विनिर्दिष्ट डिजिटल भारत निधि के लिए प्राधिकार शुल्क या राशि की दर, प्राधिकार की अवधि के भीतर किसी भी समय भिन्न हो सकती है।

(8) यदि नई प्राधिकृत इकाई प्राधिकार शुल्क के अतिरिक्त लागू विधि के अधीन स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार प्राप्त कर लेती है तो समायोजित सकल राजस्व से संबद्ध स्पेक्ट्रम प्रभार नियम 43 के अनुसार देय होंगे।

43. भुगतान की समय-सरिणी—(1) इन नियमों के अधीन अवधा समायोजित सकल राजस्व से संबद्ध प्राधिकार शुल्क या स्पेक्ट्रम प्रभार एक नई प्राधिकृत इकाई द्वारा पहली अप्रैल से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाही किस्तों में देय होंगे, और प्राधिकार की किसी भी अवधि के लिए शुल्क की गणना प्रासंगिक तिमाही में दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर यथानुपात आधार पर की जाएगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई समायोजित सकल राजस्व से संबद्ध प्राधिकार शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों की तिमाही किस्तों का भुगतान निम्नलिखित रीति से करेगी, अर्थात् -

(क) किसी वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक के संबंध में त्रैमासिक किस्त का भुगतान संबंधित तिमाही के पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा; तथा

(ख) अंतिम तिमाही के लिए त्रैमासिक किस्त का भुगतान पच्चीस मार्च तक अग्रिम रूप से किया जाएगा, जिसकी गणना उस तिमाही के लिए अपेक्षित राजस्व के आधार पर की जाएगी, जो पिछली तिमाही के लिए भुगतान

किए गए समायोजित सकल राजस्व से जुड़े प्राधिकार शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क के बराबर न्यूनतम राशि के अधीन होगी:

परंतु नई प्राधिकृत इकाई अंतिम तिमाही के लिए किए गए अग्रिम भुगतान और ऐसी तिमाही के लिए विधिवत देय वास्तविक राशि के बीच के अंतर को अगले वित्तीय वर्ष के पंद्रह अप्रैल तक समायोजित और भुगतान करेगी।

(3) उप-नियम (2) के अनुसार भुगतानों की गणना सुसंगत तिमाही के लिए प्रोद्भवन आधार पर राजस्व के आधार पर की जाएगी, ऐसे भुगतान, प्रत्येक उस प्राधिकार के संबंध में जिसे नई प्राधिकृत इकाई धारण करती है, एक स्व-प्रमाणपत्र तथा राजस्व विवरण के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, यह प्रस्तुति उस प्रपत्र और प्रक्रिया के अनुसार होगी जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है। उक्त स्व-प्रमाणपत्र और राजस्व विवरण पर नए प्राधिकृत निकाय के ऐसे प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर तथा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन किया जाएगा जिन्हें बोर्ड के संकल्प और अटॉर्नी की साधारण शक्ति द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया है।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की जून की तीस तारीख को या उससे पहले-

(क) पिछले वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए राजस्व का विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन नियुक्त इसके लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित और हस्ताक्षरित पोर्टल पर विनिर्दिष्ट ऐसे रूप और रीति से प्रस्तुत करना तथा

(ख) उप-नियम (2) के आधार पर पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उप-नियम (5) के अनुसार लागू ब्याज सहित समायोजित सकल राजस्व से जुड़े प्राधिकार शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों का अंतिम समायोजन करें।

(5) समायोजित सकल राजस्व से जुड़े प्राधिकार शुल्क या स्पेक्ट्रम प्रभारों के भुगतान में किसी भी विलंब की स्थिति में या इस तरह के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के बाद नई प्राधिकृत इकाई द्वारा देय किसी अन्य देय राशि की स्थिति में, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई भी संबंधित वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अर्थात् 1 अप्रैल को, भारतीय स्टेट बैंक की विद्यमान उधार देने की दर के आधार पर निधियों की एक वर्ष की सीमांत लागत की दर से परिकलित ब्याज और वार्षिक रूप से दो प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

परंतु ब्याज की गणना के प्रयोजन के लिए एक महीने के किसी भी भाग को पूरे महीने के रूप में माना जाएगा।

(6) प्रत्येक नए प्राधिकृत इकाई को उप-नियम (3) के अंतर्गत प्रस्तुत त्रैमासिक राजस्व विवरणों में दर्शाए गए आंकड़ों तथा वार्षिक खातों में दर्शाए गए आंकड़ों के बीच सामंजस्य का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अंतर्गत नियुक्त उसके लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके साथ प्रकाशित वार्षिक खातों तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रति भी संलग्न करनी होगी। यह लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से सात दिनों के भीतर अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरणों को दाखिल करने हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

परंतु वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व का विवरण और सुलह विवरण ऐसे मानदंडों या आदेशों या निर्देशों के अनुसार तैयार किए जाएंगे जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है।

(7) इन नियमों के अधीन देय और देय होने वाली सभी धनराशि का भुगतान नई प्राधिकृत इकाई द्वारा इस तरह से किया जाएगा जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है।

44. प्राधिकार के लिए गारंटी अपेक्षाएं—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, ऐसे रूप में और रीति से, जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रस्तुत करेगी, अर्थात्: -

(क) किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या सार्वजनिक वित्तीय इकाई से बैंक गारंटी, इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की न्यूनतम वैधता अवधि के साथ;

(ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, एक भारतीय बीमा कंपनी द्वारा जारी किया गया एक प्रदर्शन बांड, इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की न्यूनतम विधिमान्य अवधि सहित; या

(ग) केंद्रीय सरकार के पास बिना ब्याज वाली नकद जमा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूति का प्रयोजन प्राधिकार के सभी निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें प्राधिकार फीस का संदाय, समायोजित सकल राजस्व से जुड़े स्पेक्ट्रम प्रभार, प्राधिकार के किसी भी निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन या भंग के लिए लगाया गया जुर्माना या आदेशों का अनुपालन न करना, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों और प्राधिकार के अधीन संदेय कोई अन्य देय शामिल है, लेकिन यह यही तक सीमित नहीं है।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत प्रत्याभूति केंद्रीय सरकार द्वारा वार्षिक समीक्षा के अधीन होगी और नए प्राधिकृत इकाई प्राधिकार की अवधि के दौरान, या जब तक प्राधिकार के अधीन सभी देय राशियों को चुकाया नहीं जाता है, जो भी बाद में हो, एक विधिमान्य प्रत्याभूति बनाए रखेगी:

परंतु आशय पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रारंभिक प्रत्याभूति अनुसूची क में पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार के संबंध में विनिर्दिष्ट रकम के लिए या नियम 6 के उप-नियम (6) के अनुसार एक रकम के लिए होगी, और प्राधिकार के प्रत्येक बाद के वर्ष के लिए, प्रत्याभूति केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित रकम, उच्च के आधार पर, के लिए होगी -

(क) अनुसूची क में पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार के संबंध में विनिर्दिष्ट प्रारंभिक प्रत्याभूति की रकम; या

(ख) संयुक्त प्राक्कलित रकम का बीस प्रतिशत, जिसकी गणना उस प्रक्रिया के अनुसार की जाती है जैसा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है, निम्नलिखित में से: -

(i) दो तिमाहियों के लिए संदेय प्राधिकार फीस;

(ii) समायोजित सकल राजस्व से जुड़े स्पेक्ट्रम प्रभार दो तिमाहियों के लिए देय हैं; तथा

(iii) कोई अन्य बकाया जो अन्यथा सुरक्षित नहीं है।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई ऐसी प्रत्याभूति की विधिमान्यता अवधि को उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम एक मास पहले केन्द्रीय सरकार से बिना किसी मांग या सूचना के बढ़ाएगी।

(5) प्राधिकार की अवधि के दौरान किसी भी समय विधिमान्य प्रत्याभूति बनाए रखने में विफलता, या जब तक प्राधिकार के अधीन सभी देय राशियों को मंजूरी नहीं दी जाती है, जो भी बाद में हो, केंद्रीय सरकार को बैंक प्रत्याभूति को भुनाने, प्रदर्शन बांड का दावा करने या नकद जमा, नई प्राधिकृत इकाई को कोई सूचना दिए बिना, को उपयुक्त बनाने का अधिकार देगा,:

परंतु ऐसी प्रत्याभूति के नकदीकरण, दावे या विनियोग पर केंद्रीय सरकार द्वारा कोई ब्याज या प्रतिकर संदेय नहीं होगा।

(6) यदि प्रत्याभूति को पूरी तरह या आंशिक रूप से नकदीकरण किया गया है, दावा किया गया है या विनियोजित किया गया है, तो नई प्राधिकृत इकाई इस तरह की नकदीकरण, दावा की गई या विनियोजित प्रत्याभूति को उसके तीस दिनों के भीतर पूरी रकम में बहाल करेगी:

परंतु केंद्रीय सरकार, इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले ऐसे नई प्राधिकृत इकाई से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के अध्यक्षीन, ऐसी बहाली के लिए दस दिनों से अधिक के एकमुश्त विस्तार की अनुमति नहीं दे सकती है।

(7) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित मामलों में नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रत्याभूति को नकदीकरण करने, दावा करने या उसका विनियोग कर सकेगी, अर्थात् -

- (क) प्राधिकार फीस का संदाय न करना, समायोजित सकल राजस्व से जुड़े स्पेक्ट्रम प्रभार, या प्राधिकार या समनुदेशन के अधीन देय किसी भी अन्य बकाये का संदाय न करना;
- (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित शास्ति से उद्भूत बकाया राशि का संदाय न करना; या
- (ग) प्राधिकार या समनुदेशन के कोई अन्य निबंधन या शर्त का उल्लंघन:

परंतु इस उप-नियम के अधीन कोई कार्रवाई करने से पहले, केंद्रीय सरकार ऐसे नई प्राधिकृत इकाई को नोटिस जारी कर सकती है और इसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर सकती है।

(8) प्राधिकार के प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण या अवसान पर, केंद्रीय सरकार उन सभी देय राशियों की निकासी सुनिश्चित करने के प्रश्चात ही प्रत्याभूति जारी करेगी, जो ऐसे नई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है:

परंतु केंद्रीय सरकार को देय राशि का संदाय करने में विफलता के मामले में, बकाया रकम केंद्रीय सरकार को देय रकम की वसूली के लिए किसी अन्य कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, उप-नियम (7) में प्रदान किए गए प्रत्याभूति के नकदीकरण, दावे या विनियोग के माध्यम से वसूल की जाएगी।

45. समायोजित सकल राजस्व से जुड़ी प्राधिकार फीस और स्पेक्ट्रम प्रभारों का निर्धारण—(1) केंद्रीय सरकार समायोजित सकल राजस्व से जुड़े प्राधिकार फीस और स्पेक्ट्रम प्रभारों का निर्धारण उस प्रक्रिया के अनुसार कर सकती है जो इस संबंध में पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "निर्धारण" में पुनर्निर्धारण और पुनर्गणना शामिल होगी।

(2) यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए या किसी भिन्न सेवा क्षेत्र में एक ही दूरसंचार सेवा के लिए एक से अधिक प्राधिकार रखती है, तो वह प्रत्येक प्राधिकार के लिए अलग-अलग खाते और प्राधिकार फीस की गणना का एक अलग विवरण आकर्षित, अनुरक्षित और प्रस्तुत करेगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उसके प्रत्येक प्राधिकार के संबंध में-

- (क) लेखांकन अभिलेख संकलित करना और अनुरक्षित करना, जो प्राधिकार की अवधि के दौरान या ऐसी कम अवधि के प्रत्येक पूर्ण तिमाही के संबंध में अपने संव्यवहार को दर्शाने और उल्लेख करने के लिए पर्याप्त हैं, जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है, जिसमें पूंजीगत लागत, राजस्व और प्राधिकार के अधीन ऐसे नई प्राधिकृत इकाई के व्यवसाय की वित्तीय स्थिति सहित लागतों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नियोजित अस्थियों और दायित्वों, राजस्व या किसी अन्य प्रयोजन की मात्रा के लिए उस नई प्राधिकृत इकाई के व्यवसाय के कारण, का युक्तियुक्त मूल्यांकन शामिल है;

- (ख) यह सुनिश्चित करना कि अन्य नई प्राधिकृत इकाईओं या अनुज्ञप्तिधारकों, जिनके पास कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, के साथ खातों का द्विपक्षीय निपटान पारदर्शी तरीके से सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाता है; तथा

(ग) नेटवर्क और सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रभारों के संबंध में अन्य नई प्राधिकृत इकाईओं या अनुज्ञप्तिधारियों के साथ खातों के निपटान के लिए तंत्र के साथ-साथ वास्तविक निपटान का ब्यौरा केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करना।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकार के अधीन पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार के उपबंध से संबंधित बिलिंग और अन्य लेखा अभिलेख को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और हार्ड कॉपी में, अपने सम्यक रूप से लेखापरीक्षित और अनुमोदित वार्षिक खातों के प्रकाशन की तारीख से कम से कम छह वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखेगा और संरक्षित करेगा:

परंतु कि यदि ऐसे नई प्राधिकृत इकाई ऐसे अभिलेखों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखना और संरक्षित करना चाहती है तो वह केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसा कर सकती है जिस पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जा सकता है, और इस तरह के अनुमोदन को स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने पर, ऐसे अभिलेख को कंपनी (लेखा) नियमों के नियम 3, 2014 अनुसार बनाए रखा और संरक्षित किया जाएगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन बना है।

परंतु कि यदि प्राधिकार फीस, एजीआर से जुड़े स्पेक्ट्रम प्रभार या किसी भी अवधि के लिए कोई अन्य प्रभार विवाद के अधीन है, तो उक्त अभिलेख को इस तरह के विवाद का समाधान नहीं हो जाने तक अनुरक्षित किया जाएगा।

(5) केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय, नई प्राधिकृत इकाई को सूचना प्रदान करने या वार्षिक लेखाओं की पुस्तकों तक पहुँच प्रदान करने का निदेश दे सकेगी जो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकार की शर्तों के अधीन रखता है और वह नई प्राधिकृत इकाई तत्काल ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(6) केंद्रीय सरकार, किसी भी समय, किसी नई प्राधिकृत इकाई के अभिलेखों की ऐसी संवीक्षा, जो वह अवधारित करे, प्राधिकार फीस, समायोजित सकल राजस्व से संबद्ध स्पेक्ट्रम प्रभारों और किसी अन्य प्रभारों सहित केंद्रीय सरकार को संदेय रकमों के स्वतंत्र सत्यापन को सुकर बनाने की दृष्टि से, के अधीन कर सकेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार, इस राय के बनने पर कि पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार प्राधिकरण या नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत वार्षिक खातों के संबंध में राजस्व के विवरण गलत या भ्रामक हैं, या किसी अन्य कारण से, ऐसे नई प्राधिकृत इकाई के खातों की लेखापरीक्षा का आदेश दे सकती है, जो एक या अधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करके, जिनके पास वही शक्तियां होंगी जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 143 की उप-धारा (1) के अधीन कंपनी के लेखा परीक्षकों के पास हैं, और ऐसे प्रभारों पर जो केन्द्रीय सरकार अवधारित कर सकती है, जो उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा संदेय होंगे।

(8) यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ मास के भीतर नियम 44 के उप-नियम (4) और (6) के अधीन वार्षिक लेखा, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो केंद्रीय सरकार, सभी उपलब्ध दस्तावेजों और सूचना और सुसंगत सामग्रियों की समीक्षा करने के पश्चात्, सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर समायोजित सकल राजस्व से जुड़े प्राधिकार फीस या स्पेक्ट्रम प्रभारों का मूल्यांकन कर सकती है।

परंतु कि इस तरह के निर्धारण के साथ आगे बढ़ने से पहले, केंद्रीय सरकार ऐसे नई प्राधिकृत इकाई को एक नोटिस जारी करेगी जो इसे सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

(9) इस नियम के अधीन कोई निर्धारण उप-नियम (10) के अधीन उपबंधित ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से चार वर्ष की अवधि के पश्चात् संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए नहीं किया जाएगा।

(10) केंद्रीय सरकार संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् और ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से छह वर्ष तक कर निर्धारण कर सकती है, यदि उसकी यह राय है कि वह रकम जो निर्धारण के अधीन नहीं है, ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए पचास लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के समतुल्य होने की संभावना है।

(11) उप-नियम (9) और उप-नियम (10) के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने के प्रयोजनों के लिए, किसी भी न्यायालय के आदेश या व्यादेश के अनुसार इस तरह के निर्धारण पर स्थगन की किसी भी अवधि को बाहर रखा जाएगा।

(12) उप-नियम (9) और उप-नियम (10) में किसी बात के होते हुए भी, समायोजित सकल राजस्व से संबंधित प्राधिकार फीस या स्पेक्ट्रम प्रभारों का निर्धारण सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित किसी निष्कर्ष या निदेश के अनुसरण में किसी भी समय किया जा सकता है।

(13) केंद्रीय सरकार, समायोजित सकल राजस्व से संबद्ध प्राधिकार फीस और स्पेक्ट्रम प्रभारों का उचित और सटीक निर्धारण, सत्यापन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे नई प्राधिकृत इकाई के लेखाओं और लेखा परीक्षा के संबंध में किसी भी विविध दूरसंचार सेवाओं के संबंध में नई प्राधिकृत इकाई को निदेश जारी कर सकेगी और यह कि नई प्राधिकृत इकाई ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

46. तकनीकी और परिचालन शर्तें—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारक के पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार के उपबंध के लिए स्थापित दूरसंचार नेटवर्क के साथ अपने दूरसंचार नेटवर्क को आपस में नहीं जोड़ेगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार प्रदान करने के लिए सेवा क्षेत्र के भीतर अपने रिपीटर स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी स्थापित कर सकती है।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई सार्वजनिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क या सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क के साथ अपने दूरसंचार नेटवर्क की आउटगोइंग कनेक्टिविटी स्थापित कर सकती है, ऐसी सीमाओं के अधीन जो केंद्रीय सरकार इस संबंध में जारी किए गए आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट करें।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पुनरावर्तक स्टेशन के स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकती है जिसके लिए स्पेक्ट्रम सौंपा गया है:

परंतु कि पुनरावर्तक स्टेशन के स्थान के इस तरह के प्रवर्जन के परिणामस्वरूप होने वाला रेडियो कवरेज उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहेगा जिसके लिए स्पेक्ट्रम सौंपा गया है।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर अतिरिक्त पुनरावर्तक स्टेशन स्थापित कर सकेगी, जिसके लिए स्पेक्ट्रम सौंपा गया है, लिखित रूप में केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसे प्रपत्र और रीति से आवेदन करके, जैसा कि इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है -

(क) नई पुनरावर्तक स्टेशन के लिए फ्रीक्वेंसी का अतिरिक्त ब्लॉक; या

(ख) ऐसे भौगोलिक क्षेत्र के भीतर विनिर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी का उपयोग, नई पुनरावर्तक स्टेशन पर विनिर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी के पूल से कुछ फ्रीक्वेंसी वाहकों के आंशिक प्रवर्जन के माध्यम से:

परंतु कि अतिरिक्त पुनरावर्तक स्टेशन की स्थापना के परिणामस्वरूप होने वाला रेडियो कवरेज, उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहेगा जिसके लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने रेडियो उपस्कर और प्रयोक्ता टर्मिनलों को लिखित रूप में केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसे प्रपत्र और रीति से किए गए आवेदन के अनुसरण में और ऐसे दस्तावेजों के साथ प्रतिस्थापित कर सकती है जो पोर्टल पर इस संबंध में विनिर्दिष्ट है।

(7) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता टर्मिनल प्राधिकार के निबंधन और शर्तों और सुसंगत आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार परिचालित किया जाए जो केंद्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर जारी कर सकती है।

- (ख) "ऑडियोटेक्स सेवा" से एक विविध दूरसंचार सेवा जो या तो एक इंटरैक्टिव या एक गैर-इंटरैक्टिव, गैर-वास्तविक समय, दूरसंचार सेवा अभिप्रेत है जो उपयोगकर्ताओं को मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से, दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से एक ऑडियोटेक्स डाटा बेस के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान करती है;
- (ग) "क्लाउड आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज सेवा" से उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज-ए-ए-सर्विस या संचार प्लेटफॉर्म-ए-ए-सर्विस प्रदान करना अभिप्रेत है; तथा
- (घ) "वॉयस मेल सेवा" से एक विविध दूरसंचार सेवा जो एक उपयोगकर्ता को एक अद्वितीय दूरसंचार पहचानकर्ता से जुड़े वॉयस मेलबॉक्स तक पहुंच प्रदान करना अभिप्रेत है।

(2) उद्यम संचार सेवा प्राधिकार में निम्नलिखित विविध दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार शामिल हैं जो वाणिज्यिक आधार पर उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाती हैं, अर्थात्: -

- (क) ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा;
- (ख) ऑडियोटेक्स सेवा;
- (ग) क्लाउड-आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज सेवा; तथा
- (घ) वॉयस मेल सेवा।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल ऐसी विविध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगी जो उसके प्राधिकार के दायरे में प्राधिकृत हैं, न कि कोई अन्य दूरसंचार सेवाएं जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से अलग प्राधिकार की आवश्यकता होती है।

51. फीस और प्रभार—(1) इस भाग ख के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियां-

- (क) नई प्राधिकृत इकाई के "सकल राजस्व" में ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को उसके प्रचालन और क्रियाकलापों से प्राप्त सभी प्रकार के राजस्व और किसी भी स्रोत से अर्जित सभी आय शामिल होगी, जिसमें ब्याज, लाभांश, किराया, स्थिर अस्तियों की बिक्री पर लाभ और विविध आय शामिल है, जिसमें व्यय की संबंधित मदों के लिए कोई सेट ऑफ नहीं है;
- (ख) "लागू सकल राजस्व" से, वह राजस्व जो नीचे सूचीबद्ध मदों द्वारा घटाए गए नई प्राधिकृत इकाई के सकल राजस्व के बराबर होगा, अभिप्रेत है-
- (i) दूरसंचार क्रियाकलापों या परिचालन के अलावा अन्य परिचालन से राजस्व;
- (ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकार, अनुमति या रजिस्ट्रीकरण के अधीन क्रियाकलापों से राजस्व;
- (iii) डिजिटल भारत निधि से प्राप्तियां; तथा
- (iv) निम्नलिखित मदों के अधीन आने वाला राजस्व, अर्थात् -
- (क) लाभांश से प्राप्त आय;
- (ख) ब्याज से प्राप्त आय;
- (ग) स्थिर अस्तियों और प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ के कारण पूंजीगत लाभ;
- (घ) विदेशी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से प्राप्त अभिलाभ;

- (ड) संपत्ति के किराए से प्राप्त आय;
- (च) बीमा दावे;
- (छ) वसूल किए गये डूबंत ऋण; तथा
- (ज) अतिरिक्त उपबंध वापस लिखे गए:

परंतु कि केंद्रीय सरकार इन राजस्व स्रोतों पर लागू विवरण और शर्तों और उनकी गणना की रीति को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

- (ग) "समायोजित सकल राजस्व" से राजस्व जिसकी गणना लागू सकल राजस्व से बाहर करके की जाएगी, सार्वजनिक स्विच किए गए टेलीफोन नेटवर्क या सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क के संबंध में कॉल फीस, जो वास्तव में अन्य नई प्राधिकृत इकाईओं या अनुज्ञप्तिधारियों, जिनके पास कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, को संदाय किया जाता है, अभिप्रेत है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई इस तरह के प्राधिकार की प्रभावी तारीख से उद्यम संचार सेवा प्राधिकार के लिए वार्षिक प्राधिकार फीस का संदाय करेगी, जो उप-नियम (3) से (5) में निर्दिष्ट रकमों के अधीन समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत, जैसा लागू हो, होगा।

(3) प्राधिकार की प्रभावी तारीख के दूसरे वर्ष से और प्रत्येक बाद के वर्ष के लिए प्राधिकार फीस अधिक होगा-

(क) समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत; या

(ख) एक लाख रुपए।

(4) उद्यम संचार सेवा प्राधिकार के नवीनीकरण की स्थिति में, नवीनीकरण की प्रभावी तारीख से प्राधिकार फीस निम्न से अधिक होगा-

(क) समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत; या

(ख) एक लाख रुपए।

(5) उद्यम संचार सेवा प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों के लिए अनुज्ञप्ति के प्रवास की स्थिति में, माइग्रेशन की प्रभावी तारीख से प्राधिकार फीस निम्न से अधिक होगा-

(क) समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत; या

(ख) एक लाख रुपये:

परंतु कि यदि अनुज्ञप्तिधारक अनुज्ञप्ति की प्रभावी तारीख के बारह मास के भीतर स्थानांतरित हो गया है, तो उप-नियम (5) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्राधिकार फीस अनुज्ञप्ति की प्रभावी तारीख से बारह मास के पूरा होने तक शेष अवधि के लिए देय होगा।

(6) उप-नियम (2) से (5) के अधीन प्राधिकार फीस में डिजिटल भारत निधि के लिए देय रकम शामिल होगी, जो प्राधिकार फीस के पांच-आठवें के बराबर होगी।

(7) उप-नियम (2) से (5) में विनिर्दिष्ट डिजिटल भारत निधि के लिए प्राधिकार फीस या रकम की दर प्राधिकार की अवधि के भीतर किसी भी समय भिन्न हो सकती है।

52. संदाय की अनुसूची—(1) इन नियमों के अधीन अवधारित प्राधिकार फीस एक नई प्राधिकृत इकाई द्वारा अप्रैल की पहली तारीख से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाही किश्तों में देय होगा और प्राधिकार की किसी भी

अवधि के लिए फीस जो एक चौथाई से कम है, की गणना सुसंगत तिमाही में दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर यथानुपात आधार पर की जाएगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई प्राधिकार फीस की त्रैमासिक किश्तों का संदाय निम्नलिखित रीति से करेगी, अर्थात् -

- (क) किसी वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक के संबंध में त्रैमासिक किस्त का संदाय संबंधित तिमाही के पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा; तथा
- (ख) अंतिम तिमाही के लिए त्रैमासिक किस्त का संदाय पच्चीस मार्च तक अग्रिम रूप से किया जाएगा, जिसकी गणना उस तिमाही के लिए अपेक्षित राजस्व के आधार पर की जाएगी, जो पिछली तिमाही के लिए संदाय किए गए प्राधिकार फीस के बराबर न्यूनतम रकम के अधीन है:

परंतु कि नई प्राधिकृत इकाई अंतिम तिमाही के लिए किए गए अग्रिम संदाय और ऐसी तिमाही के लिए देय वास्तविक रकम के बीच के अंतर को अगले वित्तीय वर्ष के पंद्रह अप्रैल तक समायोजित और संदाय करेगी।

(3) उप-नियम (2) के अनुसार संदाय की गणना संबंधित तिमाही के लिए प्रोद्भवन आधार पर राजस्व के आधार पर की जाएगी, और ऐसे प्रपत्र और रीति से, जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए, एक स्व-प्रमाण-पत्र और प्रत्येक प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित राजस्व के विवरण के साथ होगा, जो ऐसे नई प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया गया है, जिसे बोर्ड के संकल्प और अटॉर्नी की सामान्य शक्ति द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है।

(4) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की तीस जून को या उससे पहले प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई -

- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), के अधीन नियुक्त अपने लेखा परीक्षक द्वारा, ऐसे प्रपत्र और रीति से जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए विधिवत लेखा परीक्षित और हस्ताक्षरित, पिछले वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए राजस्व का विवरण प्रस्तुत करना (2013 का 18); और
- (ख) यथा स्थिति उप-नियम (2) के आधार पर पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उप-नियम (5) के अनुसार लागू ब्याज सहित प्राधिकार फीस का अंतिम समायोजन करें।

(5) प्राधिकार फीस के संदाय में किसी भी देरी की स्थिति में या नई प्राधिकृत इकाई द्वारा ऐसे संदाय के लिए विनिर्दिष्ट अवधि से परे देय किसी अन्य देय रकम की दशा में, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई भारतीय स्टेट बैंक की एक-वर्षीय निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर पर परिकलित ब्याज का संदाय करने के लिए भी उत्तरदायी होगी जो सुसंगत वित्तीय वर्ष की शुरुआत में मौजूद है, अर्थात् अप्रैल के पहले दिन, साथ ही दो प्रतिशत वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि दर से:

परंतु कि ब्याज की गणना के प्रयोजन के लिए मास के किसी भाग को पूर्ण मास माना जाएगा।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को उप-नियम (3) के अधीन राजस्व के प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण में दिखाई देने वाले आंकड़ों के साथ वार्षिक खातों में दिखाई देने वाले आंकड़ों के बीच एक समाधान विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसकी कंपनी अधिनियम, 2013, (2013 का 18) के अधीन विधिवत लेखा परीक्षा की गई हो और अपने नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित हो, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन प्रदान की गई समय सीमा के भीतर वार्षिक वित्तीय विवरण दाखिल करने के लिए या लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के सात दिनों के भीतर, जो भी पहले हो प्रकाशित वार्षिक खातों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी :

परंतु कि वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व का विवरण और समाधान विवरण ऐसे सन्नियों, आदेशों या निदेशों के अनुसार तैयार किया जाएगा जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(7) इन नियमों के अधीन बकाया और संदेय सभी रकम का संदाय नई प्राधिकृत इकाई द्वारा ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

53. प्राधिकार के लिए प्रत्याभूति अपेक्षाएं—(1) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित प्रकारों में से ऐसे प्रपत्र और रीति से एक बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगी जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए, अर्थात्:-

- (क) किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या सार्वजनिक वित्तीय इकाई से बैंक प्रत्याभूति, इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की न्यूनतम विधिमान्यता अवधि के साथ;
- (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकार अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, भारतीय बीमा कंपनी द्वारा जारी किया गया एक प्रदर्शन बांड, इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की न्यूनतम विधिमान्यता अवधि के साथ; या
- (ग) केन्द्रीय सरकार के पास गैर-ब्याज-धारक नकद जमा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूति का प्रयोजन प्राधिकार के सभी निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें प्राधिकार फीस का संदाय, प्राधिकार की निबंधनों या आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के उल्लंघन या उल्लंघन के लिए लगाया गया शास्ति या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करना और प्राधिकार के अधीन बकाया कोई अन्य देय रकम शामिल है।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत प्रत्याभूति की वार्षिक समीक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी और नई प्राधिकृत इकाई प्राधिकार की अवधि के दौरान या जब तक प्राधिकार के अधीन सभी देय रकम का संदाय नहीं हो जाता, जो भी बाद में हो, तब तक विधिमान्य प्रत्याभूति बनाए रखेगी:

परंतु कि आशय पत्र के अनुसरण में प्रस्तुत प्रारंभिक प्रत्याभूति अनुसूची क में उद्यम संचार सेवा प्राधिकार के संबंध में विनिर्दिष्ट रकम के लिए या नियम 6 के उप-नियम (6) के अनुसार रकम के लिए होगी, और प्राधिकार के प्रत्येक बाद के वर्ष के लिए, प्रत्याभूति केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित रकम के लिए होगी, जो कि निम्नलिखित में से उच्चतर के आधार पर है —:

- (क) उद्यम संचार सेवा प्राधिकार के संबंध में अनुसूची क में विनिर्दिष्ट प्रारंभिक प्रत्याभूति रकम ; या
- (ख) निम्नलिखित की संयुक्त प्राक्कलित रकम का बीस प्रतिशत, जिसकी गणना उस प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी जैसा कि पोर्टल पर इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए, अर्थात्:—
 - (i) दो तिमाहियों के लिए संदेय प्राधिकार फीस ; और
 - (ii) कोई अन्य देय रकम जो अन्यथा सुरक्षित नहीं है।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, केन्द्रीय सरकार से किसी भी मांग या नोटिस के बिना, ऐसी प्रत्याभूति की विधिमान्यता अवधि को उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम एक मास पहले, न्यूनतम एक वर्ष तक बढ़ाएगी।

(5) प्राधिकार की अवधि के दौरान किसी भी समय विधिमान्यता प्रत्याभूति बनाए रखने में विफलता, या जब तक प्राधिकार के अधीन सभी देय रकम का संदाय नहीं हो जाता, जो भी बाद में हो, केन्द्रीय सरकार को नई प्राधिकृत इकाई के बिना किसी सूचना के बैंक प्रत्याभूति को नकदी करने, प्रदर्शन बांड का दावा करने या नकद जमा को विनियोजित करने का अधिकार होगा:

परंतु कि ऐसी प्रत्याभूति के नकदीकरण, दावे या विनियोग पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई ब्याज या मुआवजा संदेय नहीं होगा।

(6) यदि प्रत्याभूति को पूर्ण या आंशिक रूप से भुनाया, दावा या विनियोजित किया गया है, तो नई प्राधिकृत इकाई ऐसी भुनाई, दावा या विनियोजित प्रत्याभूति को तीस दिनों के भीतर पूर्ण रकम में बहाल करेगी:

परंतु कि केंद्रीय सरकार, इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, ऐसे पुनर्स्थापन के लिए दस दिनों से अधिक का न होने वाला एक बार का विस्तार अनुमत कर सकती है, परंतु कि इसके कारणों को लेखबद्ध किया जाए।

(7) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित मामलों में नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रत्याभूति को नकदीकृत, दावा या विनियोजित कर सकती है, अर्थात्:

- (क) प्राधिकार फीस का संदाय न करना, या प्राधिकार या समनुदेशन के अधीन बकाया कोई अन्य देय रकम;
- (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा लगाई गई शास्ति से उत्पन्न बकाया रकम का संदाय न करना; या
- (ग) प्राधिकार या समनुदेशन की किसी अन्य निबंधन या शर्त का उल्लंघन:

परंतु कि इस उप-नियम के अधीन कोई कार्रवाई करने से पहले, केंद्रीय सरकार ऐसे नई प्राधिकृत इकाई को नोटिस जारी कर सकती है और उसे सुनने का उचित अवसर दे सकती है।

(8) प्राधिकार के प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण या अवसान पर, केंद्रीय सरकार सभी देय रकम की निकासी सुनिश्चित करने के पश्चात ही प्रत्याभूति जारी करेगी, जो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है:

परंतु कि केंद्रीय सरकार को देय रकम का संदाय करने में विफलता की दशा में, बकाया रकम को उप-नियम (7) में प्रदान की गई प्रत्याभूति के नकदीकरण, दावा या विनियोजन के माध्यम से वसूल किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार को देय रकम की वसूली के लिए किसी अन्य कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना होगा।

54. प्राधिकार फीस का निर्धारण—(1) केंद्रीय सरकार प्राधिकार फीस का निर्धारण इस संबंध में पोर्टल पर यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कर सकती है।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "निर्धारण" अभिव्यक्ति में पुनर्निर्धारण और पुनर्गणना शामिल होगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार समायोजित सकल राजस्व तक पहुंचने के लिए लागू सकल राजस्व से बाहर रखी गई रकम के समर्थन में सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

(3) यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए या किसी भिन्न सेवा क्षेत्र में एक ही दूरसंचार सेवा के लिए एक से अधिक प्राधिकार रखती है, तो वह प्रत्येक प्राधिकार के लिए प्राधिकार फीस की गणना का एक अलग विवरण बनाए रखेगी और प्रस्तुत करेगी।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, प्रत्येक प्राधिकार के संबंध में जो वह रखता है -

- (क) लेखा अभिलेख तैयार करना और उन्हें बनाए रखना, जो प्राधिकार की पूरी अवधि के दौरान या पोर्टल पर यथा विनिर्दिष्ट की गई उससे कम अवधि के लिए, प्रत्येक पूरी हुई तिमाही के संबंध में इसके संव्यवहार को दिखाने और समझाने के लिए पर्याप्त हों; और जो इस नई प्राधिकृत इकाई के कारबार की लागतों पूंजीगत लागतों सहित, राजस्व और वित्तीय स्थिति को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हों—जिसमें राजस्व के निर्धारण या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, उस नई प्राधिकृत इकाई के कारबार में उपयोग की गई अस्तियों और उस कारबार से संबंधित दायित्वों का युक्तियुक्त मूल्यांकन भी शामिल हो;

- (ख) अन्य नई प्राधिकृत इकाईओं या अनुज्ञप्तिधारियों, जिनके पास कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, को वास्तविक पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क या पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क से संबंधित कॉल फीस का संदाय करना;
- (ग) यह सुनिश्चित करें कि अन्य नई प्राधिकृत इकाईओं या अनुज्ञप्तिधारियों, जिनके पास कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, के साथ खातों का द्विपक्षीय निपटान सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाए; और
- (घ) अन्य नई प्राधिकृत इकाईओं या अनुज्ञप्तिधारियों के साथ खातों के निपटान के लिए तंत्र का विवरण केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करें, जिसमें नेटवर्क और सुविधाओं के उपयोग के लिए फीस के संबंध में, साथ ही वास्तविक निपटान का विवरण भी शामिल है।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उच्चम संचार सेवा प्राधिकार के उपबंध से संबंधित बिलिंग और अन्य लेखांकन अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक के साथ-साथ हार्ड कॉपी में, अपने सम्यक रूप से की गई संपरीक्षा और अनुमोदित वार्षिक खातों के प्रकाशन की तारीख से कम से कम छह वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखना और संरक्षित करना चाहिए:

परंतु कि यदि ऐसी नई प्राधिकृत इकाई ऐसे अभिलेखों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखना और संरक्षित करना चाहती है, तो वह ऐसा करने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति ले सकती है, जिस पर मामले-दर-मामले के आधार पर विचार किया जा सकता है, और ऐसी मंजूरी स्पष्ट रूप से दिए जाने पर, ऐसे अभिलेखों को कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन बनाए गए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार बनाए रखा और संरक्षित किया जाएगा:

परंतु यह भी कि यदि प्राधिकार फीस, या किसी भी अवधि के लिए कोई अन्य फीस विवाद में है, तो उक्त अभिलेख तब तक बनाए रखे जाएंगे जब तक कि ऐसा विवाद हल नहीं हो जाता।

(6) केंद्रीय सरकार किसी भी समय किसी नई प्राधिकृत इकाई को वार्षिक खातों की पुस्तकों की जानकारी देने या उन तक पहुंच प्रदान करने का निदेश दे सकती है जो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकार की शर्तों के अधीन रखती है, और वह नई प्राधिकृत इकाई तत्काल ऐसे निदेश का पालन करेगी।

(7) केंद्रीय सरकार, किसी भी समय, केंद्रीय सरकार को संदेय रकम, जिसमें प्राधिकार फीस और अन्य फीस शामिल हैं, के स्वतंत्र सत्यापन की सुविधा के लिए, एक नई प्राधिकृत इकाई के अभिलेखों को ऐसी जांच के अधीन कर सकती है जैसा वह अवधारित करे।

(8) केंद्रीय सरकार, यदि यह राय बनाती है कि एंटरप्राइज़ संचार सेवा प्राधिकार के संबंध में राजस्व के विवरण, या नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत वार्षिक खाते गलत या भ्रामक हैं, या किसी अन्य कारण से, तो वह ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के खातों की संपरीक्षा करने का आदेश दे सकती है। इसके लिए वह एक या अधिक संपरीक्षक नियुक्त कर सकती है, जिनके पास वही शक्तियाँ होंगी जो कंपनी अधिनियम, 2013, (2013 का 18) की धारा 143 की उप-धारा (1) के अधीन कंपनी के संपरीक्षक के पास होती हैं; और यह संपरीक्षा उन फ्रीसों पर किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार अवधारित करे, और जिनका संदाय उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा किया जाएगा।

(9) यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से नौ मास के भीतर नियम 52 के उप-नियम (4) और (6) के अधीन वार्षिक खाते, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहती है, तो केंद्रीय सरकार, सभी उपलब्ध दस्तावेजों और सूचनाओं और सुसंगत सामग्रियों की समीक्षा करने के पश्चात्, सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर प्राधिकार फीस का निर्धारण कर सकती है:

परंतु कि इस तरह के निर्धारण के साथ आगे बढ़ने से पहले, केंद्रीय सरकार ऐसे नई प्राधिकृत इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एक नोटिस जारी करेगी।

(10) उप-नियम (11) के अधीन उल्लेखित नियम को छोड़कर, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से चार वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी सुसंगत वित्तीय वर्ष के लिए इस नियम के अधीन कोई निर्धारण नहीं किया जाएगा।

(11) केंद्रीय सरकार सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से चार वर्ष की अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् और ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से छह वर्ष तक एक निर्धारण कर सकती है, यदि उसकी यह राय है कि जिस रकम का निर्धारण नहीं किया गया है ऐसे उसका वित्तीय वर्ष के लिए पचास लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के समतुल्य होने की संभावना है।

(12) उप-नियम (10) और उप-नियम (11) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा अवधि की गणना के प्रयोजनों के लिए, किसी भी न्यायालय के आदेश या व्यादेश के अनुसार ऐसे निर्धारण पर किसी भी अवधि के स्थगन को बाहर रखा जाएगा।

(13) उप-नियम (10) और उप-नियम (11) में निहित किसी भी बात के बावजूद, सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित किसी निष्कर्ष या निदेश के अनुसार किसी भी समय प्राधिकार फीस का निर्धारण किया जा सकता है।

(14) केंद्रीय सरकार, प्राधिकार फीस के उचित और सटीक निर्धारण, सत्यापन और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे नई प्राधिकृत इकाई के खातों और लेखापरीक्षा के संबंध में, किसी भी विविध दूरसंचार सेवाओं के संबंध में, नई प्राधिकृत इकाई को निदेश जारी कर सकती है, और वह नई प्राधिकृत इकाई ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

55. तकनीकी और परिचालन शर्तें—(1) क्लाउड-आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज सेवा प्रदान करने वाली एक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि-

(क) विभिन्न उपयोगकर्ताओं के दूरसंचार संसाधनों को संभालने वाले प्लेटफॉर्म के घटकों के बीच तार्किक विभाजन है; और

(ख) उपयोगकर्ता और क्लाउड-आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज के बीच कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी या किसी अन्य प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारियों, जो ऐसी कनेक्टिविटी उपलब्ध करने के लिए अपने प्राधिकार या अनुज्ञप्ति के अधीन पात्र हैं, से प्राप्त घरेलू पट्टे सर्किट के माध्यम से स्थापित की जाती है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी से किसी भी दूरसंचार संसाधन को प्राप्त करने के लिए आपसी करार में प्रवेश कर सकती है जो ऐसा दूरसंचार संसाधन प्रदान करने के लिए अपने प्राधिकार या अनुज्ञप्ति के अधीन पात्र है।

(3) ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा प्रदान करने वाली प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली, अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित मानकों के अनुसार नेटवर्क इंटरफेस का उपयोग करके, किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी की दूरसंचार नेटवर्क जैसे पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट टेलीफोनी नेटवर्क से जुड़ी हो, जो एक्सेस सेवाएं प्रदान करती है।

(4) एक नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार यातायात के किसी भी अविधिमान्यता पासिंग की अनुमति नहीं देगी जिसमें राष्ट्रीय लंबी दूरी का यातायात या अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी का यातायात शामिल है।

(5) ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सेवा प्रदान करने वाली प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई एक से अधिक अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके डायल आउट सुविधा का उपयोग कर सकती है जिसके पास एक्सेस सेवाएं प्रदान करने का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है:

परंतु कि ऐसा नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि डायल आउट सुविधा का उपयोग करते समय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के यातायात को बाईपास नहीं किया जाए।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक स्वच टेलीफोन नेटवर्क, सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट टेलीफोनी नेटवर्क से उत्पन्न कॉल ऐसे नई प्राधिकृत इकाई के ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली द्वारा निजी नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं हैं।

(7) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई-

- (क) किसी उपयोगकर्ता को ऑडियोटेक्स सेवा प्रणाली के साथ बातचीत करके किसी भी समय जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है; और
- (ख) सुनिश्चित करें कि ऑडियोटेक्स उपस्कर में संग्रहीत जानकारी उपयोगकर्ता को उसके उपयोगकर्ता टर्मिनल पर प्रसारित की जा सकती है।

(8) ऑडियोटेक्स सेवा प्रदान करने वाली प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि डायल-आउट सुविधा केवल तभी दी जाए जब कॉलर ने ऑडियोटेक्स सेवा प्रणाली पर इनकमिंग कॉल की हो।

(9) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई ऐसी प्रणालियाँ स्थापित करेगी ताकि वॉइस मेल सेवा का उपयोगकर्ता वॉइस मेल बॉक्स नंबर डायल करके वॉइस मेलबॉक्स में अपना वॉइस संदेश छोड़ सके या दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से अपने वॉइस मेलबॉक्स से वॉइस संदेश प्राप्त कर सके।

(10) ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा प्रदान करने वाली प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल भारत में रजिस्ट्रीकरण उद्यमों को बिंदु-से-बिंदु कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं प्रदान कर सकती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:

- (क) कॉल भारत के भीतर ही शुरू और समाप्त होंगी;
- (ख) ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग कॉल का पूरा रूटिंग और स्विचिंग भारत के भीतर ही रहेगा; और
- (ग) इस तरह की ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले दूरसंचार पहचानकर्ताओं को नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोगकर्ताओं को सौंपा गया है।

56. सुरक्षा शर्तें—(1) क्लाउड-आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंज सेवा प्रदान करने वाली प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए तार्किक विभाजन का एक पूर्ण लॉग और अभिलेख बनाए रखना चाहिए, और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा निदेश प्राप्त होने पर केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण को ऐसे अभिलेख प्रदान करना चाहिए।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि -

- (क) वॉइस मेल संदेशों का भंडारण और उपयोगकर्ता द्वारा बाद में पुनः प्राप्ति गैर-वास्तविक समय के आधार पर होती है; और
- (ख) प्राप्तकर्ता को संदेश पहुँचाने के लिए कोई डायल-आउट नहीं किया जाता है।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई प्रत्येक उद्यम संचार सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के नाम, पते और दूरसंचार पहचानकर्ता सहित जानकारी का अभिलेख न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए रखेगी।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा प्रदान करती है, वह केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण को इस संबंध में निर्देश प्राप्त होने पर कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी, जिसमें सम्मेलन में शामिल पक्ष, तारीख, समय, सम्मेलन की अवधि शामिल होगी।

भाग ग

मशीन-से -मशीन सेवा प्राधिकार

57. भाग सी की प्रयोज्यता—यह भाग मशीन-से -मशीन सेवा प्राधिकार रखने वाली एक नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा, और इस भाग में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, अभिव्यक्ति "नई प्राधिकृत इकाई" का कोई भी संदर्भ ऐसे नई प्राधिकृत इकाई को संदर्भित करता है जो मशीन-से -मशीन सेवा प्राधिकार रखता है।

58. मशीन-से -मशीन सेवा प्राधिकार का विस्तार—(1) मशीन-से -मशीन सेवा प्राधिकार में मशीन-से -मशीन सेवाएं प्रदान करने का प्राधिकार शामिल है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई -

(क) लागू विधि के अधीन समनुदेशन की आवश्यकता से छूट प्राप्त स्पेक्ट्रम का उपयोग करके मशीन-से -मशीन सेवाएं प्रदान करने के लिए वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित, प्रचालित, बनाए रखें या विस्तारित करें; और

(ख) मशीन-से -मशीन एम्बेडेड-सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल की सदस्यता प्रोफाइल प्रबंधन के लिए एक मंच का स्वामित्व और प्रबंधन करें।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल वही विविध दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करेगी जो उसके प्राधिकार के दायरे में प्राधिकृत हैं, और कोई अन्य दूरसंचार सेवा नहीं, जिसके लिए केंद्रीय सरकार से अलग प्राधिकार की आवश्यकता हो सकती है।

59. फीस और प्रभार—कोई भी प्राधिकृत प्राधिकार फीस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा संदेय नहीं होगा।

60. तकनीकी और परिचालन शर्तें— (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, मशीन-से -मशीन सेवाएँ या मशीन-से -मशीन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल का उपयोग करके मशीन-से -मशीन सेवाएँ प्रदान करेगी; ये सेवाएँ या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त किए जाएँगे, जिसके पास एक्सेस सेवाओं या इंटरनेट सेवाओं के लिए प्राधिकार या अनुज्ञप्ति हो।

परंतु कि उपयोगकर्ताओं के लिए मशीन-से -मशीन सेवाओं के प्रत्येक उपयोग के मामले का उपबंध शुरू करने से पहले, नई प्राधिकृत इकाई पोर्टल पर केंद्रीय सरकार को इस तरह के उपयोग के मामले का विवरण सूचित करेगी, और उस उपयोग के मामले की जांच पर, केंद्रीय सरकार नई प्राधिकृत इकाई को ऐसी सेवा के उपबंध को बंद करने या ऐसी दिशा में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सुरक्षा शर्तों का पालन करने का निदेश दे सकती है।

(2) मशीन-से -मशीन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के सब्सक्रिप्शन प्रोफाइल प्रबंधन के लिए प्लेटफॉर्म का स्वामित्व और प्रबंधन करने की इच्छुक प्रत्येक नई प्राधिकृत कंपनी को, पूर्व अनुमोदन के लिए पोर्टल पर केंद्रीय सरकार को आवेदन करना होगा और उसमें विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करना होगा।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग करके मशीन-से -मशीन सेवा प्रदान करते समय, ऐसे नेटवर्क को अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के दूरसंचार नेटवर्क से ऐसे अन्य इकाई या अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त मशीन-से -मशीन सेवाओं का उपयोग करके कनेक्ट करेगी।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगी जो केंद्रीय सरकार निम्नलिखित के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट कर सकती है:

(क) अंतर्राष्ट्रीय इन-रोमिंग; और

(ख) मशीन-से -मशीन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल का उपयोग और प्रबंधन।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई मशीन-से -मशीन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के सदस्यता प्रोफाइल प्रबंधन के लिए, सदस्यता प्रबंधक-डाटा तैयारी और सदस्यता प्रबंधक-सुरक्षित रूटिंग के लिए मानक सहित मानकों और अनुरूपता निर्धारण उपायों का पालन करेगी, जिसे केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित कर सकती है।

61. सुरक्षा शर्तें—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई इन नियमों के उपबंधों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित तकनीकी और संगठनात्मक उपायों को लागू करेगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को मशीन-से -मशीन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल की ऑनलाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखना और अद्यतन करना चाहिए, साथ ही नई प्राधिकृत इकाई को उपयोगकर्ताओं तक ऐसे मशीन-से -मशीन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल की आवाजाही का विवरण, और केंद्रीय सरकार, प्राधिकृत अभिकरण या अभिहित अभिकरण द्वारा आवश्यक होने पर ऐसे विवरण प्रदान करना चाहिए।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि मशीन-से -मशीन डिवाइस दूरसंचार पहचानकर्ताओं का उपयोग करके पहचान योग्य और पता लगाने योग्य हैं।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई मशीन-से -मशीन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल पर प्रतिबंधात्मक विशेषताओं के कार्यान्वयन और मशीन-से -मशीन सक्षम उपकरणों को सुरक्षित करने के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगी।

भाग घ:

प्रधान मंत्री वाई-फ़ाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस सेवा प्राधिकार

62. भाग घ की प्रयोज्यता—यह भाग प्रधान मंत्री वाई-फ़ाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस सेवा प्राधिकार रखने वाली एक नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा, और इस भाग में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, अभिव्यक्ति "नई प्राधिकृत इकाई" का कोई भी संदर्भ ऐसे नई प्राधिकृत इकाई को संदर्भित करता है जो प्रधान मंत्री वाई-फ़ाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस सेवा प्राधिकार रखता है।

63. प्रधान मंत्री वाई-फ़ाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस सेवा प्राधिकार का विस्तार— (1) इस भाग के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्तियाँ -

(क) ऐप प्रदाता के संबंध में, "ऐप", मोबाइल उपकरणों या कंप्यूटरों पर चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है-

(i) उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रीकरण करें;

(ii) किसी उपयोगकर्ता को अधिप्रमाणित करें और

(iii) आस-पास के क्षेत्र में वाई-फ़ाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस के अनुरूप वाई-फ़ाई एक्सेस पॉइंट्स की खोज करें और और ऐसे एक्सेस पॉइंट्स के माध्यम से इंटरनेट सेवा का उपयोग करने के लिए, उसे आवेदन में प्रदर्शित करें।

(ख) "ऐप प्रदाता" से एक व्यक्ति जो ऐप विकसित करता है, संचालित करता है और बनाए रखता है, अभिप्रेत है;

(ग) "केंद्रीय रजिस्ट्री" से सार्वजनिक डाटा कार्यालयों, सार्वजनिक डाटा कार्यालय एग्रीगेटर्स और ऐप प्रदाताओं के विवरण वाले ऑनलाइन डाटा बेस वाली प्रणाली अभिप्रेत है;

- (घ) "सार्वजनिक डाटा कार्यालय एग्रीगेटर" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के अनुरूप वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट स्थापित करता है, प्रचालित करता है, रखरखाव करता है और उनका विस्तार करता है; और
- (ङ) सार्वजनिक डाटा कार्यालय एग्रीगेटर से एक व्यक्ति अभिप्रेत है जो सार्वजनिक डाटा कार्यालयों द्वारा स्थापित वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के अनुरूप वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स को एकत्रित करता है और प्राधिकार और लेखांकन से संबंधित कार्यों को करता है; और
- (च) "वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस" से सार्वजनिक डाटा कार्यालयों, सार्वजनिक डाटा कार्यालय एग्रीगेटर्स, ऐप प्रदाताओं और केंद्रीय रजिस्ट्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के बीच अंतर-कार्य के लिए एक नेटवर्क इंटरफेस अभिप्रेत है।

(2) प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सेवा प्राधिकार सार्वजनिक डाटा कार्यालय एग्रीगेटर या ऐप प्रदाता या दोनों पर लागू होगा।

(3) प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सेवा प्राधिकार में निम्नलिखित विविध दूरसंचार सेवाओं के लिए सार्वजनिक डाटा कार्यालय एग्रीगेटर या ऐप प्रदाता या दोनों के लिए प्राधिकार शामिल है, अर्थात्:

(क) दो या दो से अधिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट जो सार्वजनिक डाटा कार्यालयों द्वारा स्थापित, प्रचालित, अनुरक्षित और विस्तारित वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के अनुरूप हैं; या

(ख) एप्लिकेशन का उपबंध।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल ऐसी विविध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगी जो उसके प्राधिकार के दायरे में प्राधिकृत हैं, और कोई अन्य दूरसंचार सेवा नहीं जो केंद्रीय सरकार से अलग प्राधिकार की आवश्यकता हो।

64. फीस और प्रभार—किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकार फीस नहीं दी जाएगी।

65. तकनीकी और परिचालन की शर्तें—(1) केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव और विस्तार केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा अभिहित किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, सार्वजनिक डाटा कार्यालय एग्रीगेटर या ऐप प्रदाता या दोनों के कार्यों को करते समय, पोर्टल पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पर ढांचे और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

(3) सार्वजनिक डाटा कार्यालय एग्रीगेटर के कार्यों को करने वाली प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई -

(क) दो या दो से अधिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट को एकत्रित करें जो वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के अनुरूप हों, जो सार्वजनिक डाटा कार्यालयों द्वारा प्रचालित हों और ऐसे उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्राधिकृत करें जो ऐप प्रदाता द्वारा प्रमाणित किए गए हों;

(ख) सार्वजनिक डाटा कार्यालयों के साथ एक करार में प्रवेश करें, जिसमें निम्नलिखित सहित निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट की गई हैं, अर्थात्:

(i) केवल ऐसे वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स को स्थापित, प्रचालित, बनाए रखें और विस्तारित करें जो वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के अनुरूप हों; और

(ii) पोर्टल पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पर दिए गए ढांचे और मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करें।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई जो ऐप प्रदाता के कार्यों का निष्पादन करती है, वह -

- (क) हस्ताक्षर सत्यापन के लिए अपने सार्वजनिक प्रमाणपत्र का उपयोग करके केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ अपने ऐप को रजिस्ट्रीकरण करें; और
- (ख) किसी उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रीकरण और प्रमाणित करें, और वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के अनुरूप वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स की खोज करें।

66. सुरक्षा शर्तें—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई दो वर्षों के लिए उपयोगकर्ता की जानकारी बनाए रखेगी और उपयोगकर्ता की जानकारी की डाटा निजता और गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी लागू विधियों और नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, प्राधिकार की शर्तों के अधीन, किसी उपयोगकर्ता और उसके कारबार की निजता और गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिसे वह दूरसंचार सेवा प्रदान करता है।

भाग ड

उड़ान के दौरान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवा प्राधिकार

67. भाग ड की प्रयोज्यता - यह भाग किसी नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा जो उड़ान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवा प्राधिकार रखती है, और इस भाग में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, अभिव्यक्ति "नई प्राधिकृत इकाई" का कोई भी संदर्भ ऐसे नई प्राधिकृत इकाई को संदर्भित करता है जो उड़ान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवा प्राधिकार रखता है।

68. उड़ान के दौरान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवा प्राधिकार का विस्तार—(1) उड़ान के दौरान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवा प्राधिकार में निम्नलिखित विविध दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार शामिल है जो वायरलेस कनेक्टिविटी का उपयोग करके जहाजों या विमानों पर प्रदान की जा सकती हैं, अर्थात्:

- (क) वाइस या नॉन-वाइस संदेशों का संचरण, उत्सर्जन या प्राप्ति, जिसमें वीडियो संदेश भी शामिल हैं; और
- (ख) इंटरनेट सेवा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उड़ान के दौरान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करने के संबंध में-

- (क) एक नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के साथ एक समझौते में प्रवेश करें जो सभी वाइस सेवा क्षेत्रों में पहुंच सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार या अनुज्ञप्ति रखता है; और
- (ख) जहाजों या विमानों और खंड (क) में उल्लिखित नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के दूरसंचार नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए, किसी ऐसी इकाई के साथ समझौता करें जिसके पास वेरी स्मॉल अपचर टर्मिनल का उपयोग करके डायरेक्ट-एयर-से-ग्राउंड संचार सेवा या राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति हो:

परंतु कि, इस उप-नियम के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करने के लिए, नई प्राधिकृत इकाई उस इकाई के साथ भी एक करार कर सकती है जिसके पास राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र में इंटरनेट सेवा प्रदान करने का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उड़ान के दौरान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करने के लिए, यथा स्थिति एक जहाज या एक विमान पर बेस स्टेशन या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित कर सकती है और ऐसे बेस स्टेशन या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को ऐसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ सकती है जिसके साथ उप-नियम (2) के अधीन एक करार किया गया है।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल ऐसी विविध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगी जो उसके प्राधिकार के दायरे में प्राधिकृत हैं, और कोई अन्य दूरसंचार सेवाएं नहीं जिसमें केंद्रीय सरकार से अलग प्राधिकार की आवश्यकता होती है।

(5) कोई भी ऐसा इकाई, जिसे सभी बाईस सेवा क्षेत्रों में एक्सेस सेवा या राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र में इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उसे उड़ान के दौरान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग से उड़ान के दौरान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवा प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी।

69. फीस और प्रभार— प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई प्राधिकार की प्रभावी तारीख से एक रुपये का वार्षिक प्राधिकार फीस का संदाय करेगी:

परंतु कि नई प्राधिकृत इकाई, प्राधिकार प्रदान किए जाने के समय, प्राधिकार की पूरी अवधि के लिए प्राधिकार फीस का संदाय अग्रिम रूप से करेगी।

70. तकनीकी और परिचालन शर्तें— (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने बेस स्टेशन या किसी जहाज या विमान पर स्थापित वायरलेस स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ सकती है, जिसके साथ उप-नियम (2) नियम 69 के अधीन करार किया गया है, ऐसे उपग्रह नेटवर्क या डायरेक्ट-एयर-से - ग्राउंड संचार प्रणालियों का उपयोग करके, और ऐसे बेस स्टेशन के संचालन के लिए, नई प्राधिकृत इकाई को ऐसे अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के एक्सेस स्पेक्ट्रम का उपयोग करना चाहिए।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, जब उड़ान के दौरान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करने के लिए उपग्रह नेटवर्क का उपयोग कर रही है, तो यह सुनिश्चित करेगी कि उपग्रह-आधारित कनेक्टिविटी भारत में उपग्रह अर्थ स्टेशन गेटवे वाली उपग्रह-आधारित कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्राधिकृत इकाईओं से प्राप्त की गई है।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, जब उड़ान के दौरान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करने के लिए डायरेक्ट-एयर-से -ग्राउंड संचार प्रणाली का उपयोग करती है, तो यह सुनिश्चित करेगी कि यह प्रणाली ऐसी प्रणालियों को प्रदान करने के लिए प्राधिकृत इकाई से प्राप्त की गई है।

(4) विमान में वाईस या नॉन-वाईस संदेशों की विविध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को, वायरलेस स्थलीय नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट न्यूनतम ऊंचाई पर ही सेवा प्रदान करनी होगी।

(5) उप-नियम (4) में न्यूनतम ऊंचाई की आवश्यकता के बावजूद, जब उपयोगकर्ता टर्मिनलों को विमान में उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, तो नई प्राधिकृत इकाई ऐसे विमान में वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर सकती है:

परंतु कि नई प्राधिकृत इकाई उस विमान में ऐसी इंटरनेट सेवाएं तभी प्रदान करेगी जब उपयोगकर्ता टर्मिनल का उपयोग हवाई जहाज मोड में किया जाता है।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि भारत में रजिस्ट्रीकरण विमान में उड़ान के दौरान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी संशोधन को नागर विमानन महानिदेशालय की पूर्व स्वीकृति के साथ और भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 की 16) के अनुसार किया जाएगा।

(7) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, हस्तक्षेप से बचने के लिए, विमान या जहाजों में उड़ान के दौरान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाओं और नेविगेशन प्रणाली के लिए अलग दूरसंचार नेटवर्क सुनिश्चित करेगी।

(8) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि किसी विमान या जहाज में इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाओं का उपबंध यथा स्थिति ऐसे विमान या जहाज के पायलट या कप्तान के अनन्य नियंत्रण में है ताकि वह किसी भी कठिनाई के दौरान इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाओं के उपबंध को डिस्कनेक्ट कर सके।

71. सुरक्षा शर्तें—प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उड़ान के दौरान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाओं के प्रारंभ से पहले, यह सुनिश्चित करेगा कि एक अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी जिसके साथ उसने नियम 68 के उप-नियम (2) के अधीन एक करार किया है-

- (क) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संदेशों या संदेशों के वर्ग के अवरोधन के संबंध में उपयुक्त वैध अवरोधन प्रणाली और वैध अवरोधन निगरानी सुविधाओं की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव और विस्तार करना; और
- (ख) जहां भी आवश्यक हो, ऐसी प्रणालियों के साथ और ऐसी रीति से एकीकरण प्रदान करें जैसा कि केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट किया जाए।

भाग च

वैमानिक डाटा संचार सेवा प्राधिकार

72. भाग च की प्रयोज्यता—यह भाग किसी ऐसी नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा जिसके पास वैमानिक डाटा संचार सेवा का प्राधिकार है, और इस भाग में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय, "नई प्राधिकृत इकाई" पद के किसी भी संदर्भ का अर्थ ऐसे नई प्राधिकृत इकाई से होगा जिसके पास वैमानिक डाटा संचार सेवा का प्राधिकार है।

73. वैमानिक डाटा संचार सेवा प्राधिकार का विस्तार—(1) वैमानिक डाटा संचार सेवा प्राधिकार में विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डाटा संचार सेवा के लिए प्राधिकार शामिल है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई एयरलाइन ऑपरेटर या हवाई नेविगेशन सेवा प्रदाताओं को वैमानिकी डाटा संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने सेवा क्षेत्र में एक या अधिक ग्राउंड स्टेशन स्थापित कर सकती है।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल ऐसी विविध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगी जो उसके प्राधिकार के दायरे में प्राधिकृत हैं, और कोई अन्य दूरसंचार सेवाएं नहीं जिन्हे केंद्रीय सरकार से अलग प्राधिकार की आवश्यकता होती है।

74. फीस और प्रभार—प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई प्राधिकार की प्रभावी तारीख से केंद्रीय सरकार को एक रुपये का वार्षिक प्राधिकार फीस का संदाय करेगी:

परंतु कि नई प्राधिकृत इकाई, प्राधिकार प्रदान किए जाने के समय, प्राधिकार की पूरी अवधि के लिए प्राधिकार फीस का संदाय अग्रिम रूप से करेगी।

75. तकनीकी और परिचालन शर्तें—प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका दूरसंचार नेटवर्क सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट टेलीफोनी नेटवर्क के साथ परस्पर जुड़ा हुआ नहीं है।

76. रोलआउट बाध्यताएँ—(1) हर नई प्राधिकृत इकाई, वैमानिक डाटा संचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए, दूरसंचार नेटवर्क शुरू करेगी; इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए स्पेक्ट्रम का उपयोग करके ग्राउंड स्टेशन स्थापित करना भी शामिल है। यह काम, किसी भी ग्राउंड स्टेशन के लिए स्पेक्ट्रम सौंपे जाने की तारीख से बारह मास के भीतर पूरा किया जाएगा, जैसा कि उपयोगकर्ताओं को वैमानिक डाटा संचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पोर्टल पर केंद्रीय सरकार के साथ रजिस्ट्रीकरण करना होगा, ताकि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट परीक्षण अनुसूची और परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार रोलआउट बाध्यताओं के अनुपालन का सत्यापन किया जा सके।

(3) उप-नियम (2) के अधीन सफल सत्यापन पर, केंद्रीय सरकार के साथ रजिस्ट्रीकरण की तारीख को रोलआउट बाध्यताओं के अनुपालन की तारीख माना जाएगा।

(4) उप-नियम (2) के अधीन सत्यापन में विफलता की दशा में, नई प्राधिकृत इकाई को आवश्यक सुधार के पश्चात् पुनः रजिस्ट्रीकरण करना होगा, और ऐसे मामलों में, सफल सत्यापन पर, केंद्रीय सरकार के साथ पुनः रजिस्ट्रीकरण की तारीख को रोलआउट बाध्यता के अनुपालन की तारीख माना जाएगा।

(5) रोलआउट बाध्यताओं का पालन करने में किसी भी विफलता को प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों का भंग माना जाएगा और अधिनियम के अध्याय के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा:

परंतु कि यदि ऐसी बाध्यताओं का पालन करने के लिए नियत तारीख की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर रोलआउट बाध्यताओं का पालन किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार इसे रोलआउट बाध्यताओं की समय पर पूर्ति के रूप में मानेगी।

(6) रोलआउट संबंधी बाध्यताओं का पालन न करने की दशा में, अधिनियम के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार सिविल शास्त्र लगाए जाने के अतिरिक्त, ग्राउंड स्टेशन के लिए स्पेक्ट्रम कार्यभार अधिनियम के संबंधित उपबंधों तथा स्पेक्ट्रम कार्यभार के निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा।

अध्याय 7

विविध

77. भंग—(1) किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों का भंग, अधिनियम की धारा 32 में उल्लिखित भंग माना जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन मिली सिफारिशों पर ठीक से विचार करने और नई प्राधिकृत इकाई को अपनी बात रखने का मौका देने के पश्चात्, अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकरण को निलंबित करने, रद्द करने या उसमें कटौती करने का आदेश जारी कर सकती है।

(3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्येक आदेश को केंद्रीय सरकार पोर्टल पर प्रकाशित करेगी, और ऐसा आदेश प्रकाशित होने की तारीख से 61वें दिन से लागू होगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन आदेश प्रकाशित होने पर, नई प्राधिकृत इकाई अपनी विविध दूरसंचार सेवाओं के प्रत्येक प्रयोक्ता को अपने प्राधिकरण में कटौती, निलंबन या उसे रद्द करने और ऐसे प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में कम से कम 30 दिन पहले सूचना देगी।

(5) नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (3) में बताई गई प्रभावी तारीख तक विविध दूरसंचार सेवा और दूरसंचार नेटवर्क की गुणवाता बनाए रखेगी।

78. डिजिटल कार्यान्वयन—केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 53 को आगे बढ़ाते हुए, इन नियमों को डिजिटल रूप से लागू करने के लिए एक या अधिक पोर्टल अधिसूचित कर सकती है, जिसमें इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रपत्र, रीति, आदेश, निदेश या मार्गसिद्धांत को उपलब्ध कराना शामिल है।

अनुसूची क

प्रसंस्करण फीस, प्रविष्टि फीस और विविध दूरसंचार सेवाओं के प्राधिकार के लिए प्रसंस्करण फीस, प्रविष्टि फीस और प्रारंभिक प्रत्याभूति

[नियम 6(2)(क), 7(2)(क)(i), 13(1), 42(3)(ख), 42(4)(ख), 42(5)(ख), 44(3), 53(3) देखें]

क्रम संख्या	सेवा प्राधिकार	प्रसंस्करण फीस (रुपये में)	प्रवेश फीस (रु. में)	प्रत्याभूति (रुपये में)
1.	पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार	10,000	20,000	20,000
2.	उच्चम संचार सेवा प्राधिकार	10,000	शून्य	2 लाख
3.	मशीन-से-मशीन सेवा प्राधिकार	10,000	शून्य	शून्य
4.	प्रधान मंत्री वाई-फ़ाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस सेवा प्राधिकरण	शून्य	शून्य	शून्य
5.	उड़ान के दौरान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवा प्राधिकार	10,000	शून्य	शून्य
6.	वैमानिकी डाटा संचार सेवा प्राधिकार	10,000	1 लाख	शून्य

अनुसूची ख

सेवा क्षेत्र

[नियम 4(क) देखें]

क्रम संख्या	सेवा क्षेत्र	कवर किया गया क्षेत्र
1.	पश्चिमी बंगाल सेवा क्षेत्र	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्यक्षेत्र के भीतर आने वाला पूरा क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल और सिक्किम राज्य के भीतर आने वाला क्षेत्र, जिसमें कोलकाता सेवा क्षेत्र के अधीन आने वाले क्षेत्र शामिल नहीं हैं।
2.	आंध्र प्रदेश सेवा क्षेत्र	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के भीतर आने वाला पूरा क्षेत्र।
3.	असम सेवा क्षेत्र	असम राज्य के भीतर आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
4.	बिहार सेवा क्षेत्र	बिहार और झारखंड राज्य के भीतर आने वाला पूरा क्षेत्र।
5.	गुजरात सेवा क्षेत्र	गुजरात राज्य और संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली के भीतर आने वाला पूरा क्षेत्र।
6.	हरियाणा सेवा क्षेत्र	हरियाणा राज्य के भीतर आने वाला संपूर्ण क्षेत्र, पंचकूला नगर तथा फरीदाबाद और गुडगांव टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्राप्त स्थानीय क्षेत्रों को छोड़कर।
7.	हिमाचल प्रदेश सेवा क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
8.	जम्मू और कश्मीर सेवा क्षेत्र	जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के भीतर आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
9.	कर्नाटक सेवा क्षेत्र	कर्नाटक राज्य के भीतर आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
10.	केरलम सेवा क्षेत्र	केरलम राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के भीतर आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।

क्रम संख्या	सेवा क्षेत्र	कवर किया गया क्षेत्र
11.	मध्य प्रदेश सेवा क्षेत्र	मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आने वाला पूरा क्षेत्र।
12.	महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र	मुंबई सेवा क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
13.	उत्तर पूर्व सेवा क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के भीतर आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
14.	उड़ीसा सेवा क्षेत्र	ओडिशा राज्य के भीतर आने वाला पूरा क्षेत्र।
15.	पंजाब सेवा क्षेत्र	पंजाब राज्य और चंडीगढ़ के संघ राज्यक्षेत्र तथा हरियाणा के पंचकूला नगर के भीतर आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
16.	राजस्थान सेवा क्षेत्र	राजस्थान राज्य के भीतर आने वाला पूरा क्षेत्र।
17.	तमिलनाडु सेवा क्षेत्र	तमिल नाडु राज्य और पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के भीतर आने वाला पूरा क्षेत्र।
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा क्षेत्र	यह पूरा क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर आता है, जिसकी पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर सीमा पर निम्नलिखित जिले स्थित हैं: पीलीभीत, बरेली, बदायूँ, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा और औरैया। इसमें गाज़ियाबाद और नोएडा के स्थानीय टेलीफोन क्षेत्र शामिल नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, इसमें उत्तराखंड राज्य भी शामिल होगा।
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) सेवा क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ पूरा क्षेत्र, जिसकी सीमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर निम्नलिखित जिलों से लगती है: शाहजहाँपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, लखीमपुर, कानपुर ग्रामीण और जालौन (ओराई)।
20.	दिल्ली सेवा क्षेत्र	दिल्ली, गाज़ियाबाद, फ़रीदाबाद, नोएडा और गुडगाँव टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्राप्त स्थानीय क्षेत्र।
21.	कोलकाता सेवा क्षेत्र	कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले स्थानीय क्षेत्र।
22.	मुंबई सेवा क्षेत्र	मुंबई, नई मुंबई और कल्याण टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले स्थानीय क्षेत्र।

[फा. सं. 24-06/2025- यूबीवी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2026

G.S.R. 512(E).— Whereas a draft of the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2025 was published, as required under sub-section (1) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 611(E), dated the 9th September, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 9th September 2025;

And whereas, the said period was extended till the 21st October, 2025, and comments and suggestions received in that period in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 56 read with clause (a) of sub-section (1) and sub-section (6) of section 3 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
- (b) “aeronautical data communication services” means the exchange of data between aircraft and ground station for the purpose of airline operational communication or air traffic management using the spectrum assigned for aeronautical mobile (route) service in the National Frequency Allocation Plan.
Explanation.—For the purpose of this clause, the expression “aeronautical mobile (route) service” means an aeronautical mobile service reserved for communications relating to safety and regularity of flight, primarily along national or international civil air routes;
- (c) “aeronautical data communication service authorisation” means the authorisation to provide aeronautical data communication services;
- (d) “authorised agency” shall have the same meaning as assigned to it in the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024;
- (e) “designated agency” means any person designated as such by the Central Government for the purposes of the rule under which he is designated;
- (f) “enterprise communication services” means the telecommunication services referred to as such in sub-rule (2) of rule 50;
- (g) “enterprise communication service authorisation” means the authorisation to provide enterprise communication services;
- (h) “in-flight and maritime connectivity services” means the telecommunication services referred to as such in sub-rule (1) of rule 68;
- (i) “in-flight and maritime connectivity service authorisation” means the authorisation to provide in-flight and maritime connectivity services;
- (j) “land mobile service” means a telecommunication service between a repeater station and land mobile stations, or between land mobile stations, and the expression “land mobile service network” shall be construed accordingly.

Explanation.—For the purpose of this clause, the expression “land mobile station” means mobile user terminal in the land mobile service capable of surface movement within the service area;

- (k) “letter of intent” means the letter issued under sub-rule (2) of rule 7;

- (l) “machine-to-machine communication” means machine to machine communication, which is a type of telecommunication between two or more machines that does not necessarily need any direct human intervention;
- (m) “machine-to-machine services” means telecommunication services for telecommunication between machines using machine-to-machine communication;
- (n) “machine-to-machine service authorisation” means the authorisation to provide machine-to-machine services;
- (o) “machine-to-machine subscriber identity module” means a subscriber identity module used for machine-to-machine services;
- (p) “miscellaneous telecommunication services” means the telecommunication services as specified in rule 4;
- (q) “new authorised entity” means an authorised entity that has—
- (i) obtained an authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act; or
 - (ii) migrated to the terms and conditions of an authorisation under sub-section (6) of section 3 of the Act;
- (r) “overlapping license or authorisation” means the license or authorisation held by an applicant, the scope and service area of which would be covered in its entirety within the scope and service area of the authorisation in respect of which an application is submitted under rule 6;
- (s) “Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface services” means the telecommunication services referred to as such in sub-rule (4) of rule 63;
- (t) “Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface service authorisation” means the authorisation to provide Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface services;
- (u) “portal” means portal as referred to in rule 78;
- (v) “public mobile radio trunking services” means a type of land mobile service that enables two-way telecommunication amongst users, using a pair of radio frequencies, allocated temporarily for duration of the call, from a designated spectrum band assigned to a repeater station, and the expression “public mobile radio trunking service network” shall be construed accordingly;
- (w) “public mobile radio trunking service authorisation” means the authorisation to provide public mobile radio trunking services;
- (x) “repeater station” means the radio equipment used to establish one or several cells of a land mobile service network; and
- (y) “Schedule” means the schedule annexed to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or the rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said rules.

3. Application.—(1) These rules provide for the terms and conditions of authorisation, which shall apply to the following, namely:—

- (a) authorisation for providing miscellaneous telecommunication services under sub-section (1) of section 3 of the Act; and
- (b) the relevant authorisation to the terms and conditions of which a new authorised entity has migrated to under sub-section (6) of section 3 of the Act.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), the provisions of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), and the rules and regulations made thereunder shall continue to apply in respect of a new authorised entity.

CHAPTER II

MISCELLANEOUS TELECOMMUNICATION SERVICES AND GRANT OF AUTHORISATION

4. Miscellaneous telecommunication services.—Any person intending to provide any of the following telecommunication services (hereinafter referred to as “miscellaneous telecommunication services”) may apply to the Central Government under rule 6 to obtain authorisation to provide such services in respect of the service area specified for the same, namely:—

- (a) public mobile radio trunking services for one or more service areas listed in Schedule B;

- (b) enterprise communication services for national service area;
- (c) machine-to-machine services for national service area;
- (d) Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface services for national service area;
- (e) in-flight and maritime connectivity services for national service area; and
- (f) aeronautical data communication services for national service area.

5. Eligibility.—A person specified in clause (a), who also fulfils the condition specified in clause (b), shall be eligible to apply for authorisation under rule 6, namely:—

- (a) it is a company—
 - (i) in which foreign direct investment, if any, is in conformity with the policy issued by the Government of India from time to time in respect of foreign direct investment and applicable law; and
 - (ii) the general character of whose management is sound in terms of its track record in providing telecommunication services or in establishing, operating, maintaining or expanding telecommunication networks in a responsible manner.
- (b) it has no pending dues:

Provided that if it is applying to obtain machine-to-machine service authorisation, it may be a company as referred to under clause (a), or any of the following, namely:—

- (i) a limited liability partnership in which foreign direct investment, if any, is in conformity with the policy issued by the Government of India from time to time in respect of foreign direct investment and applicable law;
- (ii) a sole proprietorship;
- (iii) a partnership firm;
- (iv) a trust;
- (v) a co-operative society or society;
- (vi) a Central Government Department;
- (vii) a State Government Department;
- (viii) a legislative body or its offices;
- (ix) a Court; or
- (x) any other Government-controlled entity:

Provided further that the Central Government may, if it is satisfied that it is necessary in public interest so to do, exempt or relax any condition under this rule.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expressions—

- (a) “Court” means—
 - (i) a court of law; and
 - (ii) other adjudicatory body, established by or under the Constitution or any law for the time being in force in the whole or any part of India,
 and includes the registry, secretariat or office thereof.
- (b) “other Government-controlled entity” means a body, whether incorporated or not, which is under the overall control of a Central Government Department or a State Government Department, and includes—
 - (i) an autonomous body; and
 - (ii) a not-for-profit government company.

6. Application for authorisation.—(1) A person intending to obtain an authorisation under these rules shall submit an application on the portal, in such form, manner and accompanied by such documents as specified therein.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by—

- (a) a non-refundable processing fee as specified in Schedule A; and
 - (b) a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in such form as specified on the portal, certifying that it meets the eligibility criteria under rule 5.
- (3) If the applicant holds any overlapping license or authorisation, it shall relinquish such existing overlapping license or authorisation as required under these rules.
- (4) If the pending dues referred to in clause (b) of rule 5 are subject to ongoing legal proceedings in which there is a judicial order injunctioning payment of such dues, the applicant shall—
- (a) comply with the conditions that may have been imposed in such order; and
 - (b) submit an undertaking to make payments, subject to the outcome of such proceedings;
- and submit with its application a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in such form as specified on the portal, certifying compliance with this sub-rule.
- (5) Any application made for grant of a license or letter of intent for grant of a license that may have been issued under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), prior to the date of commencement of these rules, shall lapse if the license under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) pursuant to such application or letter of intent had not been issued prior to the date of commencement of these rules.
- (6) An applicant to whom letter of intent issued under sub-rule (5) has lapsed may make an application for grant of authorisation under sub-rule (1):

Provided that any non-refundable processing fee or entry fee paid or bank guarantee furnished pursuant to such letter of intent may be reckoned towards fulfilment of any requirement under these rules as to payment of any processing fee or entry fee or submission of guarantee required under these rules, as the case may be, while paying or submitting fee or guarantee to the extent of shortfall, if any, after adjusting the amount paid or submitted previously.

7. Grant of authorisation.—(1) On receipt of application under rule 6, the Central Government may, make such inquiry as it deems fit regarding the eligibility of the applicant and, for this purpose, require the applicant to furnish such information as it may call for.

(2) The Central Government may,—

- (a) if it is satisfied that the applicant is eligible, issue a letter of intent to such applicant through the portal, specifying the requirements to be fulfilled for obtaining authorisation, including—
 - (i) payment of entry fee and submission of an unconditional and irrevocable guarantee for such authorisation of an amount as specified in Schedule A or for an amount in accordance with sub-rule (6) of rule 6, as the case may be; and
 - (ii) submission of an unconditional and irrevocable undertaking in such form and manner as specified on the portal, relinquishing the overlapping license or authorisation, if any, from the effective date of authorisation; or
- (b) reject the application.

(3) On being satisfied that the requirements specified in the letter of intent are fulfilled by the applicant, the Central Government may grant authorisation through the portal while specifying, among other things,—

- (a) its scope;
- (b) the service area and the duration for which the authorisation is granted; and
- (c) the effective date of such authorisation:

Provided that in-flight and maritime connectivity service authorisation, machine-to-machine service authorisation and Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface service authorisation shall be granted to the eligible applicants without any prior issuance of a letter of intent.

(4) Each authorisation granted under these rules shall be on a non-exclusive basis and additional authorisations for same miscellaneous telecommunication services may be granted by the Central Government within the same or other service areas without any restriction on the number of new authorised entities.

(5) A new authorised entity that has been granted authorisation under these rules may apply for assignment of spectrum under applicable law, subject to meeting any eligibility conditions for such assignment under such law.

Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that grant of authorisation under these rules shall not be construed as conferring any right to the assignment or use of spectrum on a new authorised entity.

8. Overlapping license or authorisation.—(1) A new authorised entity shall not be permitted to hold any overlapping license or authorisation.

(2) The relinquishment of an overlapping license or authorisation, if any, shall be without prejudice to any rights and liabilities arising from such license or authorisation, as the case may be, and in particular, shall not affect the following, namely:—

- (a) rollout obligations, and any other relevant obligations or liabilities including financial dues, determinations of violations and imposition of penalty thereof, if any, associated with such overlapping license or authorisation, shall remain applicable under the terms and conditions thereof, even after the relinquishment, as the case may be; and
- (b) the resource provided and permission given by the Central Government with respect to such overlapping license or authorisation, shall continue to apply in accordance with the terms on which it was obtained, unless the Central Government determines otherwise in public interest.

Explanation.—For the purpose of clause (b), the expressions—

1. “resource” means—
 - (a) the telecommunication identifiers already allocated;
 - (b) spectrum assigned to the new authorised entity;
 - (c) certificate of compliance held by the new authorised entity in respect of the overlapping license or authorisation; and
2. “permission” includes coverage test certificates as a part of compliance of rollout obligations, clearances, approvals, permissions for deployment for foreign nationals granted to the new authorised entity, and other permissions including for remote access and gateways permissions.

CHAPTER III GENERAL CONDITIONS

9. Duration of authorisation.—The duration of each authorisation granted under rule 7 shall be such as is specified under the said rule, subject to a maximum of twenty years and the provisions of rules 14, 15 and 77.

10. Continuing adherence to eligibility conditions.—Every new authorised entity shall, throughout the duration of authorisation, adhere to the conditions under rule 5.

11. Reporting and disclosure obligations.—(1) Every new authorised entity shall—

- (a) submit to the Central Government every year, on such date and accompanied by a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) in such form and manner as specified on the portal, certifying—
 - (i) the details of its Indian and foreign equity, both direct and indirect;
 - (ii) the details of persons having control over it; and
 - (iii) compliance with rule 10:

Provided that the Central Government may exempt new authorised entities that have turnover not exceeding such amount as may be specified on the portal from the requirement to make such submission.

Explanation.—For the purposes of sub-clause (i), direct and indirect foreign equity shall be determined in accordance with the policy issued by the Government of India from time to time in respect of foreign direct investment;

- (b) report any change in respect of the following to the Central Government on the portal, namely:—
 - (i) change in its shareholders resulting from an acquisition, which shall be reported within fifteen days from the date of such change:

Provided that in relation to a new authorised entity that is listed on the stock exchange, only such change in shareholdings as is required to be disclosed under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the bye-laws or listing conditions of the stock exchange concerned, shall be required to be reported under this sub-clause;

- (ii) change in the name under which it has been registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), accompanied by certified copy of the certificate of such registration, which shall be reported within thirty days from the date of issue of such certificate; and
- (iii) change in its details, including in respect of foreign equity, control, address and contact details and any other such material change in the details submitted previously, which shall be reported within fifteen days of such change; and

(c) furnish to the Central Government such documents, accounts, estimates, returns, reports or other information as the Central Government may require such new authorised entity to furnish, which shall be furnished within such period as the Central Government may specify.

(2) Every new authorised entity shall nominate and communicate to the Central Government and the designated agency, in such form and manner as specified on the portal, the details of a nodal person of such new authorised entity, based in India, who shall be responsible for providing any report or information or extending support as required under these rules.

(3) If there is admission of an application for initiation of corporate insolvency resolution process against a new authorised entity under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), such new authorised entity shall—

- (a) within forty-eight hours of such admission, inform the Central Government in this regard in writing; and
- (b) forthwith furnish to the Central Government, a copy of the order of the National Company Law Tribunal admitting such application.

12. Transfer.—(1) An authorisation may be assigned or transferred only with previous approval of the Central Government in writing, pursuant to a merger, demerger, acquisition or other form of restructuring under applicable law.

(2) Save as provided in sub-rule (1), a new authorised entity shall not—

- (a) assign or transfer, in any manner whatsoever, directly or indirectly, in whole or in part, any authorisation granted to it;
- (b) enter into any partnership or agreement for such assignment or transfer; or
- (c) create any interest in such authorisation in favour of a third party.

13. Renewal.—(1) A new authorised entity may submit an application for renewal of authorisation, in such form and manner as specified on the portal, at least twelve months prior to the expiry of the authorisation, accompanied by processing fee as specified in Schedule A.

(2) On receipt of a written request from a new authorised entity, the Central Government may permit an application after the period specified in sub-rule (1), if it is satisfied that there was sufficient cause for not making such application within such period, subject to payment of such late fees as the Central Government may specify in response to such request.

(3) The Central Government may, in its discretion, on receipt of an application under sub-rules (1) or (2), renew the authorisation for such period as may be decided by the Central Government, subject to a maximum of twenty years.

(4) Every renewal of authorisation under sub-rule (3) shall be subject to the applicable law at the time of such renewal.

(5) If the authorisation is not renewed, the new authorised entity shall give every user of its miscellaneous telecommunication services at least thirty days prior notice of expiry of its authorisation and of the options available to such users.

(6) Every new authorised entity shall maintain the quality of miscellaneous telecommunication service and telecommunication network till the expiry of its authorisation.

14. Revocation of authorisation.—(1) The Central Government may, without prejudice to any action that may be taken under section 21 of the Act, by order, revoke an authorisation in the following circumstances, namely:—

- (a) if, at any stage it is found that any of the representations, submissions or documents that had been provided by a new authorised entity with or during the processing of an application for authorisation were false;
- (b) if, a new authorised entity is directed to be placed into liquidation or is ordered to be wound up; or
- (c) if, the Telecom Regulatory Authority of India, in accordance with the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), recommends revocation of authorisation.

(2) Prior to issuing any order under sub-rule (1) on occurrence of events specified in clauses (a) and (c) of sub-rule (1), the Central Government shall give an opportunity of being heard to the new authorised entity referred to in sub-rule (1).

(3) Every order under sub-rule (1) shall be published by the Central Government on the portal and be effective from the sixty-first day from the date of publishing of such order, and the new authorised entity shall give public notice of such order of revocation within forty-eight hours of it being published on the portal, and shall adhere to sub-rules (4) and (5) of rule 77.

15. Surrender of authorisation.—(1) A new authorised entity seeking to surrender an authorisation, shall submit an application in such form and manner as specified on the portal, accompanied by an undertaking, and other information as may be specified on the portal.

(2) The Central Government may, approve or reject an application submitted under sub-rule (1), and if approved, the details relating to the authorisation that is surrendered shall be published by the Central Government on the portal.

(3) The new authorised entity surrendering its authorisation under this rule shall within forty-eight hours of such details being published on the portal—

(a) give public notice of such surrender;

(b) give every user of its miscellaneous telecommunication services notice of—

(i) the effective date of surrender, which shall be thirty-first day from the date of such notice to the user; and

(ii) the options available to such users; and

(c) communicate to the Central Government the effective date of such surrender as communicated to users under clause (b).

(4) Every new authorised entity shall maintain the quality of miscellaneous telecommunication services and telecommunication network till the effective date referred to in clause (b) of sub-rule (3).

(5) Every new authorised entity shall pay all amounts due and payable to the Central Government till the effective date of surrender referred to in clause (b) of sub-rule (3), including in respect of authorisation fees.

(6) The new authorised entity surrendering its authorisation under this rule shall not be entitled to refund of any fees or charges paid in respect of, or under such authorisation.

16. Actions pursuant to revocation, surrender or expiry of authorisation.—On revocation, surrender or expiry of the authorisation held by a new authorised entity—

(a) the spectrum assigned in respect of such authorisation, if any, to such entity shall stand withdrawn from the effective date of such revocation, surrender or expiry; and

(b) such entity shall manage its radio equipment in accordance with applicable law.

17. Consequence of migration.—(1) If a new authorised entity submits an application for migration under the Telecommunications (Terms and Conditions for Migration) Rules, 2026, the relinquishment of any overlapping authorisation of such new authorised entity shall become effective on the effective date of such migration.

(2) The relinquishment of the overlapping authorisation shall be without prejudice to rights and liabilities arising from such overlapping authorisation, which shall remain applicable in accordance with the Telecommunications (Terms and Conditions for Migration) Rules, 2026.

18. Set off.—(1) The Central Government may adjust or set off any amount payable by a new authorised entity to the Central Government against any amount payable by it to such new authorised entity, whether such amount is presently due or may become due at any time in future, including any amount arising from the encashment, claim or appropriation of the guarantee.

(2) The Central Government shall, subsequent to any action taken under sub-rule (1), inform the new authorised entity of such set-off.

19. Recovery of dues.—Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the Central Government by a new authorised entity, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.

20. Power to call for information.—The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, require a new authorised entity to furnish such information as it may call for.

21. Power to relax.—Where the Central Government considers it necessary or expedient so to do, on a request made by a new authorised entity or otherwise, on occurrence of a natural calamity or any event which in its opinion has prevented such new authorised entity or class of similarly situated new authorised entities from performance of any of its obligations under these rules, by order and for reasons to be recorded in writing, relax such performance for such period and subject to such terms and conditions as it may decide.

22. Power to issue orders, directions or guidelines.—The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, issue orders, directions or guidelines not inconsistent with the Act or these rules, which shall constitute the terms and conditions applicable to every new authorised entity.

CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATING CONDITIONS

23. Telecommunication network.—(1) Every new authorised entity that holds an authorisation under these rules, while conforming with the scope of such authorisation, may establish, operate, maintain or expand telecommunication network and may also possess radio equipment, without requiring separate authorisation under clauses (b) or (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act:

Provided that in respect of assignment and use of spectrum, sub-rule (5) of rule 7 shall apply.

(2) Every new authorised entity shall establish, operate, maintain or expand the telecommunication network for provision of miscellaneous telecommunication services pursuant to its authorisation in accordance with the Act and rules made thereunder, and shall ensure that such telecommunication equipment, telecommunication network used, and such miscellaneous telecommunication services provided are in conformity with applicable standards and conformity assessment measures that the Central Government may notify under section 19 of the Act.

(3) Every new authorised entity shall furnish technical details of miscellaneous telecommunication services and the telecommunication network being used to provide such miscellaneous telecommunication services, including the details of technology deployed by it, to the Central Government or the designated agency, at such times as may be required pursuant to any direction that the Central Government may issue in this regard.

(4) Every new authorised entity shall make its own arrangements, including in respect of right of way, for establishing telecommunication networks and shall be solely responsible for the establishment, operation, maintenance, expansion and commissioning of necessary infrastructure, telecommunication equipment and systems, and all aspects of its telecommunication network:

Provided that such new authorised entity may take telecommunication network, passive telecommunication infrastructure or telecommunication resources, as the case may be, on mutually agreed terms from other new authorised entities or licensees.

(5) The non-availability of right of way or delays in obtaining right of way permission by the new authorised entity shall not be a cause or ground for non-fulfilment of the rollout obligations or non-compliance with any other obligations under these rules.

(6) Every new authorised entity shall adhere to orders, directions or guidelines that the Central Government may issue in respect of the following, namely:—

- (a) deployment of energy efficient telecommunication equipment; and
- (b) preferential market access for procurement of indigenously manufactured telecommunication equipment.

24. Location of telecommunication network elements.—(1) Every new authorised entity shall, prior to establishment or expansion of telecommunication network in security sensitive areas as may be specified by the Central Government, apply to the Central Government on the portal, for its approval.

(2) Every new authorised entity shall ensure that—

- (a) all systems of its telecommunication network,—
 - (i) owned or taken as a service from another new authorised entity or licensee; or
 - (ii) on lease, hire or sharing basis from another new authorised entity or licensee;

are located within its service areas of authorisations for provision of miscellaneous telecommunication services:

Provided that in cases where telecommunication network is taken as a service from a cloud-hosted telecommunication network provider authorised under applicable law, the systems of such telecommunication network may be located anywhere in India; and

- (b) all data, logs and information associated with its telecommunication network shall be stored within India and no copies of such data, logs and information shall be routed, shared or made available outside India.

25. Sharing of telecommunication network and infrastructure.—(1) A new authorised entity that holds different authorisations may share its passive telecommunication infrastructure, telecommunication equipment or any other system of its telecommunication network for providing miscellaneous telecommunication services permitted under the scope of its authorisations subject to adherence to the conditions specified under these rules.

(2) The new authorised entity as referred to in sub-rule (1), may enter into mutual agreements with other new authorised entity or licensee, for sharing its telecommunication infrastructure, telecommunication equipment or any other system of its telecommunication network with such other new authorised entity or licensee.

26. Commencement of provision of miscellaneous telecommunication services to users.—(1) Every new authorised entity shall, after providing prior intimation to the Central Government on the portal, commence provision of any miscellaneous telecommunication service permitted under the scope of its authorisation.

(2) Every new authorised entity shall within fifteen days from the date of commencement of provision of miscellaneous telecommunication services to users inform to the Central Government the date of commencement of miscellaneous telecommunication services to users.

27. Provision of miscellaneous telecommunication services.—(1) Every new authorised entity shall—

- (a) not discriminate between users registered for its miscellaneous telecommunication services with regard to commercial principles for provision of such telecommunication services; and
- (b) issue or cause to be issued, in its own name, bills, invoices or vouchers, by whatever name called, to its users for use of the miscellaneous telecommunication services with adequate details to users about the genuineness of such bills, invoices or vouchers.

(2) The Central Government may specify on the portal the restrictions on the provision or use of miscellaneous telecommunication services in restricted areas falling near the international borders of the territory of India, the Line of Control, the Line of Actual Control of India or any other areas as may be specified on the portal:

Provided that in such restricted areas, the Central Government may allow the provision or use of such telecommunication services to specified users and a new authorised entity shall facilitate the same based on directions that the Central Government may issue in this behalf.

(3) Save as provided in rules 14, 15 and 77, the new authorised entity shall ensure continuity of the miscellaneous telecommunication services to its users.

(4) Every new authorised entity shall establish and publicise necessary mechanisms including an online mechanism to enable users to register any grievance pertaining to subscribed miscellaneous telecommunication services and to redress such grievance, in accordance with applicable law.

(5) Any dispute with regard to the provision of miscellaneous telecommunication service shall only be between a user and the new authorised entity and such new authorised entity shall duly inform the same to the user before provision of such telecommunication services, and the Central Government shall not bear any liability or responsibility in the matter.

(6) Every new authorised entity shall indemnify the Central Government against all claims, costs, charges or damages arising from any claims from users for any reason whatsoever.

(7) Every new authorised entity shall, while providing any telecommunication resource to another new authorised entity or licensee, satisfy itself that such new authorised entity or licensee is eligible to obtain such telecommunication resource.

(8) Every new authorised entity shall, while obtaining any telecommunication resource from another new authorised entity or licensee, satisfy itself that such new authorised entity or licensee is eligible to provide such telecommunication resource.

28. Right to inspect and undertake assessments.—(1) The Central Government may, for the purposes of monitoring adherence to these rules, after issuing a reasonable notice to the new authorised entity in this regard,—

- (a) access and inspect the sites where telecommunication equipment and telecommunication network are established for provision of miscellaneous telecommunication services, including within a user's premises;
- (b) audit processes or systems established by such new authorised entity for compliance of these rules:

Provided that no notice shall be provided to such new authorised entity, if the Central Government considers that immediate action is necessary or expedient in public interest:

Provided further that the Central Government, may appoint a designated agency to audit processes or systems established by that new authorised entity for adherence to these rules, on such charges that the Central Government may determine, which shall be payable by that new authorised entity:

Provided also that such designated agency shall not collect nor require the disclosure of any information, the disclosure of which may harm the competitive position of any user or the new authorised entity, including any confidential data, commercially price sensitive data, trade secrets, intellectual property, or information covered by fiduciary relationship from the telecommunication network or premises of that new authorised entity or user:

Provided also that if the Central Government considers the collection of information of new authorised entity that is covered by the third proviso is necessary for arriving at the findings of the audit, then it may direct the designated agency to collect such data and the decision of the Central Government in this regard shall be final.

(2) Every new authorised entity shall provide the necessary facilities and support to facilitate the audit and inspection as required under sub-rule (1).

29. Confidentiality of information.—(1) Every new authorised entity shall prior to commencement of miscellaneous telecommunication services, confirm in writing to the Central Government that it has taken all necessary steps to ensure adherence to the applicable law to protect data privacy and confidentiality of user information, including such compliance by its employees and consultants.

(2) Every new authorised entity shall not share any information relating to its telecommunication network with any other person except with the prior approval of the Central Government in writing:

Provided that no such approval shall be required for providing such details of the telecommunication network, as may be required by its telecommunication equipment suppliers or manufacturers.

CHAPTER V SECURITY CONDITIONS

30. Management of new authorised entity.—(1) Every new authorised entity shall ensure the following, namely:—

- (a) majority of directors on the board of such new authorised entity shall be Indian citizens.
- (b) the chief officer in charge of telecommunication network, security and system administrators of such new authorised entity shall be resident Indian citizens.

(2) Every new authorised entity shall ensure security vetting of any foreign nationals by the Ministry of Home Affairs in the Government of India—

- (a) prior to the appointment of such foreign national to the positions of the chairman, managing director, chief executive officer or chief financial officer, and such security vetting shall be done on an annual basis for the duration of such appointment; and
- (b) prior to the deployment of such foreign nationals for the establishment operation, maintenance or expansion of its telecommunication network.

(3) Every new authorised entity shall apply for the security vetting provided in sub-rule (2), in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, and the decision of the Ministry of Home Affairs in the Government of India in this regard shall be binding on such new authorised entity.

31. Enrolment of users and activation of miscellaneous telecommunication services.—(1) Every new authorised entity shall, prior to enrolment and activation of miscellaneous telecommunication services of a user, undertake identification of such user, in accordance with such orders, directions or guidelines as the Central Government may issue in this behalf, and through any method as such new authorised entity may deem fit.

(2) Every new authorised entity shall, at the time of enrolment of a user, collect and maintain the details of information of such user in its database, including subscriber data record for each miscellaneous telecommunication service, and maintain an updated databased of its users, in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government.

(3) Every new authorised entity shall provide access to the database maintained under sub-rule (2), and to the traceable identity of a user to the Central Government, the authorised agency or the designated agency.

32. Data to be located in India.—No new authorised entity shall transfer user information to any person or place outside India:

Provided that nothing in this rule shall restrict any financial disclosure as may be required under these rules or as under applicable law.

33. Maintenance of records.—(1) Every new authorised entity shall maintain and store records of all operations and command logs, which shall include the details of command given along with the details of executing authority, date,

time and place, in a manner so as to enable access to the Central Government or designated agency—

- (a) on real-time basis, for a minimum period of twelve months; and
- (b) on a non-real time basis in digital mode for the next twenty-four months.

(2) Every new authorised entity shall maintain all commercial records, subscriber data record, call data record or call detail record, exchange detail record, internet protocol detail record or internet protocol data record and any other similar records for all of miscellaneous telecommunication services provided by such new authorised entity, in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government.

(3) Every new authorised entity shall provide the details of the records maintained under sub-rule (2) to the Central Government or the designated agency, in such form and manner as specified on the portal.

34. Securing information transacted through telecommunication network.—(1) Every new authorised entity shall take adequate and timely measures to ensure that the messages communicated through the telecommunication network are secure and protected.

(2) Every new authorised entity shall ensure privacy of messages communicated through its telecommunication network and that unauthorised interception of messages does not take place:

Provided that nothing in this sub-rule shall prevent such new authorised entity from providing records of messages and other data from its telecommunication network to the Central Government, the authorised agency or the designated agency, on receipt of a direction in exercise of powers under the applicable law.

35. Prevention of use of telecommunication network for unauthorised or unlawful activities.—Every new authorised entity shall ensure that its telecommunication network is used only for providing miscellaneous telecommunication services for which it is authorised, to *bona fide* users and not for undertaking any activities or commissioning any action that constitutes an offence under the Act, Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) or any other law for the time being in force, including laws prohibiting crimes against the State.

36. Trusted sources and trusted products.—(1) For the purpose of this rule, the designated authority shall be the National Cyber Security Coordinator of the Central Government, who shall determine the categories of telecommunication equipment for which the security requirements related to trusted sources and trusted products are applicable, and specify the same on its website for this purpose.

(2) The designated authority may specify the list of trusted sources along with the associated trusted products for the categories of telecommunication equipment as specified under sub-rule (1).

(3) The designated authority may specify the procedure for inclusion of telecommunication equipment in the list of trusted sources and trusted products referred to in sub-rule (2).

(4) The designated authority may also specify a list of persons from whom no procurement of telecommunication equipment may be undertaken.

(5) Every new authorised entity shall adhere to conditions as specified by the designated authority on its website for procurement of telecommunication equipment and establish, operate, maintain and expand only trusted products in its telecommunication network.

(6) Every new authorised entity shall register itself on the website specified by the designated authority and provide relevant details relating to the telecommunication network or telecommunication equipment as may be required by such authority.

(7) Every new authorised entity shall, prior to the procurement of telecommunication equipment and associated trusted products or categories thereof, for establishing its telecommunication network or any upgradation or expansion thereof, adhere to the following process, namely:—

- (a) if the designated authority has already determined certain telecommunication equipment as trusted products and their corresponding trusted sources under sub-rule (2), such new authorised entity shall ensure adherence to the same and submit to the designated authority,—
 - (i) the list of telecommunication equipment and the sources from which it is planning to procure; and
 - (ii) periodic reports of procurement of telecommunication equipment and sources thereof, and the locations of deployment of the same;
- (b) if clause (a) is not applicable, such new authorised entity shall submit to the designated authority, the details of the telecommunication equipment and their sources from which it is intending to procure the same, as per the procedure specified by the designated authority for this purpose under sub-rule (3);
- (c) if the designated authority approves the telecommunication equipment and their sources as submitted under

clause (b) above, such new authorised entity shall proceed to procure and establish the same;

- (d) such new authorised entity shall adhere to such directions or guidelines, including the guidance for enhanced supervision and effective control of telecommunication networks, that the Central Government or the designated authority may issue in this behalf.

(8) Every new authorised entity shall provide relevant technical, operational, supply chain, and security-related information relating to the telecommunication equipment deployed or being deployed in its telecommunication network, on receiving a request from the Central Government or the designated authority.

(9) Every new authorised entity shall submit to the Central Government or the designated agency, compliance reports under this rule, through the portal, within such date as may be specified therein.

(10) These rules shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may consider necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which shall be binding on new authorised entities.

37. Prohibition of certain activities.—(1) A telecommunication network of a new authorised entity established under these rules shall not be used for transmission of—

- (a) messages which are illegal or unauthorised as per applicable law, including rules made under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000); or
(b) messages infringing copyright and intellectual property right in any form.

(2) Every new authorised entity shall take necessary measures to prevent transmission of message in violation of sub-rule (1), in its telecommunication network, on receipt of such direction from the Central Government or an order of the Court.

(3) Every new authorised entity shall ensure that its telecommunication network or installation thereof does not become a safety or health hazard and is not in contravention of any applicable law.

38. General security conditions.—(1) Every new authorised entity shall—

- (a) ensure security of its telecommunications network;
(b) provide facilities as the Central Government may require to respond to any situations of espionage, subversive acts, sabotage or any other unlawful activity; and
(c) ensure capability to suspend provision of miscellaneous telecommunication services in such areas and subject to such accuracy as the Central Government or State Government may specify in respect of the boundary of the area so specified.

(2) Every new authorised entity shall adhere to maps provided by the Survey of India for the precise delineation of service area of authorisation along international borders, if any.

(3) Every new authorised entity shall implement appropriate technical and organisational measures, and reasonable security safeguards to ensure effective observance of the provisions of these rules.

CHAPTER VI

SPECIFIC CONDITIONS FOR TYPES OF MISCELLANEOUS TELECOMMUNICATION SERVICES

39. Applicability of Chapter VI.—(1) In addition to the rules mentioned in Chapter I to Chapter V, the rules mentioned in different Parts of this Chapter shall also apply to a new authorised entity providing specific miscellaneous telecommunication services specified in the scope of the relevant Part of this Chapter.

(2) In the event of any conflict between the provisions of Chapter I to Chapter V and Chapter VI, the rules mentioned in Chapter VI shall prevail to the extent of such conflict.

PART A

PUBLIC MOBILE RADIO TRUNKING SERVICE AUTHORISATION

40. Applicability of Part A.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds public mobile radio trunking service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds public mobile radio trunking service authorisation.

41. Scope of public mobile radio trunking service authorisation.—(1) The public mobile radio trunking service authorisation consists of authorisation for provision of public mobile radio trunking services.

(2) Every new authorised entity that holds a public mobile radio trunking service authorisation may provide public mobile radio trunking services through wireless terrestrial networks.

(3) Every new authorised entity shall provide only such miscellaneous telecommunication services which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which requires a separate authorisation from the Central Government.

42. Fees and charges.—(1) For the purposes of this Part, the expressions—

- (a) “gross revenue” of the new authorised entity shall include all types of revenues accrued to the new authorised entity from its operations and activities and all income accrued from any source whatsoever, including but not limited to, dividend, rent, profit on sale of fixed assets and miscellaneous income, without any set-off for related items of expenses;
- (b) “applicable gross revenue” means the revenue, which shall be equal to gross revenue of the new authorised entity as reduced by the items listed below,—
 - (i) revenue from operations other than telecommunication activities or operations;
 - (ii) revenue from activities under an authorisation, permission or registration issued by the Ministry of Information and Broadcasting;
 - (iii) receipts from the Digital Bharat Nidhi; and
 - (iv) revenue falling under the following items, namely:—
 - (A) income from dividend;
 - (B) income from interest;
 - (C) capital gains on account of profit on sale of fixed assets and securities;
 - (D) gains from foreign exchange rates fluctuations;
 - (E) income from property rent;
 - (F) insurance claims;
 - (G) bad debts recovered; and
 - (H) excess provisions written back:

Provided that the Central Government may specify the description and conditions applicable to these revenue sources and the manner of their computation.

- (c) “adjusted gross revenue” means revenue which shall be equal to applicable gross revenue;
- (d) “spectrum charges linked to adjusted gross revenue”, in relation to public mobile radio trunking service authorisation, means the fees in respect of assignment of spectrum, calculated as a percentage of adjusted gross revenue at such rate specified under the applicable law.

(2) Every new authorised entity shall pay an annual authorisation fee for public mobile radio trunking service authorisation, from the effective date of such authorisation, which shall be eight per cent. of the adjusted gross revenue subject to the amounts specified in sub-rules (3) to (5), as applicable.

(3) From the second year of the effective date of the authorisation, and for each subsequent year the authorisation fee shall be higher of—

- (a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or
- (b) thirty per cent. of the applicable entry fee as specified in Schedule A.

(4) In the event of renewal of public mobile radio trunking service authorisation, the authorisation fee from the effective date of renewal shall be higher of—

- (a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or
- (b) thirty per cent. of the applicable entry fee as specified in Schedule A.

(5) In the event of migration of license to the terms and conditions of public mobile radio trunking service authorisation, the authorisation fee from the effective date of migration shall be higher of—

- (a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or
- (b) thirty per cent. of the applicable entry fee as specified in Schedule A:

Provided that if the licensee has migrated within twelve months of the effective date of license, the authorisation fee as referred to in clause (a) of sub-rule (5) shall be payable for the remaining period till the completion of twelve months from the effective date of the license.

(6) The authorisation fee under sub-rules (2) to (5) shall be inclusive of the amount attributable to the Digital Bharat Nidhi, which shall be equal to five-eighths of such authorisation fee.

(7) The rate of authorisation fee or amount attributable to Digital Bharat Nidhi, as specified in sub-rules (2) to (5), may be varied at any time within the duration of the authorisation.

(8) If the new authorised entity acquires the right to use of spectrum under the applicable law, in addition to the authorisation fee, the spectrum charges linked to adjusted gross revenue, shall be payable in accordance with rule 43.

43. Schedule of payment.—(1) The authorisation fee or spectrum charges linked to adjusted gross revenue determined under these rules shall be payable by a new authorised entity in four quarterly instalments during each financial year commencing from the first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter.

(2) Every new authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue in the following manner, namely:—

- (a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter; and
- (b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected revenue for that quarter, subject to a minimum amount equal to the authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue paid for the previous quarter:

Provided that the new authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of the next financial year.

(3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of revenue on accrual basis for the relevant quarter, and shall be accompanied, in such form and manner as specified on the portal, by a self-certificate and a statement of revenue for each authorisation held by the new authorised entity, that are signed and electronically verified by a representative of such new authorised entity who has been duly authorised by a board resolution and general power of attorney.

(4) Every new authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each calendar year—

- (a) submit statement of revenue for all quarters of the previous financial year, in such form and manner as specified on the portal, duly audited and signed by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and
- (b) make the final adjustment of the authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub-rule (2).

(5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or spectrum charges linked to adjusted gross revenue or any other dues payable by the new authorised entity beyond the period specified for such payment, such new authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent. compounded annually:

Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest.

(6) Every new authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted quarterly statements of revenue under sub-rule (3) with those appearing in annual accounts, duly audited and signed by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), accompanied by a copy of the published annual accounts and audit report within seven days of the date of signing of the audit report or within the timeline provided under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) for filing of annual financial statements, whichever is earlier:

Provided that the annual financial statements, the statement of revenue, and the reconciliation statement shall be prepared in accordance with such norms or orders or directions as may be specified on the portal.

(7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by the new authorised entity, in such manner as specified on the portal.

44. Guarantee requirements for authorisation.—(1) Every new authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit an unconditional and irrevocable guarantee, in such form and manner, as specified on the portal, of any of the following types, namely:—

- (a) a bank guarantee from any Scheduled Commercial Bank or public financial institution, with a minimum validity period of one year from the date of its issuance;
- (b) a performance bond, issued by an Indian insurance company, in accordance with the guidelines made under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), with a minimum validity period of one year from the date of its issuance; or
- (c) non-interest-bearing cash deposit with the Central Government.

(2) The purpose of the guarantee as specified in sub-rule (1) is to provide security for compliance of all the terms and conditions of the authorisation, including but not limited to payment of authorisation fee, spectrum charges linked to adjusted gross revenue, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of the orders, directions or guidelines issued by the Central Government and any other dues payable under the authorisation.

(3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to annual review by the Central Government and the new authorised entity shall maintain a valid guarantee throughout the duration of authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later:

Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of public mobile radio trunking service authorisation in Schedule A or for an amount in accordance with sub-rule (6) of rule 6, and for each subsequent year of authorisation, the guarantee shall be for an amount determined by the Central Government, based on the higher of—

- (a) the amount of initial guarantee as specified in respect of public mobile radio trunking service authorisation in Schedule A; or
- (b) twenty per cent. of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure as specified on the portal, of the following, namely:—
 - (i) authorisation fee payable for two quarters;
 - (ii) spectrum charges linked to adjusted gross revenue payable for two quarters; and
 - (iii) any other dues that are not otherwise secured.

(4) Every new authorised entity shall extend the validity period, by a minimum of one year, of such guarantee at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.

(5) Failure to maintain a valid guarantee at any time throughout the duration of authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim the performance bond or appropriate the cash deposit, without any notice to the new authorised entity:

Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim or appropriation of such guarantee.

(6) If the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, the new authorised entity shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee to the full amount within thirty days thereof:

Provided that the Central Government may, on receipt of a written request from such new authorised entity before the expiry of the period specified in this sub-rule, allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing.

(7) The Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee submitted by the new authorised entity in the following cases, namely:—

- (a) non-payment of authorisation fee, spectrum charges linked to adjusted gross revenue, or any other dues payable under the authorisation or assignment;
- (b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or
- (c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment:

Provided that before taking any action under this sub-rule, the Central Government may issue a notice to such new authorised entity and afford it a reasonable opportunity of being heard.

(8) On revocation, surrender or expiry of the authorisation, the Central Government shall release the guarantee only after ensuring clearance of all dues, which such new authorised entity is liable to pay to the Central Government:

Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realised through encashment, claim or appropriation of the guarantee as provide in sub-rule (7), without prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government.

45. Assessment of authorisation fees and spectrum charges linked to adjusted gross revenue.—(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees and spectrum charges linked to adjusted gross revenue, in accordance with the procedure as specified on the portal.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “assessment” shall include reassessment and recomputation.

(2) If a new authorised entity holds more than one authorisation for any other telecommunication service or telecommunication network or for the same telecommunication service in a different service area, it shall draw, maintain and furnish separate accounts and a separate statement of computation of authorisation fee for each authorisation.

(3) Every new authorised entity shall, in respect of each authorisation it holds—

- (a) compile and maintain accounting records, that are sufficient to show and explain its transactions in respect of each completed quarter throughout the duration of the authorisation or of such lesser periods as may be specified on the portal, fairly presenting the costs, including capital costs, revenue, and financial position of such new authorised entity’s business under the authorisation including a reasonable evaluation of the assets employed in and the liabilities attributable to that new authorised entity’s business for the quantification of revenue or any other purpose;
- (b) ensure that bilateral settlement of accounts with other new authorised entities or licensees which holds any authorisation or license, are conducted through normal banking channels in a transparent manner; and
- (c) furnish to the Central Government details of the mechanism for the settlement of accounts with such other new authorised entities or licensees, including in respect of charges for usage of network and facilities, as well as details of the actual settlements.

(4) Every new authorised entity shall maintain and preserve billing and other accounting records relating to the provision of public mobile radio trunking services under its authorisation, for each financial year, in electronic form as well as hard copy, for a period of at least six years from the date of publishing of its duly audited and approved annual accounts:

Provided that if such new authorised entity seeks to maintain and preserve such records in only electronic form, it may do so with the prior approval of the Central Government, which may be considered on a case-to-case basis, and on such approval being expressly granted, such records shall be maintained and preserved in accordance with rule 3 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, made under the Companies Act, 2013 (18 of 2023):

Provided further that if the authorisation fee, spectrum charges linked to adjusted gross revenue or any other charges for any period are under dispute, the said records shall be retained until such dispute is resolved.

(5) The Central Government may, at any time, direct the new authorised entity to supply information or provide access to the books of annual accounts that such new authorised entity maintains under the terms of its authorisation, and that new authorised entity shall forthwith adhere to such direction.

(6) The Central Government may, at any time, subject the records of a new authorised entity to such scrutiny as it may determine, with a view to facilitating independent verification of the amounts payable to the Central Government, including authorisation fees, spectrum charges linked to adjusted gross revenue and any other charges.

(7) The Central Government may, on forming an opinion that the statements of revenue in respect of public mobile radio trunking service authorisation or annual accounts submitted by the new authorised entity are inaccurate or misleading, or for any other reason, order audit of the accounts of such new authorised entity, by appointing one or more auditors, who shall have the same powers which the auditors of the company have under sub-section (1) of section 143 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and on such charges that the Central Government may determine, which shall be payable by that new authorised entity.

(8) If any new authorised entity fails to submit the annual accounts, audit report and other required documents under sub-rules (4) and (6) of rule 43 within nine months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee or spectrum charges linked to adjusted gross revenue, on best judgement basis:

Provided that before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to such new authorised entity providing it an opportunity of being heard.

(9) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after the lapse of a period of four years from the end of such financial year except as provided under sub-rule (10).

(10) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has not been subject to assessment is likely to be equivalent to an amount of fifty lakh rupees or more for such financial year.

(11) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (9) and sub-rule (10), any period of stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.

(12) Notwithstanding anything contained in sub-rule (9) and sub-rule (10), assessment of authorisation fee or spectrum charges linked to adjusted gross revenue may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction.

(13) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue, issue directions to new authorised entity, in respect of any miscellaneous telecommunication services, in relation to accounts and audit of such new authorised entity, and that new authorised entity shall adhere to such directions.

46. Technical and operating conditions.—(1) Every new authorised entity shall not interconnect its telecommunication network with the telecommunication network established for provision of public mobile radio trunking services by any other new authorised entity or licensee.

(2) Every new authorised entity may establish connectivity amongst its repeater stations within the service area for providing public mobile radio trunking services.

(3) Every new authorised entity may establish outgoing connectivity of its telecommunication network with public switched telephone network or public land mobile network, subject to such limitations as the Central Government may specify in the orders, directions or guidelines issued by it in this behalf.

(4) Every new authorised entity may shift the location of the repeater station from one location to another within the geographical area for which spectrum has been assigned:

Provided that the radio coverage resulting from such shifting of location of the repeater station shall remain within the geographical area for which spectrum has been assigned.

(5) Every new authorised entity may install additional repeater station within the geographical area for which spectrum has been assigned, after obtaining the prior approval of the Central Government in writing, by making an application on the portal in respect of—

(a) additional block of frequencies for the new repeater station; or

(b) use of assigned frequencies within such geographical area, at the new repeater station by way of partial shifting of a few frequency carriers out of the pool of assigned frequencies:

Provided that the radio coverage resulting from the installation of the additional repeater station, shall remain within the geographical area for which spectrum has been assigned.

(6) Every new authorised entity may replace its radio equipment and user terminals, after obtaining the prior approval of the Central Government in writing, pursuant to an application made on the portal and accompanied by such documents as may be specified therein.

(7) Every new authorised entity shall ensure that the user terminal is operated in accordance with the terms and conditions of the authorisation, and relevant orders, directions or guidelines that the Central Government may issue from time to time for this purpose.

(8) Every new authorised entity may undertake the sale, hire, purchase, lease or rent of user terminals, and the users shall be given the option to obtain the user terminal from any source that meets the standards notified by the Central Government under section 19 of the Act.

47. Rollout obligations.—(1) Every new authorised entity shall rollout the telecommunication network for provision of public mobile radio trunking services, including establishment of at least one repeater station in the geographical area for which spectrum has been assigned by the Central Government, within twelve months from the date of such assignment.

(2) Every new authorised entity shall register with the Central Government on the portal, in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, for verification of compliance of rollout obligations as specified in sub-rule (1).

(3) On successful verification under sub-rule (2), the date of registration with the Central Government shall be treated as the date of compliance to the rollout obligations.

(4) In case of failure on verification under sub-rule (2), the new authorised entity shall re-register, after necessary corrections, and in such cases, the date of re-registration with the Central Government, on successful verification, shall be treated as the date of compliance of the rollout obligation.

(5) Any failure to adhere to the rollout obligations shall be treated as breach of the terms and conditions of the authorisation and shall be dealt with as per the provisions of Chapter VIII of the Act:

Provided that if the rollout obligations are adhered to within thirty days of the expiry of the due date for adhering to such obligations, the Central Government shall consider the same as timely fulfilment of rollout obligations.

(6) In case of failure to adhere to the rollout obligations, in addition to imposition of civil penalty as per the provisions of Chapter VIII of the Act, the spectrum assignment for telecommunication network for public mobile radio trunking services shall be subject to the relevant provisions of the Act and the terms and conditions of spectrum assignment.

48. Security conditions.—(1) Every new authorised entity, at its own cost, shall make arrangements for provision of monitoring facilities in accordance with such orders, directions or guidelines that the Central Government or the designated agency may issue from time to time for this purpose.

(2) Every new authorised entity shall inform the users that they shall be responsible for proper and *bona fide* use of public mobile radio trunking services.

PART B

ENTERPRISE COMMUNICATION SERVICE AUTHORISATION

49. Applicability of Part B.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds enterprise communication service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds enterprise communication service authorisation.

50. Scope of enterprise communication service authorisation.—(1) For the purpose of this Part, the expressions—

- (a) “audio conferencing service” means a miscellaneous telecommunication service that allows multiple users to join a single audio conference and interact at the same time by providing real-time transmission of voice amongst such users;
- (b) “audiotex service” means a miscellaneous telecommunication service that is either an interactive or a non-interactive, non-real time, telecommunication service that provides to users, through standardised procedures, capability to communicate with an audiotex database through telecommunication network;
- (c) “cloud based Electronic Private Automatic Branch Exchange service” means providing Electronic Private Automatic Branch Exchange-as-a-service or communications platform-as-a-service to users; and
- (d) “voice mail service” means a miscellaneous telecommunication service providing access of voice mailbox attached to a unique telecommunication identifier to a user.

(2) The enterprise communication service authorisation consists of authorisation for the following miscellaneous telecommunication services that are provided to users on commercial basis, namely:—

- (a) audio conferencing service;
- (b) audiotex service;
- (c) cloud-based Electronic Private Automatic Branch Exchange service; and
- (d) voice mail service.

(3) Every new authorised entity shall provide only such miscellaneous telecommunication services which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication services which requires a separate authorisation from the Central Government.

51. Fees and charges.—(1) For the purposes of this Part B, the expressions—

- (a) “gross revenue” of the new authorised entity shall include all types of revenues accrued to such new authorised entity from its operations and activities and all income accrued from any source whatsoever, including but not limited to, interest, dividend, rent, profit on sale of fixed assets and miscellaneous income, without any set-off for related items of expenses;
- (b) “applicable gross revenue” means the revenue which shall be equal to gross revenue of the new authorised entity as reduced by the items listed below—
 - (i) revenue from operations other than telecommunication activities or operations;

- (ii) revenue from activities under an authorisation, permission or registration issued by the Ministry of Information and Broadcasting;
- (iii) receipts from the Digital Bharat Nidhi; and
- (iv) revenue falling under the following items, namely:—
 - (A) income from dividend;
 - (B) income from interest;
 - (C) capital gains on account of profit on sale of fixed assets and securities;
 - (D) gains from foreign exchange rates fluctuations;
 - (E) income from property rent;
 - (F) insurance claims;
 - (G) bad debts recovered; and
 - (H) excess provisions written back:

Provided that the Central Government may specify the description and conditions applicable to these revenue sources and the manner of their computation.

- (c) “adjusted gross revenue” means revenue which shall be calculated by excluding from the applicable gross revenue, call charges in respect of public switched telephone network or public land mobile network, actually paid to other new authorised entities or licensees which hold any authorisation or license.

(2) Every new authorised entity shall pay an annual authorisation fee for enterprise communication service authorisation, from the effective date of such authorisation, which shall be eight per cent. of the adjusted gross revenue subject to the amounts specified in sub-rules (3) to (5), as applicable.

(3) From the second year of the effective date of the authorisation and for each subsequent year the authorisation fee shall be higher of—

- (a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or
- (b) one lakh rupees.

(4) In the event of renewal of enterprise communication service authorisation, the authorisation fee from the effective date of renewal shall be higher of—

- (a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or
- (b) one lakh rupees.

(5) In the event of migration of license to the terms and conditions of enterprise communication service authorisation, the authorisation fee from the effective date of migration shall be higher of—

- (a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or
- (b) one lakh rupees:

Provided that if the licensee has migrated within twelve months of the effective date of license, the authorisation fee as referred to in clause (a) of sub-rule (5) shall be payable for the remaining period till the completion of twelve months from the effective date of the license.

(6) The authorisation fee under sub-rules (2) to (5) shall be inclusive of the amount attributable to the Digital Bharat Nidhi, which shall be equal to five-eighths of the authorisation fee.

(7) The rate of authorisation fee or amount attributable to Digital Bharat Nidhi as specified in sub-rules (2) to (5) may be varied at any time within the duration of the authorisation.

52. Schedule of payment.—(1) The authorisation fee determined under these rules shall be payable by a new authorised entity in four quarterly instalments during each financial year commencing from the first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter.

(2) Every new authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee in the following manner, namely:—

- (a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter; and

- (b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected revenue for that quarter, subject to a minimum amount equal to the authorisation fee paid for the previous quarter:

Provided that the new authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of next financial year.

(3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of revenue on accrual basis for the relevant quarter, and shall be accompanied, in such form and manner as specified on the portal, by a self-certificate and a statement of revenue for each authorisation held by the new authorised entity, that are signed and electronically verified by a representative of such new authorised entity who has been duly authorised by a board resolution and general power of attorney.

(4) Every new authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each calendar year—

- (a) submit statement of revenue for all quarters of the previous financial year, in such form and manner as specified on the portal, duly audited and signed by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), ; and
- (b) make the final adjustment of the authorisation fee, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year based on sub-rule (2), as the case may be.

(5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or any other dues payable by the new authorised entity beyond the period specified for such payment, such new authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent. compounded annually:

Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest.

(6) Every new authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted quarterly statements of revenue under sub-rule (3) with those appearing in annual accounts, duly audited and signed by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), accompanied by a copy of the published annual accounts and audit report within seven days of the date of signing of the audit report or within the timeline provided under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) for filing of annual financial statements, whichever is earlier:

Provided that the annual financial statements, the statement of revenue, and the reconciliation statement shall be prepared in accordance with such norms, orders or directions as may be specified on the portal.

(7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by the new authorised entity in such manner as specified on the portal.

53. Guarantee requirements for authorisation.—(1) Every new authorised entity shall for the purpose specified in sub-rule (2), submit an unconditional and irrevocable guarantee in such form and manner, as specified on the portal, of any of the following types, namely:—

- (a) a bank guarantee from any Scheduled Commercial Bank or public financial institution, with a minimum validity period of one year from the date of its issuance;
- (b) a performance bond, issued by an Indian insurance company, in accordance with the guidelines made under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), with a minimum validity period of one year from the date of its issuance; or
- (c) non-interest-bearing cash deposit with the Central Government.

(2) The purpose of the guarantee as specified in sub-rule (1) is to provide security for compliance of all the terms and conditions of the authorisation, including but not limited to payment of authorisation fee, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of the orders, directions or guidelines issued by the Central Government and any other dues payable under the authorisation.

(3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to annual review by the Central Government and the new authorised entity shall maintain a valid guarantee throughout the duration of authorisation or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later:

Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of enterprise communication service authorisation in Schedule A or for an amount in accordance with sub-rule (6) of rule 6, and for each subsequent year of authorisation, the guarantee shall be for an amount determined by the Central Government, based on the higher of—

- (a) the amount of initial guarantee as specified in respect of enterprise communication service authorisation in Schedule A; or

(b) twenty per cent. of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure as specified on the portal, of the following, namely:—

- (i) authorisation fee payable for two quarters; and
- (ii) any other dues that are not otherwise secured.

(4) Every new authorised entity shall extend the validity period, by a minimum of one year, of such guarantee at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.

(5) Failure to maintain a valid guarantee at any time throughout the duration of authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim the performance bond or appropriate the cash deposit without any notice to the new authorised entity:

Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim or appropriation of such guarantee.

(6) If the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, the new authorised entity shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee to the full amount within thirty days thereof:

Provided that the Central Government may, on receipt of a written request from such new authorised entity before the expiry of the period specified in this sub-rule, allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing.

(7) The Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee submitted by the new authorised entity in the following cases, namely:—

- (a) non-payment of authorisation fee, or any other dues payable under the authorisation or assignment;
- (b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or
- (c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment:

Provided that before taking any action under this sub-rule, the Central Government may issue a notice to such new authorised entity and afford it a reasonable opportunity of being heard.

(8) On revocation, surrender or expiry of the authorisation, the Central Government shall release the guarantee only after ensuring clearance of all dues, which such new authorised entity is liable to pay to the Central Government:

Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realised through encashment, claim or appropriation of the guarantee as provide in sub-rule (7), without prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government.

54. Assessment of authorisation fees.—(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees in accordance with the procedure as specified on the portal.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “assessment” shall include reassessment and re-computation.

(2) Every new authorised entity shall submit relevant documents in support of the amount excluded from applicable gross revenue to arrive at adjusted gross revenue in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government.

(3) If a new authorised entity holds more than one authorisation for any other telecommunication service or telecommunication network or for the same telecommunication service in a different service area, it shall draw, maintain and furnish separate accounts and a separate statement of computation of authorisation fee for each authorisation.

(4) Every new authorised entity shall, in respect of each authorisation it holds—

- (a) compile and maintain accounting records, that are sufficient to show and explain its transactions in respect of each completed quarter throughout the duration of the authorisation or of such lesser periods as may be specified on the portal, fairly presenting the costs, including capital costs, revenue, and financial position of such new authorised entity’s business under the authorisation including a reasonable evaluation of the assets employed in and the liabilities attributable to that new authorised entity’s business for the quantification of revenue or any other purpose;
- (b) pay the actual public switched telephone network or public land mobile network related call charges to other new authorised entities or licensees which hold any authorisation or license;
- (c) ensure that bilateral settlement of accounts with other new authorised entities or licensees which hold any authorisation or license are conducted through normal banking channels in a transparent manner; and

(d) furnish to the Central Government details of the mechanism for the settlement of accounts with such other new authorised entities or licensees, including in respect of charges for usage of network and facilities, as well as details of the actual settlements.

(5) Every new authorised entity shall maintain and preserve billing and other accounting records relating to the provision of enterprise communication service authorisation, for each financial year, in electronic form as well as hard copy, for a period of at least six years from the date of publishing of its duly audited and approved annual accounts:

Provided that if such new authorised entity seeks to maintain and preserve such records in only electronic form, it may do so with the prior approval of the Central Government, which may be considered on a case-to-case basis, and on such approval being expressly granted, such records shall be maintained and preserved in accordance with rule 3 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 made under the Companies Act, 2013 (18 of 2013):

Provided further that if the authorisation fee, or any other charges for any period are under dispute, the said records shall be retained until such dispute is resolved.

(6) The Central Government may, at any time, direct a new authorised entity to supply information or provide access to the books of annual accounts that such new authorised entity maintains under the terms of its authorisation, and that new authorised entity shall forthwith adhere to such direction.

(7) The Central Government may, at any time, subject the records of a new authorised entity to such scrutiny as it may determine, with a view to facilitating independent verification of the amounts payable to the Central Government, including authorisation fees, and any other charges.

(8) The Central Government may, on forming an opinion that the statements of revenue in respect of enterprise communication service authorisation or annual accounts submitted by the new authorised entity are inaccurate or misleading, or for any other reason, order audit of the accounts of such new authorised entity, by appointing one or more auditors, who shall have the same powers which the auditors of the company have under sub-section (1) of section 143 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and on such charges that the Central Government may determine, which shall be payable by that new authorised entity.

(9) If a new authorised entity fails to submit the annual accounts, audit report and other required documents under sub-rules (4) and (6) of rule 52 within nine months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee, on best judgement basis:

Provided that before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to such new authorised entity providing it an opportunity of being heard.

(10) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after the lapse of a period of four years from the end of such financial year except as provided under sub-rule (11).

(11) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has not been subject to assessment is likely to be equivalent to an amount of fifty lakh rupees or more for such financial year.

(12) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (10) and sub-rule (11), any period of stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.

(13) Notwithstanding anything contained in sub-rule (10) and sub-rule (11), assessment of authorisation fee may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction.

(14) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee, issue directions to new authorised entity, in respect of any miscellaneous telecommunication services, in relation to accounts and audit of such new authorised entity, and that new authorised entity shall adhere to such directions.

55. Technical and operating conditions.—(1) A new authorised entity providing cloud-based Electronic Private Automatic Branch Exchange service shall ensure that—

- (a) there is logical partitioning between the components of the platform handling telecommunication resources of different users; and
- (b) connectivity between the user and the cloud-based Electronic Private Automatic Branch Exchange is established through the internet connectivity or domestic leased circuit obtained from any other new authorised entity or licensee eligible for providing such connectivity under their authorisation or license.

(2) Every new authorised entity may enter into mutual agreements for obtaining any telecommunication resources from any other new authorised entity or licensee that is eligible to provide such telecommunication resource under their authorisation or license.

(3) Every new authorised entity providing audio conferencing service shall ensure that the audio conferencing system is connected to the telecommunication network such as public switched telephone network, public land mobile network or internet telephony network of any other new authorised entities or licensees providing access services by using network interfaces as per the standards notified under section 19 of the Act.

(4) A new authorised entity shall not allow any illegal passing of telecommunication traffic including national long distance traffic or international long distance traffic.

(5) Every new authorised entity providing audio-conferencing service may use dial out facility using telecommunication resources of more than one other new authorised entity or licensee which holds authorisation or license to provide access services:

Provided that such new authorised entity shall ensure that while using the dial out facility, national or international long distance traffic is not bypassed.

(6) Every new authorised entity shall ensure that calls originating from public switched telephone network, public land mobile network or internet telephony networks are not interconnected with private networks by audio conferencing system of such new authorised entity.

(7) Every new authorised entity shall—

(a) enable a user to retrieve the information at any time by interacting with the audiotex service system; and

(b) ensure that the information stored in audiotex equipment can be disseminated to the user on his user terminal.

(8) Every new authorised entity providing audiotex service shall ensure that dial-out facility is only permitted when a caller has made incoming calls to audiotex service system.

(9) Every new authorised entity shall establish such systems so that a user of voice mail service may leave his voice message in voice mailbox by dialling voice mail box number or retrieve a voice message from his voice mailbox through a telecommunication network.

(10) Every new authorised entity providing audio conferencing service may only provide point-to-point conferencing services to enterprises registered in India, subject to the following conditions, namely:—

(a) calls shall originate and terminate within India;

(b) complete routing and switching of audio-conferencing calls shall remain within India; and

(c) telecommunication identifiers used for such audio conferencing have been assigned to users by the new authorised entity or licensee.

56. Security conditions.—(1) Every new authorised entity providing cloud-based Electronic Private Automatic Branch Exchange service shall maintain a complete log and record of the logical partitioning for a minimum period of two years, and provide such records to the Central Government or designated agency on receiving a direction by the Central Government in this regard.

(2) Every new authorised entity shall ensure that—

(a) storage of voice mail messages and subsequent retrieval by the user is on a non-real time basis; and

(b) there is no dialling out for delivery of the message to the recipient.

(3) Every new authorised entity shall keep a record of the information including the name, address and telecommunication identifier of the users of each enterprise communication services for a minimum period of one year.

(4) Every new authorised entity providing audio conferencing service shall provide detailed information about the conference calls including the parties in conference, date, time, duration of the conference to the Central Government or the designated agency, on receiving a direction by the Central Government in this regard.

PART C
MACHINE-TO-MACHINE SERVICE AUTHORISATION

57. Applicability of Part C.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds machine-to-machine service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds machine-to-machine service authorisation.

58. Scope of machine-to-machine service authorisation.—(1) The machine-to-machine service authorisation consists of authorisation to provide machine-to-machine services.

(2) Every new authorised entity may—

- (a) establish, operate, maintain or expand wireless personal area network or wireless local area network for providing machine-to-machine services using spectrum exempted from the requirement of assignment under the applicable law; and
- (b) own and manage a platform for subscription profile management of machine-to-machine embedded-subscriber identity module.

(3) Every new authorised entity shall provide only such miscellaneous telecommunication services which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which may require a separate authorisation from the Central Government.

59. Fees and charges.—There shall be no authorisation fee payable by a new authorised entity.

60. Technical and operating conditions.—(1) Every new authorised entity shall provide machine-to-machine services using machine-to-machine services or machine-to-machine subscriber identity modules obtained from any other new authorised entity or licensee that holds authorisation or license for access services or internet services.

Provided that prior to commencement of provision of each use case of machine-to-machine services to users, the new authorised entity shall intimate the details of such use case to the Central Government on the portal, and on examination of that use case, the Central Government may direct the new authorised entity to discontinue provisioning of such service or adhere to additional security conditions as specified in such direction.

(2) Every new authorised entity, that is a company and intending to own and manage a platform for subscription profile management of machine-to-machine subscriber identity module, shall apply to the Central Government on the portal, and accompanied by such fees as may be specified therein, for its prior approval.

(3) Every new authorised entity shall, while providing machine-to-machine service using wireless personal area network or wireless local area network, connect such network with the telecommunication network of other new authorised entity or licensee, using machine-to-machine services obtained from such other entity or licensee.

(4) Every new authorised entity shall adhere to orders, directions or guidelines that the Central Government may specify in respect of:—

- (a) international in-roaming; and
- (b) usage and management of machine-to-machine subscriber identity module.

(5) Every new authorised entity shall for subscription profile management of machine-to-machine subscriber identity module, adhere to the standards and conformity assessment measures, including the standards for security of subscription manager-data preparation and subscription manager-secure routing, that the Central Government may notify under section 19 of the Act.

61. Security conditions.—(1) Every new authorised entity shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure effective observance of the provisions of these rules.

(2) Every new authorised entity shall maintain and update an online supply chain management system of machine-to-machine subscriber identity module, as well as details of movement of such machine-to-machine subscriber identity module from the new authorised entity to users, and provide such details when required by the Central Government, the authorised agency or the designated agency.

(3) Every new authorised entity shall ensure that machine-to-machine devices are identifiable and traceable using telecommunication identifiers.

(4) Every new authorised entity shall adhere to such orders, directions or guidelines that the Central Government may issue in respect of implementation of restrictive features on machine-to-machine subscriber identity module and securing machine-to-machine enabled devices.

PART D
PRIME MINISTER WI-FI ACCESS NETWORK INTERFACE SERVICE AUTHORISATION

62. Applicability of Part D.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface service authorisation.

63. Scope of Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface service authorisation.—(1) For the purpose of this Part, the expressions—

- (a) “app”, in relation to app provider means, a type of software designed to run on mobile devices or computers to—
 - (i) register a user;
 - (ii) authenticate a user and
 - (iii) discover wi-fi access points that are compliant with wi-fi access network interface in the nearby area and display the same in the application for accessing internet service through such access points.
- (b) “app provider” means a person that develops, operates and maintains the app;
- (c) “central registry” means a system containing online database containing the details of public data offices, public data office aggregators and app providers;
- (d) “public data office” in relation to a public data office aggregator, means a person who establishes, operates, maintains and expands wi-fi access points that are compliant with wi-fi access network interface to deliver internet services to a user;
- (e) “public data office aggregator” means a person who aggregate wi-fi access points that are compliant with wi-fi access network interface established by public data offices and performs functions relating to authorisation and accounting; and
- (f) “wi-fi access network interface” means a network interface for interworking among software applications used by public data offices, public data office aggregators, app providers and central registry.

(2) Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface service authorisation shall be applicable to public data office aggregator or app provider or both.

(3) Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface service authorisation consists of authorisation for public data office aggregator or app provider or both for the following miscellaneous telecommunication services, namely:—

- (a) aggregate two or more wi-fi access points that are compliant with wi-fi access network interface established, operated, maintained and expanded by public data offices; or
- (b) provision of app.

(4) Every new authorised entity shall provide only such miscellaneous telecommunication services which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which may require a separate authorisation from the Central Government.

64. Fees and charges.—There shall be no authorisation fee to be paid by a new authorised entity.

65. Technical and operating conditions.—(1) The central registry shall be established, operated, maintained and expanded by the Central Government or any person designated by it.

(2) Every new authorised entity shall, while performing the functions of a public data office aggregator or app provider or both, adhere to the framework and guidelines on wi-fi access network interface as specified by the Central Government on the portal.

(3) Every new authorised entity performing the functions of a public data office aggregator shall—

- (a) aggregate two or more wi-fi access points that are compliant with wi-fi access network interface, being operated by public data offices and authorise such users to avail of internet services that have been authenticated by app provider; and
- (b) enter into an agreement with public data offices, specifying the terms and conditions including the following, namely:—

- (i) establish, operate, maintain and expand only such wi-fi access points that are compliant with wi-fi access network interface; and
 - (ii) adhere to the framework and guidelines on wi-fi access network interface as specified by the Central Government on the portal.
- (4) Every new authorised entity performing the functions of an app provider shall—
- (a) register its app with central registry using its public certificate for signature validation; and
 - (b) register and authenticate a user, and discover wi-fi access points that are compliant with wi-fi access network interface.

66. Security conditions.—(1) Every new authorised entity shall maintain user information for two years and take necessary steps to ensure compliance with all applicable laws and policies to protect data privacy and confidentiality of user information.

(2) Every new authorised entity shall, subject to terms and conditions of the authorisation, take all necessary steps to safeguard the privacy and confidentiality of any information of a user and its business to whom it provides the telecommunication service.

PART E IN-FLIGHT AND MARITIME CONNECTIVITY SERVICE AUTHORISATION

67. Applicability of Part E.— This Part shall apply to a new authorised entity that holds in-flight and maritime connectivity service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds in-flight and maritime connectivity service authorisation.

68. Scope of in-flight and maritime connectivity service authorisation.—(1) The in-flight and maritime connectivity service authorisation consists of authorisation for the following miscellaneous telecommunication services which may be provided on ships or aircrafts using wireless connectivity, namely:—

- (a) transmission, emission or reception of voice or non-voice messages, including video messages; and
- (b) internet service.

(2) Every new authorised entity, in order to provide in-flight and maritime connectivity services shall—

- (a) enter into an agreement with a new authorised entity or licensee that holds authorisation or license to provide access services in all twenty-two service areas; and
- (b) for establishing connectivity between ships or aircrafts and the telecommunication network of the new authorised entity or licensee referred to in clause (a), enter into an agreement with an entity that holds authorisation or license to provide direct-air-to-ground communication service or national long distance services using very small aperture terminal:

Provided that, in respect of services specified under clause (b) of this sub-rule, for using the telecommunication network, the new authorised entity may also enter into an agreement with an entity that holds authorisation or license to provide internet service in national service area.

(3) Every new authorised entity, in order to provide in-flight and maritime connectivity services, may establish base station or wireless local area network on a ship or an aircraft, as the case may be, and connect such base station or wireless local area network with the telecommunication network of such other new authorised entity or licensee with whom an agreement has been entered into under sub-rule (2).

(4) Every new authorised entity shall provide only such miscellaneous telecommunication services which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication services which requires a separate authorisation from the Central Government.

(5) An entity authorised to provide access service in all twenty-two service areas or internet service in national service area, shall not require a separate in-flight and maritime connectivity service authorisation for the provision of in-flight and maritime connectivity services.

69. Fees and charges.—Every new authorised entity shall pay an annual authorisation fee of one rupee, from the effective date of authorisation:

Provided that the new authorised entity shall pay the authorisation fee for the entire duration of the authorisation in advance at the time of grant of authorisation.

70. Technical and operating conditions.—(1) Every new authorised entity may connect its base station or wireless local area network established on a ship or an aircraft with the telecommunication network of another new authorised entity or licensee with whom an agreement has been entered into under sub-rule (2) rule 68, using such satellite network or direct-air-to-ground communication systems, and for operating such base station, the new authorised entity shall use the access spectrum assigned to such other new authorised entity or licensee.

(2) Every new authorised entity, when using a satellite network for providing in-flight and maritime connectivity services, shall ensure that the requisite satellite-based connectivity is obtained from the entities authorised to provide satellite-based connectivity, having satellite earth station gateway in India.

(3) Every new authorised entity, when using direct-air-to-ground communication system for providing in-flight and maritime connectivity services, shall ensure that such system is obtained from the entity authorised to provide such systems.

(4) Every new authorised entity providing miscellaneous telecommunication service of voice or non-voice message in an aircraft, shall do so at such minimum height within the service area, as may be specified on the portal, to avoid interference with wireless terrestrial networks.

(5) Notwithstanding the minimum height requirement in sub-rule (4), when user terminals are permitted to be used in an aircraft, the new authorised entity may provide internet services through wireless local area network in such aircraft:

Provided that the new authorised entity shall provide such internet services in that aircraft only when the user terminals are used in airplane mode.

(6) Every new authorised entity shall ensure that any modification of an aircraft, registered in India, to provide in-flight and maritime connectivity services shall be done with the prior approval of the Directorate General of Civil Aviation and as per the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024).

(7) Every new authorised entity shall, to avoid interference, ensure separate telecommunication network for in-flight and maritime connectivity services and navigation system in aircrafts or ships.

(8) Every new authorised entity shall ensure that provision of in-flight and maritime connectivity services in an aircraft or a ship is in the exclusive control of the pilot or the captain of such aircraft or ship, as the case may be, to enable him to disconnect provision of the in-flight and maritime connectivity services during any difficulty.

71. Security conditions.—Every new authorised entity shall, prior to the commencement of in-flight and maritime connectivity services, ensure that another new authorised entity or licensee with whom it has entered into an agreement under sub-rule (2) of rule 68—

- (a) establish, operate, maintain and expand suitable lawful interception system and lawful interception monitoring facilities in relation to interception of messages or class of messages in accordance with the orders, directions or guidelines as may be issued by the Central Government; and
- (b) wherever required, provide integration of the same with such systems and in such manner as the Central Government may specify.

PART F AERONAUTICAL DATA COMMUNICATION SERVICE AUTHORISATION

72. Applicability of Part F.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds aeronautical data communication service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds aeronautical data communication service authorisation.

73. Scope of aeronautical data communication service authorisation.—(1) Aeronautical data communication service authorisation consists of authorisation for data communication service between aircraft and ground stations.

(2) Every new authorised entity may establish one or more ground stations in its service area to provide aeronautical data communication services to airline operators or air navigation service providers.

(3) Every new authorised entity shall provide only such miscellaneous telecommunication services authorised which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication services which requires a separate authorisation from the Central Government.

74. Fees and charges.—Every new authorised entity shall pay an annual authorisation fee of one rupee to the Central Government from the effective date of authorisation:

Provided that the new authorised entity shall pay the authorisation fee for the entire duration of the authorisation in advance, at the time of grant of authorisation.

75. Technical and operating conditions.—Every new authorised entity shall ensure that its telecommunication network is not interconnected with public switched telephone network, public land mobile network or internet telephony network.

76. Rollout obligations.—(1) Every new authorised entity shall rollout the telecommunication network for provision of aeronautical data communication service, including establishment of ground station using the spectrum which has been assigned by the Central Government within twelve months from the date of assignment of such spectrum for any ground station, as required for providing aeronautical data communication services to users.

(2) Every new authorised entity shall register with the Central Government on the portal, in accordance with orders, directions or guidelines issued by the Central Government, for verification of the compliance of rollout obligations, as per the test schedule and test procedure as may be specified on the portal.

(3) On successful verification under sub-rule (2), the date of registration with the Central Government shall be treated as the date of compliance to the rollout obligations.

(4) In case of failure on verification under sub-rule (2), the new authorised entity shall re-register, after necessary corrections, and in such cases, the date of re-registration with the Central Government, on successful verification, shall be treated as the date of compliance to the rollout obligation.

(5) Any failure to adhere to the rollout obligations shall be treated as breach of terms and conditions of the authorisation and shall be dealt as per the provisions of Chapter VIII of the Act:

Provided that if the rollout obligations are adhered to within thirty days of the expiry of the due date for adhering to such obligations, the Central Government shall consider the same as timely fulfilment of rollout obligations.

(6) In case of failure to adhere to the rollout obligations, in addition to imposition of civil penalty as per the provisions of Chapter VIII of the Act, the spectrum assignment for ground station shall be subject to the relevant provisions of the Act and the terms and conditions of spectrum assignment.

CHAPTER VII MISCELLANEOUS

77. Breach.—(1) A breach of the terms and conditions of authorisation by a new authorised entity shall constitute a breach as referred to in section 32 of the Act.

(2) The Central Government may, after due consideration of the recommendations received under clause (b) of sub-section (1) of section 32 of the Act and giving an opportunity of being heard to the new authorised entity, issue an order of suspension, revocation or curtailment of an authorisation under sub-section (2) of section 32 of the Act..

(3) Every order under sub-rule (2) shall be published by the Central Government on the portal, and be effective from the sixty-first day from the date of publishing of such order.

(4) The new authorised entity shall, on publication of the order under sub-rule (3), give every user of its miscellaneous telecommunication services at least thirty days prior notice of curtailment, suspension or revocation of its authorisation and of the options available to such users.

(5) The new authorised entity shall maintain the quality of miscellaneous telecommunication service and telecommunication network till the effective date referred to in sub-rule (3).

78. Digital implementation.— The Central Government may, in furtherance of section 53 of the Act, notify one or more portals for digital implementation of these rules, including for providing any form, manner, order, direction or guidelines to be specified under these rules.

SCHEDULE A**PROCESSING FEE, ENTRY FEE AND INITIAL GUARANTEE FOR AUTHORISATIONS FOR MISCELLANEOUS TELECOMMUNICATION SERVICES**

[See rules 6(2)(a), 7(2)(a)(i), 13(1), 42(3)(b), 42(4)(b), 42(5)(b), 44(3), 53(3)]

Sl. No.	Service Authorisation	Processing Fee (in Rs.)	Entry Fee (in Rs.)	Guarantee (in Rs.)
1.	Public mobile radio trunking service authorisation	10,000	20,000	20,000
2.	Enterprise communication service authorisation	10,000	Nil	2 lakh
3.	Machine-to-machine service authorisation	10,000	Nil	Nil
4.	Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface service authorisation	Nil	Nil	Nil
5.	In-flight and maritime connectivity service authorisation	10,000	Nil	Nil
6.	Aeronautical data communication service authorisation	10,000	1 lakh	Nil

**SCHEDULE B
SERVICE AREAS**

[See rule 4(a)]

Sl. no.	Service Area	Area covered
1.	West Bengal Service Area	Entire area falling within the Union territory of Andaman and Nicobar Islands and area falling within the State of West Bengal and the State of Sikkim, excluding the areas covered by Kolkata Service Area.
2.	Andhra Pradesh Service Area	Entire area falling within the State of Andhra Pradesh and the State of Telangana.
3.	Assam Service Area	Entire area falling within the State of Assam.
4.	Bihar Service Area	Entire area falling within the State of Bihar and the State of Jharkhand.
5.	Gujarat Service Area	Entire area falling within the State of Gujarat and the Union territory of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.
6.	Haryana Service Area	Entire area falling within the State of Haryana except Panchkula town and the local areas served by Faridabad and Gurgaon Telephone Exchanges.
7.	Himachal Pradesh Service Area	Entire area falling within the State of Himachal Pradesh.
8.	Jammu and Kashmir Service Area	Entire area falling within the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh.
9.	Karnataka Service Area	Entire area falling within the State of Karnataka.
10.	Kerala Service Area	Entire area falling within the State of Kerala and Union territory of Lakshadweep.
11.	Madhya Pradesh Service Area	Entire area falling within the State of Madhya Pradesh and the State of Chhattisgarh.
12.	Maharashtra Service Area	Entire area falling within the States of Maharashtra and State of Goa, excluding areas covered by Mumbai Service Area.
13.	North East Service Area	Entire area falling within the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Manipur and Tripura.
14.	Orissa Service Area	Entire area falling within the State of Odisha.
15.	Punjab Service Area	Entire area falling within the State of Punjab, Union territory of Chandigarh and Panchkula town of Haryana.
16.	Rajasthan Service Area	Entire area falling within the State of Rajasthan.
17.	Tamil Nadu Service Area	Entire area falling within the State of Tamil Nadu and Union territory of Puducherry.

Sl. no.	Service Area	Area covered
18.	Uttar Pradesh (West) Service Area	Entire area covered by Western Uttar Pradesh with the following as its boundary districts towards Eastern Uttar Pradesh: Pilibhit, Bareilly, Badaun, Kasganj, Etah, Mainpuri, Etawah and Auraiya. It will exclude the local telephone area of Ghaziabad and Noida. Further, it will include the State of Uttarakhand.
19.	Uttar Pradesh (East) Service Area	Entire area covered by Eastern Uttar Pradesh with the following as its boundary districts towards Western Uttar Pradesh: Shahjahanpur, Kannauj, Farrukhabad, Lakhimpur, Kanpur Rural and Jalaun.
20.	Delhi Service Area	Local Areas served by Delhi, Ghaziabad, Faridabad, Noida and Gurgaon Telephone Exchanges.
21.	Kolkata Service Area	Local Areas served by Calcutta Telephones Exchanges.
22.	Mumbai Service Area	Local Areas served by Mumbai, New Mumbai and Kalyan Telephone Exchanges.

[F. No. 24-06/2025-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.